राजस्थान विधान सभा

उन्नीसवीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–२६ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ८ बज कर ४२ मिनट (मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५१८

किशनगढ़ की टेक्सटाइल मिल्स की स्थिति डांवांडोल होने के कारण उत्पादन प्रति-दिन गिरना

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि किशनगढ़ की टेक्सटाइल मिल्स की आर्थिक स्थिति डाँवांडोल होने की वजह से प्रोडक्शन दिनोदिन गिरता जा रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) इस विषय में किशनगढ़ मिल्स की निम्नलिखित प्रार्थनायें सरकार के विचाराधीन हैं :

१. मिल को आयात व निर्यात कस्टम्स की छूट देने की प्रार्थना।

२. मिल को केन्द्रीय वित्त कॉर्पोरेशन द्वारा रुपया उधार दिलवाने के लिए सिफारिश करने की प्रार्थना।

३. केन्द्रीय सरकार द्वारा एक निपुण व्यक्ति की मिल में नियुक्ति करवाने का प्रश्न।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि मिल का काम अच्छी तरह नहीं चलने के कारण मिल के मजदूरों को बहुत बड़ी संख्या में काम नहीं दिया जाता ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने कहा कि मिल की ये प्रार्थनायें इसीलिये विचाराधीन हैं कि मिल अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है और मजदूरों को, जिन्हें कि काम देना चाहिये उन्हें काम नहीं दे रहा है।

प्रश्न संख्या ५१६

अप्रैल सन् १९५३ से फरवरी १९५४ तक आत्म समर्पण करने वाले समस्त डाकू

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) १ अप्रैल, सन् १९५३ से अखीर फरवरी, सन् १९५४ तक कितने डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया और कितने डाकू पुलिस द्वारा मारे गये ?

(ख) ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले कितने डाकू हैं जिनके सरकार ने पिछले अपराध क्षमा कर दिये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अप्रैल १९५३ से १६ मार्च, १९५४ तक ४९ डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया तथा ३० डाकू पुलिस द्वारा मारे गये।

आत्मसमर्पण करने वाले किसी भी डाकू के पिछले अपराध क्षमा नहीं किये गये हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात भी सही है कि आत्मसमर्पण किये हुए डाकुओं में से उनके एक प्रतिनिधि को सरकार में लिया जा रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझा नहीं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या आत्मसमर्पण किये हुए डाकुओं में से उनके एक प्रतिनिधि को मन्त्री-मण्डल में लेने की तैयारी की जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—आत्मसमर्पण किया हुआ कोई डाकू एम. एल. ए. नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मन्त्री-मण्डल में लेने के लिये ६ महीने तक एम. एल. ए. का होना जरूरी नहीं है और फिर बाइ इलेक्शन्स भी हो रहे है।

श्री जयनारायण व्यास—मुझे खेद है कि मैं मेरे माननीय मित्र की राय को मान नहीं सकता।

कुँ०श्री जसवन्तसिंह— यह राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.3

प्रश्न संख्या ५२०

गंगानगर सुगर मिल्स में सरकार के शेयर्स तथा सरकार द्वारा उसे लीज़ पर लेना

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. गंगानगर के सुगर मिल में सरकार के कितने शेयर्स हैं ?

२. उक्त मिल्स को क्या राजस्थान सरकार ने लीज़ पर लिया है ?

३. यदि हाँ, तो लीज़ पर लेने के क्या कारण हैं और किन शर्तों पर लिया गया है ?

४. क्या और भी कोई कारखाने सरकार द्वारा लीज़ पर लिये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—१. सरकार के इस उद्योग में निम्नलिखित शेयर्स हैं :—

(१) ५,००० शेयर्स साधारण ५० रु० प्रति शेयर	२,५०,००० रु०
(२) ३००० रिडीमेब्ल प्रिफरेंस शेयर्स; ५० रु० प्रति शेयर	१,५०,०००रु०
योग	४,००,००० रु०

२. हाँ।

३. उत्तर के लिये कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२। सी. एम. को देखिये।

४. नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री त्रिवेणी श्याम।

प्रश्न संख्या ७२१

गीजगढ़ भाण्डारेज, सिकन्दर, पापड़दा तथा अलूदा में डिस्पेन्सरियाँ

श्री त्रिवेणी श्याम—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) कितनी आबादी पर एक डिस्पेन्सरी जरूरी है ?

(ख) क्या कस्बा गीजगढ़, भाण्डारेज, सिकन्दरा, पापड़दा, अलूदा उस आबादी के कस्बे नहीं हैं जहाँ डिस्पेन्सरी हो सके ?

[श्री त्रिवेणी श्याम]

(ग) डिस्पेन्सरी या अस्पताल खोलने के लिये कोई मूल आधार है या स्वेच्छाचारिता से ही काम हो रहा है ?

(घ) यदि आधार है तो फिर ऐसी जगह जो रेल या सड़कों से २० या २५ मील दूर हैं वहाँ इलाज का क्या इन्तजाम है, खास तौर से तहसील सिकराय में ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि केवल आबादी ही उचित मापदण्ड नहीं है। किसी कस्बे की स्थिति व अन्य प्रकार की मेडिकल सहायता की उपलब्धि को भी ध्यान में रखना पड़ता है। साधारणतया कस्बे की आबादी ४००० से कम नही होनी चाहिये और डिस्पेन्सरी की परिधि १० मील होनी चाहिये।

(ख) जी नहीं गीजगढ़, भाण्डारेज, सिकन्दरा में आयुर्वेदिक औषधालय हैं। इसके अतिरिक्त गीजगढ़ सिकराय डिस्पेन्सरी से ५ व ६ मील पर स्थित हैं। सिकन्दरा बांदीकुई से ५ या ६ मील पर है। अलूदा, पापड़दा व भान्डारेज दौसा अस्पताल से क्रमशः ६, १०, ६ मील के फासले पर हैं।

(ग) मूल आधार है जिसका वर्णन (क) में किया जा चुका है। यदि ऐसी कोई जगह है तो उसके लिये आवेदन-पत्र आने पर विचार किया जा सकता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या इन डिस्पेन्सरियों को खोलने के लिये यह भी शर्त होगी कि पहले जनता द्वारा बिल्डिंग बनाई जाय और फिर सरकार डिस्पेन्सरियां खोले ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं समझा नहीं।

(कुँ० श्री जसवन्तसिंह द्वारा पुनःप्रश्न दोहराया गया)

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसी कोई शर्त नहीं है।

श्री भोपालसिंह (गोठड़ा)—४००००० की आबादी पर २ डिस्पेन्सरियों की आवश्यकता है या ३ की ?

श्री कुम्भाराम आर्य—समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—४ लाख की आबादी पर २ डिस्पेन्सरियों की जरूरत है या तीन की ?

श्री कुम्भाराम आर्य—एक भी नहीं (हँसी)

(विराम)

लोगों की बीमारी पर डिपेंड करता है, जहां बीमारी होती है वहां पहले खोल देते हैं।

Page No.5

श्री भोपालसिंह—डिस्पेन्सरियां खोलने के लिये बीमारी का मापदण्ड क्या है ?

श्री कुम्माराम आर्य—मैं उनकी बोली नहीं समझता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपकी बोली हम नहीं समझते।

श्री अध्यक्ष—It will be very difficult for the House then.

प्रश्न संख्या ५२२

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५२३

माइनर खनिजों पर जागीरदारों से किराया व रोयल्टी

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सरकार अभी तक माइनर खनिजों पर किराया व रोयल्टी क्या जागीरदारों से लेती हैं ?

(ख) अगर लेती है तो किस अधिकार से ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—हाँ, जागीरदारों से भिन्न-भिन्न डिवीजनों में वहीं के मौजूदा नियमों के अनुसार रॉयल्टी व किराया वसूल किया जाता है।

प्रश्न संख्या ५२४

सन् १९४९-५०, ५०-५१, ५१-५२ तथा ५२-५३ में
मेजर खनिज पदार्थों की आय

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) मेजर खनिज पदार्थों की खानों से १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ व १९५२-५३ में कितनी आय हुई ?

(ख) इस आय को बढ़ाने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) प्रमुख मेजर खनिज पदार्थों से निम्नलिखित वर्षों में क्रमशः प्राप्त हुई आय इस प्रकार है—

[श्री जयनारायण व्यास]

वर्ष	आय के आँकड़े रुपयों में
१९४९–५०	१५१९३४३
१९५०–५१	१३६६६२४
१९५१–५२	२२३४२२२
१९५२–५३	२१९५९७१

(ख) खनिजों की आय को बढ़ाने के लिए निम्न योजनाएँ सरकार के सम्मुख पेश की गई हैं तथा कुछ वर्तमान साल में प्रयोग में भी आ रही हैं—

(१) मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत रॉयल्टी की दरों तथा स्थिर भाड़े (डेड रेन्ट) में वृद्धि के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(२) कुछ मेजर खनिजों को गौण खनिजों की सूची में दर्ज किये जाने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है ।

(३) भिन्न-भिन्न खानिजों के अनुसन्धान (प्रोस्पेक्टिंग) का कार्य हाथ में लिया गया है ।

(४) प्रसिद्ध खानों (प्रूवड डिपोज़िट स) को खान मूल्यांकन (माइन वेल्यूएशन) पर देने की प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मेजर माइन्स के बिज़नेस के लिए भारत सरकार से रेलवे-भाड़े में भी कमी या कंसेशन का प्रबन्ध करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—कुछ समझ में नहीं आया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Government do anything regarding reduction in railway freight ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न अलग है मैं इसका जवाब...

श्री अध्यक्ष—(श्री मुक्तिलाल को सम्बोधित करते हुए) आपका प्रश्न क्या है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरा प्रश्न यह है कि क्या मेजर माइन्स के लिए रेलवे फ्रेट के लिए कमी कराने का भारत सरकार से कोई प्रयत्न किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस सम्बन्ध में सूचना मुझे उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No.7

प्रश्न संख्या ५२५

खनिज विभाग में कुछ खानों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) खनिज विभाग में किन-किन खानों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही चल रही है ?

(ख) किन-किन अदालतों में मुकद्दमे किस-किस मालियत के जारी है ?

(घ) मुकद्दमों की पैरवी में किन किन वकीलों को कितने-कितने मेहनताने दिये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट तैयार किया गया है और उसे सदन की मेज पर रखा जा सकता है।

(ख) स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ग) इसकी सूचना अधीनस्थ कार्यालय से माँगी गई है। आने पर पेश की जा सकती है।

(घ) यह सूचना भी अधीनस्थ कार्यालय से पूछी जा रही है जो शीघ्र ही भेजी जायगी ऐसी आशा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसकी कॉपी तो मुझे नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—पहले दे देनी चाहिये थी। अब दे दी जावेगी। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२६

परबतसर कॉंस्टिटयुएन्सी में आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

परवतसर निर्वाचन क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—परबतसर निर्वाचन क्षेत्र में ४ औषधालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं—

[श्री कुम्भाराम आर्य]

१. मकराना २. कुसुम्बी
३. गच्छीपुरा ४. बूड़सू

और प्रश्नकर्त्ता को यह बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न कर्त्ता की कॉन्स्टीट्युएन्सी में, गच्छीपुरा में एक औषधालय है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न कर्त्ता के चुनाव क्षेत्र का कौन-सा प्रश्न है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आता।

श्री कुंभाराम आर्य—यह प्रश्नकर्त्ता को विशेष जानकारी दी गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२७

किशनगढ़, सरवाड़, अराई तहसीलों में सरकारी रखत तथा रखतों की चराई का ठेका

श्री चांदमल मेहता—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

किशनगढ़, सरवाड़, अराई तहसील में कितने एकड़ जमीन में सरकारी रखत है व इन रखतों की चराई का ठेका दिया जाता है या प्रति मवेशी की चराई की शरह निर्धारित है?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—तहसील किशनगढ़ व अराई में १५३६० एकड़ क्षेत्रफल जंगलात है। बीडों व डूँगरियों के ठेके चराई के होते हैं। जो ठेके नहीं हो पाते उनको अमानी में रख कर चराई वसूल की जाती है। चराई शरहनामा के अनुसार प्रति मवेशी वसूल की जाती है।

सरवाड़ में ६२ वर्ग मील क्षेत्रफल रखत बीडों का है। ये सब बीडें ठेके पर घास काटने को दी जाती हैं। चराई के लिए कोई बीड़ नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२८

खनिज संचालक के कार्यालय में सरकारी कार

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

(क) क्या खनिज संचालक के दफ्तर में सरकारी कार है ?

(ख) यदि हाँ, तो उस पर माहवारी क्या व्यय होता है ?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मन्त्री) (क) हाँ।

(ख) माहवारी व्यय २६) से लेकर १३०) तक। औसत ८०), ८५) रु० के लगभग होती है। मरम्मत व दुरुस्ती की रकम जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है -१३४७) रु० साल की खर्च हुई है।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न (ग) का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—This is an important question-car allowance

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूँगा।

श्री जसवन्तसिंह—यह तो रिलेवेन्ट प्रश्न है।

श्री जयनारायण व्यास—दुर्भाग्य से यह सूचना मेरे पास नहीं आई।

श्री जसवन्तसिंह—जब प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस तरह से सवालों की जान चली जाती है।

श्री जयनारायण व्यास—वह नहीं मिलता साहब। यह लो, जान आ गई।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२६

[किसी और दिन लिये जाने के लिए स्थगित रहा]

प्रश्न संख्या ५३०

शाहपुरा में जेल बनाने के सम्बन्ध में जाँच

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

शाहपुरा में जेल बनाने के सम्बन्ध में जो जाँच चली उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—जाँच के पश्चात् यह पाया गया कि शाहपुरा में कोई ऐसी इमारत नहीं है जिसमें जेल बनाई जा सके इसलिए यह तय हुआ कि जेल कोटपुतली

[श्री जयनारायण व्यास]

में बनाई जावे जहाँ कि इमारत मिल सकती थी। शाहपुरा के कैदी कोटपुतली में ही रखे जावेंगे। कोटपुतली में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का हैडक्वार्टर है और शाहपुरा में केवल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट है, जिसकी अदालत के कैदी इतनी तादाद में नहीं होते कि वहाँ पर एक अलग जैल बनाने का प्रबन्ध किया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—खर्चे के बारे में क्या जवाब है ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आज मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न कर्त्ता भी तैयार नहीं हैं।

कुँ०श्री जसवन्तसिंह—हमेशा उप-मन्त्रीजी उनकी मदद से आते हैं। कभी-कभी उन्हें भी उपमन्त्रीजी से मदद लेनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में सप्लीमेंट री प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने ५२६ के उत्तर के बजाय ५३० का उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—इस पर आप सप्लीमेंट री पूछ लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—शाहपुरा में जेल बनाने के सम्बन्ध में जो जाँच चली उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष—५३० का सप्लीमेंट री पूछिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—शाहपुरा में बिल्डिंग की सुविधा तो है किन्तु जो जाँच करने वाले गये उनकी रिपोर्ट है कि वहाँ बिल्डिंग की सुविधा नहीं है, तो सरकार ने क्या किया ? पब्लिक बिल्डिंग देने को तैयार है फिर वहाँ खर्चा क्यों किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री विशम्भरनाथ जोशी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Question No.529 has been postponed ?

श्री जयनारायण व्यास—५२६ का जवाब रेवेन्यु डिपार्टमेंट को भेजा गया था इसलिए उनकी टर्न आवेगी तब वे उसका जवाब दे देंगे।

प्रश्न संख्या ५३१

बसवा पोटेरीज को शासकीय सहायता

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Will the Chief Minister be pleaced to state :

(a) Is the Government prepared to aid or patronise the Baswa Potteries ?

(b) If so, in what form ?

(c) Is the Government prepared to send a selected team of the potters of Baswa for training at the State expense at the Gwalior Potteries works ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) The Government is prepared to give aid or patronage, as the case may be, to any cottage industry; provided the Government is approached with a scheme in this behalf. If the Baswa Potters apply to the Directorate of Industries and Commerce for aid or patronage with a specific scheme the question of giving such aid will be examined and considered.

(b) The Government will be in a position to say 'yes' or 'no' after examining the scheme. It will have to be seen whether the team of potters can be usefully trained at the Gwalior potteries Works. It is not possible to say whether the Government would be prepared to send a selected team to Gwalior at the moment without examining a specific scheme proposed by the Potters in Baswa. It may be mentioned that no scheme has ever been put before the Directorate of Industries nor has any request been ever made for aid.

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Will it not be possible for the Director of Industries or some other officer to see what particular form of aid is needed ?

श्री जयनारायण व्यास—The thing is that the Chief Minister has himself gone to Baswa and examined the Potteries there. But the scheme is not such which the Director of Industries would be in a position to formulate. It is for the local people to formulate such a scheme.

श्री खेतसिंह—क्या फिलहाल किन्हीं पौटरीज़ को किसी तरह की इमदाद दी है ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी इस तरह पोटरीज़ को इमदाद देने का प्रश्न हमारे सामने आया नहीं।

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ४३२

किशनगढ़ सिटी डिस्पेन्सरी में लेडी डाक्टर के होते हुए भी प्रसव की उचित व्यवस्था नहीं

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि किशनगढ़ सिटी डिस्पेन्सरी में लेडी डॉक्टर के होते हुए भी प्रसव की उचित व्यवस्था नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—किशनगढ़ सिटी डिस्पेन्सरी की लेडी डाक्टर दूर रहा करती थी परन्तु अब दो महीने से अस्पताल के बिलकुल नजदीक रहती है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला। क्या वहाँ नर्स की व्यवस्था है या नहीं और यदि है, तो क्या वह सन्तोषप्रद है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—व्यवस्था है।

श्री चांदमल मेहता—५३-५४ में डिस्पेन्सरी में क्या कोई प्रसव हुआ है ?

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—५३-५४ में डिस्पेन्सरी में क्या कोई डिलीवरी हुई है ?

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मन्त्री महोदय ने किस सिलसिले में उत्तर दिया था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—प्रश्न संख्या ५३२।

श्री अध्यक्ष—श्री कँवरलाल जेलिया।

प्रश्न संख्या ४३३

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी बैंक का निर्णय

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी बैंक का निर्णय किन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ?

(ख) क्या राजस्थान के अन्य सहकारी बैंकों की इस सम्बन्ध में कोई मांगें थीं ? यदि हां, तो किस बैंक की ?

Page No.13

[श्री कँवरलाल जेलिया]

(ग) ऐसी कौन-कौन सी मांगें थीं कि जिन पर राजस्थान सरकार इस बैंक को राजस्थान शीर्ष बैंक बनाने के लिए सहमत नहीं हो सकी और नवनिर्मित बैंक की स्थापना करनी पड़ी ?

(घ) इस राजस्थान में शीर्ष सहकारी बैंक की हिस्सेदाराना पूँजी अब तक कितनी हो सकी है तथा सरकार की कितनी और जो बैंक राजस्थान शीर्ष बैंक बनने की मांग कर रहा था उसकी हिस्सेदारान की पूँजी कितनी है और उसमें सरकारी धनराशि कितनी है ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(क) राजस्थान के सहकारी संस्थाओं का सम्बन्ध रिजर्व बैंक से जोड़ने के लिए यह आवश्यक था कि एक राजस्थान सहकारी बैंक खोला जावे। इसलिए रिजर्व बैंक की सिफारिश के अनुसार यह बैंक स्थापित किया गया।

(ख) राजस्थान को ऑपरेटिव बैंक कोटा ने की।

(ग) राजस्थान सहकारी बैंक कोटा के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत नियमावली को बैंक की साधारण सभा ने अपने प्रस्ताव विशेष दिनाँक २०।४।५३ द्वारा स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की और इसलिये नया बैंक कायम करने का निर्णय किया गया।

(घ) राजस्थान शीर्ष बैंक का अब तक पेड अप कैपिटल ५,३८,६७० हो चुका है और रुपये ३६३० अलोटमेंट मनी आने वाला है। इसमें से पाँच लाख राजस्थान सरकार द्वारा खरीदे हुए हिस्सों का है, बाकी सहकारी बैंकों, सोसाइटीज़ व व्यक्तियों का है।

(ङ) राजस्थान सहकारी बैंक कोटा, जो शीर्ष बैंक बनने की माँग कर रहा था, का पेड अप कैपिटल ३०,६,५३ तक २,१२,०३५ रु० है। उसमें सहकारी सभाओं का कैपिटल ७४,०२५ रु० है, बाकी १,३८,०१० रु० व्यक्तिगत मेम्बरों का है।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सहकारी बैंक कोटा की जनरल मीटिंग ने सरकार के इस सुझाव को अस्वीकार किया है ?

श्री अमृतलाल यादव—इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्रश्न के उत्तर में आ चुका है।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपने जो जवाब दिया है वह कृपया जरा स्पष्ट करें।

श्री अमृतलाल यादव—मैं स्पष्ट कर देता हूँ।

['(ग) भाग' ऐसी आवाज़]

Page No.14

[श्री अमृतलाल यादव]

"(ग) राजस्थान सहकारी बैंक कोटा के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत नियमावली को बैंक की साधारण सभा ने अपने प्रस्ताव विशेष दिनाँक २०. ४. ५३ द्वारा स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की और इसीलिए नया बैंक कायम् करने का निर्णय किया गया।"

श्री कँवरलाल जेलिया—किस मुद्दे को अस्वीकार किया गया, क्या कोई टेक्निकल चीज़ थी ?

श्री अमृतलाल यादव—वह मुद्दा तो उस प्रस्ताव में मौजूद है।

श्री कँवरलाल जेलिया—आप ही बता दीजिये ?

(हँसी)

श्री अमृतलाल यादव—मैं माननीय सदस्य को प्रतिलिपि भेज दूँगा और माननीय सदस्य यों भी जानते ही हैं।

श्री लाल बाहादुर—क्या यह सही है कि माननीय मन्त्रीजी ने बैंक के डाइरेक्टर से यह बात की थी कि उस बैंक का ऑफिस जयपुर ही में हो और यह बैंक वहाँ ही बनाया जा सकता है ?

श्री रोशनलाल—वह मुद्दा क्या था ?

श्री अमृतलाल यादव—बैंक का था।

श्री रोशनलाल—क्या था।

श्री अमृतलाल यादव—कोटा सहकारी बैंक को राजस्थान अपेक्स बैंक बनाया जाय, यह मुद्दा था। माननीय सदस्य ने फरमाया कि उसके ऑफिस की जयपुर के लिए माँग की थी। मेरी माँग का सवाल नहीं है। कोटा कोऑपरेटिव बैंक के रिप्रेज़ेन्टेटिव राजस्थान कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक के रिप्रेजेन्टेटिव के बीच मिटिंग हुई और उसके बीच तय पाया कि वे यह मिटिंग में मन्जूर करवा देंगे और न मन्जूर करवायें तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी सूचना आई थी कि वे मन्जूर नहीं करवा सके। बाद में यह कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष—मुद्दा तो बाकी रह गया।

(हंसी)

श्री रोशनलाल—मुद्दा बताया, मुद्दा समझ में नहीं आया कि मुद्दा क्या था ?

श्री अमृतलाल यादव—मुद्दा बाकी नहीं रहा है। वह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जयपुर में कायम हो चुका है।

श्री कंवरलाल जेलिया—कौनसी विशेष सुविधाओं की वजह से कोटा कोऑपरेटिव बैंक की हिस्सेदाराना पूँजी इतनी होते हुये भी कोटा में कायम नहीं किया गया और जयपुर में किया गया ? ऐसा कौनसा विशेष कारण था ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए प्रकाश डाल देना जरूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि अपेक्स बैंक को रिजर्व बैंक फाइनेन्स करेगा और ऐसी सूरत में उसकी सलाह और नियमों का मानना आवश्यक हो जाता है। उनकी सलाह और उनका कहना यह था कि कोटा कोऑपरेटिव बैंक जो है वह अपेक्स बैंक में प्रोमोट नहीं होना चाहिये। यह डेफिनिट राय थी रिजर्व बैंक की और उस डेफिनिट राय की वजह से उसको हम वहाँ नहीं कर सकते थे। फिर भी उनकी बातों को गवर्नमेन्ट ने ध्यानपूर्वक सुना और......

श्री अध्यक्ष—It is a very lengthy reply.

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य डिटेल्स चाहते हैं। वैसे संक्षेप में तो मैंने पहले कह दिया।

श्री लालबहादुर—जवाब स्पष्ट नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—Then put half an hour discussion.

प्रश्न संख्या ५३४
आबू का प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखना

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Chief Minister please state whether proper arrangements are being made by the Government to have Rajasthan's case for Abu represented in a satisfactory manner before the States Re-organization Commission recently set up by the Government of India ;

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—जी हाँ।

प्रश्न संख्या ५३५

राजस्थान के पूर्व नरेशों को निःशुल्क जल तथा बिजली दी जाना

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--Will the Chief Minister please state ?

(a) Will the Chief Minister please give any reason for the omission of the Government to fix the limit for free consumption of electric light and water allowed to the ex-rulers of the various integrating States of Rajasthan ?

(b) Is he further aware that most of these ex-rulers are consuming electric light and water at an incredibly high rate and that the Government is thus being put to an undue loss of lacs of rupees per annum ?

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

(c) Will he please state if the Government is even at this stage prepared to take any early steps to remedy this state of affairs ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) Government are already seized of this matter and proposals for fixing suitable ceilings for quantity of water and electricity supplied free of cost to the Rulers in consonance with the terms of their private property settlements are being formulated. It is hoped that the matter will be finalised soon.

(b) It is not correct that most of the ex-Rulers in Rajasthan are receiving electricity and water free of cost. In accordance with the private property settlements, only three rulers; viz. of Jaipur, Jodhpur, and Bikaner and the members of their families are entitled to this privilege in respect of their residences.

(c) Already covered by (a) above.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The reason of the omission to fix the limit has not been given ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्राइवेट प्रोपर्टी सेटलमेन्ट को नेशनलाइज़ करने के लिए कदम उठाया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तक कोई कदम न उठाने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—प्राइवेट प्रोपर्टी सेटलमेन्ट को अब तक छूना पसन्द नहीं किया गया था। अब नेशनलाइज़ करना, छूना पसन्द किया है क्योंकि सरकार प्रोग्रासिव है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अब तक इसके लिए कदम नहीं उठाया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस समय कारण तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उस वक्त का पत्र व्यवहार मेरे सामने नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—नेशनलाइज करते समय क्या एग्रीमेन्ट की शर्तों का ध्यान रखा जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—एग्रीमेन्ट को हम सुपर्सीड हुआ समझते हैं।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या एग्रीमेन्ट में कोन्सोनेन्स विथ दी एग्रीमेन्ट (Consonance with the agreement) शब्द थे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ४३६

दण्ड-अन्वेषण सम्बन्धी राजस्थान पुलिस को आधुनिक वैज्ञानिक रीति से शिक्षित करना

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) What are the measures which are being taken to train the Rajasthan Police in modern scientific methods of criminal investigation ?

(b) Will he further state if the Rajasthan Police has any tear gas apparatus ?

(c) Will the Government please consider the feasibility of providing each police thana with a jeep so as to augment the mobility, efficiency and usefulness of the police force ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) पुलिस वैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिए सामान तो खरीदा जा चुका है और राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की योजना भी चालू है। विविध विषय, जिनका प्रशिक्षण शीघ्र चालू होने वाला है—के व्याख्यानों की तैयारी के लिए, जरूरी साहित्य इकट्ठा किया जा रहा है।

(ख) राजस्थान पुलिस के पास अश्रु गैस यन्त्र है। निम्नलिखित तीन हैडक्वर्टरों पर अश्रु गैस का एक छोटा सा समुदाय है जिसमें एक सब इन्सपैक्टर, दो हैड कॉस्टेबल और १२ कांस्टेबल्स हैं :

(१) जयपुर (२) बीकानेर (३) जोधपुर।

(ग) हर एक पुलिस स्टेशन के लिए जीप की व्यवस्था करने के लिए निधि का अभाव है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—कभी यह टीअर गेस काम में भी लाई गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ जरूरत हुई होगी वहाँ काम में लाई गई होगी।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या कोई स्थान बता सकते हैं जहाँ पर यह गैस काम में लायी गयी हो ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए डेफिनिट सवाल की आवश्यकता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या उदयपुर और कोटा में टिअर गैस न रखने का कोई खास कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—खास कारण तो यही है कि वहाँ ज्यादा शान्ति रही है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या ये तीनों स्थान शान्ति वाले नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह माननीय सदस्य खुद ही सोच सकते हैं।

प्रश्न संख्या ५३७

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह, विभाजन संख्या १६.

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३८

श्री अध्यक्ष—राजा श्री मानसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३९.

खेतड़ी, सूरजगढ़ तथा सिघाना आदि कस्बों में बेरोजगारी की बढ़ती

श्री रघुवीरसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि खेतड़ी, सूरजगढ़ तथा सिंघाना आदि कस्बो में बेरोजगारी अत्यन्त बढ़ी हुई है ?

(ख) सरकार इस दिशा में क्या प्रयत्न कर रही है ?

(ग) क्या इस क्षेत्र में किसी प्रकार का गृह-उद्योग स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं हुई है।

कोई प्रश्न नहीं उठता।

सीप व वूल ग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट के ट्रेनिंग सेन्टर्स, रींगस, सीकर, झुंझुनू में खोले गये हैं जिनमें खेतड़ी सूरजगढ़, सिघाना क्षेत्र भी आ जाता है। इन सैन्टरों के खोलने से यह आशा की जाती है कि ऊनी उद्योगों में काफी उन्नति होगी और बेरोजगारी अगर है तो उसे हटाने में सहायता देगी।

[श्री जयनारायण व्यास]

खेतड़ी के इन्जिनों के विषय में यह ज्ञात नहीं है कि उनकी क्या दशा है ?. खेतड़ी का इलाका भाकरा नांगल स्कीम के अन्तर्गत है' इसलिये उस पॉवर हाउस पर नये सिरे से खर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

बिड़ला ब्रदर्स खेतड़ी सिंघाना एरिया में माइनिंग का काम बन्द है.। वे इसको दुबारा शुरू करना चाहते हैं और राजस्थान सरकार व भारत सरकार से आर्थिक सहायता माँगते हैं।

इनके पुनारम्भ होने की सम्भावना है।

श्री रघुवीरसिंह—सरकार ने इसके लिए कितना अमाउन्ट बजट में रखा है ?

श्री जयनारायण व्यास—बजट के फीगर्स आप ही देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य—क्या श्रीमान् के यह ध्यान में है कि उक्त इलाके के बहुत से लोग बेरोजगारी से तंग आकर घर-बार छोड़कर चले गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--कुछ इलाकों से लोग बाहर चले गये हैं; इसका बेरोजगारी उतना कारण नहीं जितना कि कुछ लोगों का आंतक।

एक माननीय सदस्य—सरकार के ध्यान में यदि यह लाया जायगा कि वे लोग बेरोजगारी से तंग आकर घर-बार छोड़कर भागे हैं तो क्या सरकार उनको रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ तक हो सकेगा काम दिया जायगा।

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह बात सही है कि वहां बेरोजगारी के कारण लोग भेड़ वगैरह को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री जयनारायण व्यास—ऐसी बात सरकार के ध्यान में नहीं है.।

चौ० श्री मोतीराम—वहां आंतक किसका है ?

श्री जयनारायण व्यास—कुछ जरायम जाति के लोग हैं, चोरी वगैरह ज्यादा करते हैं इसलिये वे लोग वहां से चले गये।

श्री मोतीराम--ऐसे लोगों का सरकार इन्तजाम नहीं कर सकती ?

श्री जयनारायण व्यास--कोशिश की जा रही है। एक दफा जो लोग चले गये वे तो चले ही गये।

श्री रोशनलाल—वे किस जाति के लोग हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--किसी जाति-पांति से मतलब नहीं।

एक माननीय सदस्य--बिड़ला ब्रदर्स की जो कम्पनी है वह कब तक चालू हो जायगी।

श्री जयनारायण व्यास--बिड़ला ब्रदर्स के प्रतिनिधियों से मेरी वार्ता हुई थी। वे उस फेक्ट्री को वापिस चालू करने की स्थिति में अपने आपको नहीं पाते। उनका कहना है कि वे १० लाख रुपये इसके लिए खर्च कर चुके हैं और इससे ज्यादा खर्च करने की वे आशा नहीं करते। वे विदेशी पूँजी भी लाने की कोशिश कर रहे थे, शायद उसमें उन्हें सफलता न मिली हो। ऐसी हालत में जब तक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स है या उसको बीच में खत्म कर दिया जाय, तब तक उस एरिया के बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री सन्तोषसिंह—जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने फरमाया भेड़ें राजस्थान से बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती तो क्या सोजत आदि इलाकों से हजारों भेड़-बकरी एक्सपोर्ट नहीं होती हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मेढ़े होते होंगे; मेढ़े और भेड़ अलग-अलग हैं।

प्रश्नसंख्या ५४०

सन् ५२-५३ व ५३-५४ में हरिजनों पर सवर्णों द्वारा विभिन्न डिविजनों में हमले इत्यादि

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में सन् ५२-५३ व ५३-५४ में हरिजनों पर सामुहिक रूप से सवर्णों द्वारा हमला करने तथा भूमि व अन्य सम्पत्ति को नष्ट करने की घटनाएँ किन-किन डिविजनों के किन-किन जिलों में कितनी हुई हैं ? और वे कहां कहां हुई हैं ?

(ख) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाया गया है ?

(विराम)

जसवन्तसिंह—क्या हो गया ? उत्तर देने में देर क्यों ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--आज मुख्य मन्त्री जी इतने अटक क्यों रहे हैं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह अलग सवाल है आपका।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह अहम् सवाल है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यह प्रश्न ऐसा है कि जिसके जवाब अभी तक आ रहे हैं और फिर भी पूरे जवाब नहीं आ सके हैं। इसलिये वेक्युम हो रहा है और विचार कर उत्तर देना भी मैं समझता हूँ, बेवकूफी नहीं है।

पूरे फिगर्स अभी तक प्राप्य नहीं हैं, फिर भी कुछ अंश नीचे दिये जाते है।

५१-५२ में १५७

५२-५३ में १७५

और १५-३-५४ तक २६

डिविजनवाइज़ फिगर्स तो हैं किन्तु डिस्ट्रिक्टवाइज़ फिगर्स अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री वी० एन० जोशी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी......

श्री अध्यक्ष—पूरी इन्फॉर्मेशन आ जावे तो फिर सवाल पूछियेगा। Yes, Question No. 541

प्रश्न संख्या ५४१

राजस्थान में निर्वाचनों तथा उप-निर्वाचनों में अध्यापकों इत्यादि को टी० ए०, डी० ए० मिलना

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Will the Chief Minister please state:

What are the reasons which have prevented the payment of T. A. & D. A. etc. to a large number of teachers and other employees of the education and other Departments of the Government for the duties performed by them in connection with General Elections and by-Elections in Rajasthan ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—आम चुनाव यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों के अभी तक भुगतान न किये जाने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) आम चुनाव फरवरी, १९५२ में पूरे हुये थे और यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के तमाम दावे स्वाभाविक रूप से लगभग ३ महीने के समय के अन्दर, अर्थात् अधिक से अधिक जून, १९५२ तक प्रस्तुत किये जाने और तय हो जाने चाहिए थे लेकिन इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विभिन्न निर्णयों से स्वभावतः अधिकांश स्थानों में विचारों में बहुत गड़बड़ी फैल गई और विचार की इस गड़बड़ी के कारण ही ऐसे मामलों के तय करने में इतना अधिक विलम्ब हुआ है।

[श्री जयनारायण व्यास]

(२) यात्रा और दैनिक भत्तों के बिल पहले तो विभागीय अध्यक्षों को प्रस्तुत किये गये पर उनका कोई निर्णय नहीं हुआ क्योंकि विभागों में इस व्यय के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तब ये बिल सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टरों) को भेजे गये लेकिन वहां भी इनका निर्णय नहीं हो सका क्योंकि वहां भी इसके लिये फंड्स की कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार द्वारा इस मामले का अन्तिम रूप से निर्णय होने तक इस शीर्ष के अन्तर्गत फंड्स की समय रहते व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। भारत सरकार ने इसका अन्तिम रूप से निर्णय जुलाई, १९५२ में किया। उस समय तक बहुत से व्यक्तियों के तबादले हो गये थे जिसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग बहुत समय तक दावे पेश नहीं कर सके। इन दावों का थोड़े-थोड़े करके निबटारा करने का अर्थ यह होता कि निर्वाचन विभाग द्वारा फंड्स के लिये बारबार मांगें की जातीं जो स्वभावतः अच्छा नहीं लगता।

इन दावों के निबटारे में विलम्ब का दूसरा कारण यह है कि आम चुनावों के संचालन के लिये नियोजित व्यक्ति सम्पूर्ण राज्य में फैले हुये हैं और जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टरों) से इस सम्बन्ध में संघनित विवरण मंगाने में समय लगता है। फिर जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचना लेखे की दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं होती और स्थिति को स्पष्ट करने के लिये बारबार लिखना और पूछना आवश्यक हो जाता है।

इन कठिनाइयों के होते हुए भी इन यात्रा और दैनिक भत्तों के दावों और अन्य संभावित व्ययों का एक संघनित विवरण अब तैयार कर लिया गया है और यह आशा की जाती है कि ये बकाया जल्दी अगले साल की शुरू में ही साफ कर दी जायंगी। खेद है कि बहुत सी कठिनाइयों के कारण इन यात्रा और दैनिक भत्तों के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो सका।

भारत सरकार के विभिन्न निर्णयों के विवरण तैयार हैं। अगर आप चाहें तो मैं बोल दूँ।

(विराम)

विवरण सदन की मेज पर रख दिया है। (कृपया परिशिष्ट, २ देखिये)

(विराम)

उपचुनाव--उन समस्त निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनाधिकारियों से, जहां १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में उप चुनाव हुये थे, उन समस्त अधिकारियों के, जिन्होंने उपचुनावों में कार्य किया है, यात्रा और दैनिक भत्तों के दावों का भुगतान कर देने को कह दिया गया है और अभी तक भुगतान न करने की कोई शिकायत विभाग के पास नहीं आई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस बात को दो साल हो गये और ५४ का भी मार्च महीना हो गया और इलेक्शन दो साल पहले ही समाप्त हो गया, तो दो साल तक इन गरीब आदमियों को जो भत्ता नहीं दिया गया तो क्या इसी का नाम सुव्यवस्था है?

श्री जयनारायण व्यास—यह सुव्यवस्था या कुव्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन व्यवस्था का अभाव था, इसलिए ऐसा हुआ।

ये चुनाव जो हुए अचानक ऐसी हालत में हुए कि जब डिपार्टमेन्ट के पास बजट था, वह लोगों को पता नहीं था। यह बात ठीक है कि लोगों के बिलों के बारे में सर्कुलर तफसील में नहीं भेजा जा सका था और इससे क्या प्रोसीजर इस मामले में लिया जाता यह लोगों को मालूम नहीं हो सका और इतने बड़े चुनाव-कार्य को देखते हुए ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक था।

श्री जसवन्तसिंह—तो क्या फिर भी दो साल का अर्सा इसको सुधारने के लिए काफी नहीं समझा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—काफी समझा गया है, तभी तो सारे मामले इकट्ठे करके ला पाये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह डिले इस वजह से हुई कि बिल गलत बने थे या अकाउन्टेन्ट जनरल के ऑफिस से इनके लिए एतराज किया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं उत्तर दे चुका हूँ कि अकाउन्टेन्ट जनरल के ऑफिस में भी एतराज तभी होता है जब कुछ न कुछ डिस्क्रिपेंसी रह जाती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि अकाउन्टेन्ट जनरल के विभाग ने उसको, डिटेल्ड खर्चे का हिसाब नहीं देने की वजह से कठिनाइयाँ उपस्थित कीं ?

श्री जयनारायण व्यास—खर्चे का हिसाब तब तक पूरा नहीं दिया जा सकता जब तक सारे बिल पेश नहीं हों। सारे बिल इलेक्शन डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचे और वे अपने-अपने डिपार्टमेंटों में घूमते रहे और चूँकि वे सब अपने-अपने डिपार्टमेन्ट्स में थे इसलिये बिल पेश नहीं किये जा सके और वे बिल इस वास्ते घूमते रहे कि इस बात का उनको अनुभव नहीं था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५४२

राजस्थान में इस वर्ष नये औषधालय खुलना विशेषतया चित्तौड़ जिले में

श्री सुगनचन्द जैन—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने औषधालय इस साल नये खोले गये हैं और किस जिले में कितने-कितने खोले गये हैं और किस-किस जगह पर ?

(ख) क्या चित्तौड़ जिले में भी नये औषधालय खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

[श्री सुगनचन्द जैन]

(ग) क्या यह सही है कि चित्तौड़ जिले के कई स्थानों से इस प्रकार की मांग की गई थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सूची टेबिल पर रख दी गई है। (कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ख) जी हां, सालमगढ़ में।

(ग) जी हां।

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल।

प्रश्न संख्या ५४३

सम्वत् २००३ में भरतपुर में मुसलमानों के भाग जाने के कारण किसानों द्वारा भूमियें शरणार्थियों को काश्त के लिए दी जाना

श्री तेजपाल—क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन्हें पता है कि भरतपुर जिले में जो किसान सम्वत् २००३ में मुसलमानों की भूमि काश्त करते थे उनसे, मुसलमानों के भाग जाने के कारण, वह भूमि छीन कर शरणार्थियों को दे दी गई है ?

(ख) यह किस हुक्म के तहत किया गया है ?

(ग) जिन किसानों से उक्त प्रकार का रकबा लिया गया है तो क्या और कोई रकबा उन्हें किसी अन्य जगह दिया गया है ?

(घ) यदि दिया गया है, तो कितनों को और कहां-कहां दिया गया है ?

(ङ) यदि नहीं दिया गया तो किन कारणों से ?

(च) क्या सरकार निकट भविष्य में ही उनको बदले में भूमि देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है।

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) ये बाकी के प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

श्री जयनारायण व्यास—(क) हां ।

(ख) मूर्ति के साथ उस चोर को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(ग)......

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह कौनसे प्रश्न का उत्तर है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं प्रश्न संख्या ४४ सुन रहा था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि इस प्रश्न पर भूतपूर्व मत्स्य सरकार ने जांच करने के लिए कोई कमेटी बिठाई थी ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे ध्यान में यह बात नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि इस कमेटी ने यह राय दी थी कि २००३ तक के किसानों को वापिस एक्जोर्ब कर लिया जावे, उन्हें रिजेक्ट न किया जावे ?

श्री अध्यक्ष—He says the question does not arise.

श्री अमृतलाल यादव—२००३ तक के किसी भी काश्तकार को रिजेक्ट नहीं किया गया और अगर ऐसी चीज कहीं नोटिस में आई सरकार के तो उसके लिए कार्यवाही की गई और वापिस वह जमीन उनको दिलवाई गई है और इसलिए मैंने जवाब दिया कि उनको रिजेक्ट नहीं किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसकी जाँच करने के लिए भूतपूर्व मत्स्य सरकार ने एक कमेटी नियत की थी और उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, क्या मन्त्रीजी को इसकी सूचना नहीं है ?

श्री तेजपाल—माननीय मन्त्रीजी का मकसद है, उस कमेटी ने भी यही रिपोर्ट की कि २००३ के काश्तकारों को रिजेक्ट नहीं किया जावे और इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि वह रिजेक्ट नहीं की गई; फिर उस कमेटी का मायना क्या होता है ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य ने गलत समझा है, ऐसा लगता है ।

श्री तेजपाल—माननीय मन्त्रीजी ने यह जो जवाब दिया है कि कोई भी रिजेक्ट नहीं किया गया, यह सही नहीं है; बहुतों को रिजेक्ट किया गया है ।

श्री अमृतलाल यादव—आपकी इस सूचना के लिए धन्यवाद और अगर ऐसे किसी काश्तकार के बारे में सरकार को सूचना दी जावेगी तो कार्यवाही की जावेगी ।

Page No.26

श्री तेजपाल--मैं इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय से मिल चुका हूँ और वे भी मिल चुके हैं। चार-पाँच गाँवों के सभी लोग कई बार इसकी रिपोर्ट कर चुके हैं पर अभी तक जमीन उनको वापिस नहीं मिली है, इसका क्या कारण है ?

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर-हियर')

श्री अमृतलाल यादव--माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह ठीक नहीं है। उन्होंने जिन काश्तकारों के लिए कहा था उनकी जांच की गई, उनमें जो सं० २००३ के काश्तकार नहीं थे उनके लिए उस तरह की कार्यवाही की गई और जो २००३ के काश्तकार थे उनके लिए उस प्रकार की कार्यवाही हुई। सब मामलों में मेरिटवाइज़ डिसीज़न होगा।

(सरकारी पक्ष द्वारा 'हियर-हियर')

श्री तेजपाल—सात साल से बराबर कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिली है और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर-हियर')

श्री अमृतलाल यादव—जमीन पर काश्त करने से ही काम नहीं चलता है, उनको यह साबित करना होगा कि वह सं० २००३ के काश्तकार हैं।

("हियर हियर" विपक्ष की ओर से)

श्री रोशनलाल—जो काश्तकार आपके पास आये थे उनमें २००३ के कितने थे और २००२ के कितने थे ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे पास रोज काश्कार आते रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ही उनका डिसीजन होता रहता है।

श्री कपिलदेव—क्या उन काश्तकारों का जिक्र है जो तेजपालजी के साथ आये थे ?

श्री तेजपाल—मेरे साथ आने का सवाल नहीं है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम--उन २००२ के काश्तकारों में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का सवाल था।

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—(अश्रव्य)

श्री अमृतलाल यादव—वह प्रश्न भी आ रहा है। मैं उसके साथ ही जवाब दूँगा, माननीय सदस्य संतोष रखें।

प्रश्न संख्या ५४४

कोटा के मथुरेश बिहारी की चोरी का पुलिस में मुकद्दमा

श्री भैंरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कोटा के मथुरेश बिहारी की मूर्ति की चोरी का कोई पुलिस में मुकद्दमा बना है ?

(ख) यदि हाँ, तो उस मुकद्दमें का क्या हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि मूर्ति मिल जाने के बाद में कोटा में नहीं लाई जा सकी है ? यदि हाँ, तो क्यों नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री) —हाँ।

अभियुक्त महंत और उसके साथी कैद कर लिये गये थे लेकिन वे न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जतीपुरा गाँव के एक मन्दिर में से कोटा के एक पुलिस अधिकारी द्वारा मूर्तियां बरामद की गई थीं। २५,००० रुपये की दो अलग-अलग जमानतों के सुपुर्दगीनामें पर मूर्तियाँ वापिस दे दी गईं थीं।

मथुरा के सब-डिवीजनल-मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई कि वे मूर्तियों को कोटा लौटाने का प्रबन्ध करें, लेकिन उन्होंने सूचित किया कि उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच ने दण्ड विधि संहिता की धारा ५२८ के अन्तर्गत स्थगन आदेश जारी किया है, इसलिये सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट द्वारा वे मूर्तियाँ कोटा नहीं भेजी जा सकीं।

श्री कानसिंह—यह मुकद्दमा किस अदालत में जेरतज़वीज़ है।

एक सदस्य—सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट।

श्री दिलीपसिंह (कॉंग्रेस)—मेरा एक प्रश्न है कि इन मूर्तियों से साथ १०-१२ लाख के जो जेवरात चोरी हुए थे वे बरामद हुए या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह मामला मूर्तियों की चोरी का था और प्रश्न भी मूर्तियों के सम्बन्ध में था।

श्री दिलीपसिंह—वह जेवरात भी मूर्तियों के साथ थे।

श्री भैंरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो मूर्तियाँ पकड़ी गईं वे कहाँ है ?

श्री जयनारायण व्यास—वे जतीपुरा के मन्दिर में हैं, यह मैंने पहले बता दिया था।

श्री कानसिंह—क्या मूर्तियाँ अदालत की तहवील में हैं या मुलाजिमान के पास ?

श्री जयनारायण व्यास—वह २५ हजार की २-२ जमानत लेकर जतीपुरा में रखी गई हैं। स्टे ऑर्डर दिया गया है, हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में इसलिए वह मूर्तियाँ वहीं हैं।

श्री कानसिंह—२५ हजार की जमानत क्या मुलाजिमान ने दी है ?

श्री भैरूँसिंह—क्या वे मूर्तियाँ पुलिस के मालखाने में हैं या उनकी पूजा हो रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—वे जतीपुरा के मन्दिर में हैं क्योंकि सरकार उनको पुलिस के मालखाने में डालकर हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती।

श्री कानसिंह—क्या मूर्तियों की शक्लें भी बताई गई हैं ? (हँसी)

क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि मूर्तियों का आइडेन्टीफिकेशन हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री जयनारायण व्यास—आइडेन्टीफिकेशन हो चुका है और बरामद होने के बाद में जमानत पर छोड़ी गई हैं।

श्री कानसिंह—मूर्तियां (अश्रव्य) लाया जाना चाहिए।

(हँसी)

श्री दिलीपसिंह (कांग्रेस)—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मेरी अर्ज यह है कि इन मूर्तियों के साथ १०-१२ हजार का जेवर चोरी हुआ था, वह भी बरामद हुआ या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न अलग है। जेवरात का अलग से किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ५४५

राजस्थान में छटनी की नीति से सेवाओं से मुक्त विभिन्न विभागों के राज्य कर्मचारी

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में रिट्रेन्चमेंट की नीति के आधार पर कितने कर्मचारियों को राज्य की सेवाओं से मुक्त किया गया और किस-किस डिपार्टमेंट से ?

(ख) सन् १९५३-५४ में सरकार द्वारा कितनी नयी नियुक्तियाँ की गईं ?

Page No.29

[श्री भैरूँसिह वि० सं० १६]

(ग) नई नियुक्तियों में कम किये गये कितने कर्मचारियों को लिया गया और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) राजस्थान के विभिन्न विभागों में से ३५ अफसरों को राज्य की सेवाओं से मुक्त किया गया। सबोर्डिनेट्स, मिनिस्टीरियल तथा क्लास फोर्थ सर्विसेज़ के विषय में विभिन्न हेड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त करनी होगी, जिसमें समय लगेगा।

(ख) अफसरों की १२६ नई नियुक्तियाँ हुई हैं। सबोर्डिनेट, मिनिस्टीरियल के सम्बन्ध में सूचना हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स से एकत्रित करनी होगी, जिसमें समय लगेगा।

(ग) ६ कम किये गये अफसर पुनः नियुक्त हुए थे। सबोर्डिनेट, मिनिस्टीरियल तथा क्लास फोर्थ के विषय में सूचना हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट से एकत्रित करनी होगी, जिसमें समय लगेगा।

श्री संतोषसिह कछवाहा—यह जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें २५ वर्ष से ज्यादा के कितने हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—क्या ?

श्री अध्यक्ष—२५ वर्ष से ज्यादा की कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है कि २५ वर्ष सूचना प्राप्त करने में लगेंगे।

श्री भैरूँसिह—जो नई नियुक्तियाँ की गई हैं उनमें कम किये गये मुलाजिमों की संख्या ८ क्यों है ? आपने अभी बताया कि कम किये गये व्यक्तियों में से ८ को न्यू एप्वाइन्टमेंट में लिया गया है।

श्री जयनारायण व्यास—८ की ही आवश्यकता होगी।

श्री भैरूँसिह (वि० सं० १६)—आपने अभी, जो नई नियुक्तियाँ की हैं उनमें ८ से ज्यादा जो परसन्स कम किये गये थे, उनको क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—जिन लोगों को रिट्रेन्च्ड किया गया है, उनमें से ८ को ही क्यों लिया गया है, एब्ज़ोर्ब किया गया है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Out of 25 new appointments, why were retrenched people not given preference ?

श्री जयनारायण व्यास—Because, suitable retrenched people were not available.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५४६

सन् १९५३-५४ में अवकाश प्राप्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति

श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)--क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५३-५४ में कितने रिटायर्ड ऑफिसर्स को रिएम्प्लॉय किया गया ?

(ख) रिएम्प्लॉयमेंट के क्या विशेष कारण हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस रिएम्प्लॉयमेंट की स्वीकृति पी. एस. सी. से नहीं करवाई गई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) २१ ।

(ख) पुनःनियुक्ति सिर्फ विशेष परिस्थितियों में तथा प्रशिक्षित तथा अनुभवशील व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण की जाती है ।

(ग) राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रेग्युलेशन, १९५१, के आर्टीकल ८ के अनुसार २ साल तक की अवधि के लिए पुनःनियुक्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिनको वापिस लिया गया है उनको रिटायर क्यों किया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास--रिटायर इसलिए किया गया था कि उनको एक्सटेन्ड करने में सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, रिएप्वाइन्ट करने में कम खर्च करना पड़ता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनको रिएप्वाइन्ट किया गया है और उन्होंने रेज़िग्नेशन दे दिया था और रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट हो चुके थे ?

श्री जयनारायण व्यास—आवश्यकता हुई होगी तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियाँ हुई होंगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ऐसे लोगों का रिएप्वाइन्टमेंट करते वक्त मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—जिन नियुक्तियों में मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की जरूरत होती है उनमें मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है और जिनमें जरूरत नहीं होती उनमें मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की आवश्यकता नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इसमें से कुछ ऐसे सज्जन हैं जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और हेल्थ के प्वाइन्ट ऑफ व्यू से काम की देखभाल करने के काबिल नहीं हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—बुजुर्ग भी बराबर नियुक्त किये जा सकते हैं और कई स्थानों में बुजुर्गों की आवश्यकता होती है। जिनको नियुक्त किया गया है वे काम करने के योग्य हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ऐसी जाँच मेडिकल ऑफिसर से कराई गई है या विभागीय तौर पर ?

श्री जयनारायण व्यास--जिस वक्त जिस तरह की जाँच की आवश्यकता हुई होगी उस तरह की जाँच की है।

प्रश्न संख्या ५४७

कस्बा रायला, भीलवाड़ा में मेडिकल डिस्पेन्सरियें, औषधालय खोलना

श्री किस्तूरचन्द—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) डि० भीलवाड़ा, तहसील बनेड़ा में कस्बा रायला भी है ?

(ख) इस कस्बे की जनसंख्या दो-दो मील एरिया को मिला कर कुल कितनी हो जाती है ?

(ग) तो क्या वहाँ पर मेडिकल डिस्पेन्सरियाँ, औषधालय खोलने की मरजी है ?

(घ) क्या यहाँ पर दवाईखाना खुलाने बाबत समय-समय पर यहाँ के एम. एल. ए. ने व जनता ने माँग नहीं की ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) रायला की आबादी करीब ४००० है और इसके दो-दो मील एरियाज़ को मिला कर कुल करीब ६००० जन संख्या हो जाती है।

(ग) एक औषधालय खोल दिया गया है।

(घ) जी हाँ।

श्री किस्तूरचन्द—यह कब से खोला गया है ?

कुम्भाराम आर्य--१६ दिसम्बर, १९५३ को आज्ञा जारी कर दी गई है।

Page No.32

श्री रोशनलाल—वैद्य वहाँ पहुँचा है या नहीं ?

श्री शम्भूसिंह—वह औषधालय आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वैद्य की हाजरी की रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री रोशनलाल—कब तक आ जायेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वहाँ तार व डाक का इन्तजाम ठीक नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो जवाब दिया जा रहा है वह जवाब संतोषजनक नहीं है। खास तौर से सवाल जो पूछा जा रहा है तो, माननीय मन्त्रीजी के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह इसका जवाब दें। जबकि यह सवाल पूछा गया है कि औषधालय खुला या नहीं तो इसका वे जवाब देते हैं कि डाक-तार की व्यवस्था नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं खोला गया है, आदेश जारी कर दिये गये हैं। १६ दिसम्बर, १९५३ को जारी किये गये थे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आदेश तो जारी कर दिये गये हैं लेकिन उसकी तामील हुई या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—तामील उसकी हुई है।

श्री किस्तूरचन्द—दवाइयाँ कब तक पहुँच जायेंगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दवाइयाँ पहुँच गई हैं।

श्री मानसिंह महार—May I know, Sir, if any Vaidya has reached ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पिछले महीने में कितने मरीजों में दवाइयें वितरण हुई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसके लिए नोटिस चाहिये।

श्री रोशनलाल—दवाइयाँ तो पहुँच गई; पर कोई मरीज पहुँचा या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बीमार नहीं पहुँचा।

श्री रोशनलाल—कोई बीमार नहीं पहुँचा तो क्या वह डिस्पेन्सरी उठा दी जायगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसके लिए सरकार सोचेगी।

श्री रोशनलाल—कब सोचेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कुछ टाइम इन्तजार करने के बाद।

Page No.33

श्री मानसिंह महार—Is it a fact, Sir, that no Vaidya has reached that dispensary so far ?

श्री कुम्भाराम आर्य—गलत है ।

(हँसी)

प्रश्न संख्या ४४८

सन् १९४७ में राजस्थान छोड़ कर नहीं जाने वाले मुसलमानों को उनके मकान व भूमि वापिस दिलाना

श्री तेजपाल—क्या पुनः स्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सन् १९४७ में जो मुसलमान राजस्थान छोड़कर नहीं गये और अपने ही जिले में एवं अन्य जिलों में रहते रहे, उनके मकान और भूमि उनको वापिस करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

(ख) यदि कोई आपत्ति नहीं तो सरकार उनको उनकी भूमि और मकान कब वापस कर रही है ?

(ग) यदि इसमें कुछ देर है तो कम से कम शहरों में बसने वालों को क्या साधारण नागरिक की भाँति सरकारी निजूल आदि की जमीन दिलाई जाने का सरकार प्रबन्ध करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)—सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों को कानून और नियमानुसार उचित कार्यवाही करनी होगी ।

(ख) कानून और नियमानुसार उनके द्वारा कार्यवाही करने और जाँच सम्पन्न होने पर ।

(ग) साधारण नागरिक की भाँति ऐसे मुसलमान भी सरकारी नजूल आदि की भूमि प्राप्त करने में सर्वथा स्वतन्त्र है ।

श्री तेजपाल—जब मेवों को उनकी जमीन, मकान आदि मिल चुके हैं, तो वहाँ के गैर मेव मुसलमान जो हैं उनको मिलने में क्या ऐतराज है ?

श्री अमृतलाल यादव—जैसा कि मैंने अभी बताया, मेवों और गैर-मेव मुसलमानों में विशेष अन्तर है । मेवों की विशेष समस्या थी और उसको भारत सरकार की आज्ञा से विशेष प्रकार से तय किया गया है और अभी तक उनको भूमि और मकानात पर स्वतन्त्र अधिकार नहीं दिये गये हैं । उन्हें केवल पुनः बसाया गया है । अन्य मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है वे अपने जिले को छोड़ कर दूसरे जिले में चले गये । उनको इवेक्यु प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी; यह

Page No.34

[श्री अमृतलाल यादव]

नहीं कि यह मेरा मकान या मेरी जायदाद है, इसलिए मुझे दे दी जाय। उनको कानून के अनुसार पूरी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री रोशनलाल—जिन्होंने साबित कर दिया उनको उनकी जमीन जायदाद मिल गई ?

श्री अमृतलाल यादव—अवश्य मिल गई।

श्री रोशनलाल—कितने लोगों को मिल गई।

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग सवाल है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्राक्कलन समिति के निर्वाचित सदस्यों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—I have to inform the Hon'ble Members that as a result of the elections held on the 25th March, 1954 the following Members have been declared elected to the Estimates Comittee for the year 1954-55:—

1. Shri Gulab Chand Kasliwal.
2. Shri Jawan Singh.
3. Kr. Shri Jaswant Singh.
4. Shri Tan singh.
5. Shri Tej Mal Bapna.
6. Shri Damodar Vyas.
7. Shri Bishambhar Nath Joshi.
8. Shri Bhim Singh.
9. Shri Bhairon Singh, Division No. 11,
10. Shri Mathura Das Mathur.
11. Shri Moti Lal Chowdhry.
12. Shri Lal Bahadur.
13. Shri Ved Pal Tyagi.
14. Shri Sampat Ram.
15. Shri Harideo Joshi.

(विराम)

Shri Ram Karan Joshi.

कु० श्री जसवंतसिंह—He has not been elected ?

श्री अध्यक्ष—No, no. He has been declared in absentio.

राजस्थान नगर-समिति (संशोधन) विधेयक, १६५४

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ (अमेंडमेन्ट) बिल, १६५४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष— Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री रामकरण जोशी—मैं उक्त विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान लगान-दर निश्चयन तथा वैधकरण विधेयक, १६५४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide the basis for alteration of rent-rates and to validate rent-rates determined previously in accordance with some cases.

श्री अध्यक्ष--Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष—We, now resume discussion on the Demand on Forest.

Shri Harideo Joshi.

माँग संख्या ४—वन

श्री हरिदेव जोशी—[To discuss the (a) Private property of the ex-rulers (b) retrenchment (c) difficulties of the tribal areas.]

अध्यक्ष महोदय, कल से वन विभाग की माँगों के बारे में वाद-विवाद चल रहा है। उसके लिए मैंने अपना एक कटौती प्रस्ताव पेश किया है। जहाँ तक वन विभाग का सम्बन्ध है मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ कि वन हमारे प्रान्त की अमूल्य सम्पत्ति है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार आज वन-विभाग की व्यवस्था है यदि यही व्यवस्था चलती रही तो इस अमूल्य शक्ति का नाश हो जायगा। पिछले दिनों कई बार कई ऐसे कारण पैदा हुए हैं जिससे कई जिलों में बहुत बुरे ढङ्ग से वनों की कटाई हुई है। उदाहरण के तौर पर हम बाँसवाड़ा जिले में जावें तो पता चलेगा कि काफी जंगल बेतरतीब काट डाले गये। इसी तरह राजाओं को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में जो जंगल दिये गए वे भी बहुत से काट दिये गए और उनकी कोई तरतीब नहीं रही। एक तरफ हम

[श्री हरिदेव जोशी]

रेगिस्तान में जंगल लगाने की व्यवस्था करते हैं और दूसरी ओर जंगल काटे जाते हैं। परिणाम यह होता है कि न तो जो एफोरेस्टेशन करना चाहते हैं वह सफल होता है और न कोई इसकी तरक्की होती है। यदि यही हालत रही तो यह सम्पत्ति नष्ट हो जायगी। यह कुछ लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है और कुछ वन-विभाग के अफसरों की अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। अभी फोरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ आदमियों की कमी और की जा रही है और कमी होने वाली है। इस कमी का परिणाम यह होने वाला है कि लगभग ४०-४० मील की दूरी पर एक भी फोरेस्ट गार्ड नहीं होगा। आज भी फोरेस्ट की कटाई इसलिए होती है कि वहाँ पर छोटे कर्मचारी कम होते हैं। कोई आदमी, जिस समय उसको लकड़ी की जरूरत होती है, जंगलात की चौकी पर जाता है और जब देखता है कि यहाँ फॉरेस्टर नहीं है तो चुपचाप लकड़ी काट कर ले जाता है। कई बार अव्यवहारी ढङ्ग से कई टैक्सेज़ लगाये जाते हैं और कानून बनाये जाते हैं जिससे जरूरत की लकड़ी जल्दी से नहीं मिल सकती और उसकी एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। एक समय था जब जंगल के निवासी उस जंगल पर अपना अधिकार समझते थे और जंगल की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य मानते थे। आज हालत यह है कि वे जंगल को बेगाना समझते हैं और सरकार उन्हें चोर समझती है, इसके कारण जंगल के निवासियों के दिमाग पर प्रतिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप काफी जंगल जला है। एक जमाना था जब कभी जंगलों में आग लगती थी तो जो लोग इन जंगलों से फायदा उठाते थे उनकी भीड़ की भीड़ आग को बुझाने के लिए दौड़ी जाती थी। इन जंगलों पर निर्भर करने वाले वे लोग जान को जोखिम में डाल कर भी जंगलों की आग को बुझाते थे। पर, आज चूँकि वन-विभाग ने ऐसे कानून बनाये जिसका परिणाम यह हुआ कि आज आग लग जाय तो भील लोग या दूसरे लोग जंगल की आग को बुझाने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इसका परिणाम यह हुआ कि जंगल के जंगल बर्बाद हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम ले। बाँसवाड़ा का एरिया, डूँगरपुर का एरिया, भीलवाड़ा का एरिया और राजस्थान के उदयपुर का दक्षिणी एरिया, जिसे हम जंगलों का एक क्षेत्र कह सकते हैं, इस क्षेत्र के ट्राइबल एरिया में लोगों के साथ सोच-समझ कर काम लिया, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सरकार ने काम लिया तो जंगलों की सम्पत्ति बच जायगी और जो यदि आज की ही नीति बरती गई तो जंगल नष्ट हो जायेंगे।

भूतपूर्व राजस्थान में चीफ कंज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स श्री नंदन भार्गव के जमाने में ऐसे कानून बने, वे कोटा के थे, उनको भील क्षेत्र का अनुभव नहीं था। परिणाम यह हुआ कि सारे के सारे जंगल कटने लगे। इसके बाद सरकार ने रियायत देने की सोची, पर इतनी खींचातान के बाद रियायत दी, सौ खुराफातें हुईं; फिर सरकार ने एक तरह से वही चीज दी। परिणाम यह हुआ कि जंगलों को हानि पहुँची। आज भी यह प्रश्न उतना ही बड़ा है और लटका हुआ है, इसका हल १९४८ से अब तक नहीं हुआ। ७ वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार क्या सुविधाएं देना चाहती हैं, इसका फैसला नहीं हुआ। परिणाम यह है कि जंगलों की समस्या आज भी लटकी हुई है।

Page No.37

[श्री हरिदेव जोशी]

दक्षिणी राजस्थान में आप जाइये वहाँ पर रेवेन्यू का उतना आतंक नहीं जितना कि वहाँ जंगलात का आतंक है। जंगलात के नाकेदार और दूसरे कर्मचारी लोगों के घरों में घुस जाते हैं और हर अव्वाम को तंग करते हैं कि यह लकड़ी कहाँ से लाये, वह लकड़ी कहाँ से लाये। कई बार उनकी नीति ऐसा करने में सरकार को फायदा पहुँचाने की नहीं, बल्कि रिश्वत लेने की होती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ केसेज़ के पास हैं जिनके जरिये पेड़ काटे गए। एक पास है जिसके जरिये ४ महीने पहले १६-१-५२ को एक पेड़ काटा गया है। उसके चार्जेज़ किये (अश्रव्य) ५ रुपये। इसके बाद फोरेस्ट के दूसरे अधिकारी जाते हैं और कहते हैं कि सुबूत करो कि तुम यह कहाँ से लाये? इस तरह से उसे डरा-दबा कर ६) रुपए और वसूल करते हैं। माननीय अध्यक्ष, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस स्थिति में फोरेस्ट विभाग के अधिकारी जनता के साथ बहुत बेजा ढङ्ग का बर्ताव करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक और केस है जो मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। बांसवाड़ा जिले के (अश्रव्य) (नौकोड) गाँव में सन् १९१० में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक आदमी को एक जमीन में काश्त करने की इजाजत दी गई, उसके पास पट्टा है फिर भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी जाकर उसको काश्त करने से रोकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कैसी बात है? एक विभाग जिससे यह काम सम्बन्धित है वह तो काश्त करने की इजाजत देता है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी धांधली करके उसे काश्त करने से रोक देते हैं। अब जाकर वह आदमी सही साबित हुआ है और अभी अभी उसे इजाजत दे दी गई है कि वह वहाँ काश्त करें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह फोरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी जनता को दिक करते हैं। वे इसलिए करते हैं कि बेजा तौर पर जनता से पैसा वसूल करें। इस तरह वसूल किया हुआ पैसा बहुत कम, कभी कभी सरकार के पास पहुँचता है और अधिकांश ये लोग ही खा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बाँसवाड़ा जिले के एक रेंजर का उदाहरण पेश करूँगा। चिड़िया वासा में ओंकार नाथ नाम का एक रेंजर है। उसके खिलाफ, लोगों के पास से रिश्वत लेने की शिकायत हुई। कंजर्वेटर ऑफ फोरेस्ट आया और ५० रु० रिश्वत के लिए हुए वापिस लौटवाये। इसके कुछ दिन बाद चीफ कंजरवेटर फोरेस्ट वहाँ पहुँचते हैं और इस मामले की जाँच करते हैं। रेंजर और उसके सहयोगी आदमी थे, उनमें से दो छोटे कर्मचारियों को सस्पेन्ड करते हैं और ओंकारनाथ को वहाँ से हटाते हैं। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरेस्ट खुद लिख कर गये हैं कि कंजरवेटर फोरेस्ट ने रेन्जर द्वारा ली गई रिश्वत को अपने हाथों से वापिस लौटाया है, फिर भी उस ओंकारनाथ को रिइन्स्टेट किया गया है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट का राजस्थान में आतंक है, इसकी एक और मिशाल मैं पेश करना चाहता हूँ। कांटोल में नेत्रभानसिंह या इसी प्रकार के नाम का एक रेंजर था। बांसवाड़ा जिले में उसके आतंक की कहानियाँ बनी हुई हैं जो उनके खून के ऊपर जी रहे थे। फोरेस्ट डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ शिकायतें की गई परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि उनके खिलाफ जो वाजिब कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह नहीं की गई। यह देखा गया है कि उच्च

[श्री हरिदेव जोशी]

अधिकारी कई बार कई खास लोगों के साथ ऐसा रुख रखते हैं कि शिकायतें होने पर भी उनको सजा नहीं देना चाहते, नहीं तो कोई कारण नहीं कि उनको सजा न मिले। जो रियायतें भीलों को दी गई हैं उनको रेंजर व अन्य अधिकारी नहीं देते हैं, उनको सताया जाता है, उनसे रिश्वतें ली जाती हैं। फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास शिकायतें की जाती हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, इसका कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि जंगल के प्रति बहुत ही उपेक्षा की नीति बरती जाती है और जंगल को एक माइनर पोर्टफोलियो मान रखा है। जितना खनिज पदार्थों के बारे में और दूसरे आमदनी के जरियों के बारे में ध्यान दिया जाता है उतना जंगल की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जंगल नष्ट होते हैं पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अध्यक्ष महोदय, अब भी समय है। यदि समय रहते नहीं चेता गया तो दक्षिणी राजस्थान में जहाँ अधिक से अधिक लकड़ी उपलब्ध होती है वहाँ दाँत कुरेदने के लिये भी लकड़ी नहीं मिलने वाली है। आज ठेके देकर कोयलों के लिये लकड़ी काटी जाती है। जो लोग सदियों से जिस ढङ्ग से लकड़ी का उपयोग करते आये थे: डूंगरपुर, बाँसवाड़ा आदि क्षेत्रों के रहने वाले भील हों चाहे ब्राह्मण हों, चाहे वैश्य हों या और किसी भी जाति के हों, उनको यह अधिकार रहा है कि जलाने के लिये लकड़ी सिर पर उतनी उठा कर घर ले आवें और जलाने के काम में लावें उतनी ले जावें; पर उन्हें आज जो जंगलात की चौकियां लगी हुई हैं वे रोकती हैं। इससे सरकार को आमदनी तो नगण्य होती है किन्तु सरकार अपने प्रति दुर्भावना मोल लेती है। ऐसी छोटी-मोटी चीजों से सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अगर इनसे सरकार को नुकसान होता हो तो कोई भी विशेषाधिकारी बताये कि इससे सरकार को यह नुकसान होता है।

सिरोही जिले में पलास की जड़ को रहट की माल के लिये काम में लाया जाता है। मुफ्त में किसान इसे काम में लाते रहे हैं, पर अब यहाँ के नाकेदार उनको रोकते हुए देखे जाते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि हमारी यह भावना हमें कहाँ ले जायगी ? इसी का परिणाम है कि सरकार फोरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में लोगों की दुर्भावना मोल लेती जा रही है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि आज जगह-जगह जंगल बेजा ढङ्ग से काटे जा रहे हैं। सरकार के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जो है वह यह कि लोग यह समझने लगे हैं कि हमारे लिये जंगल कोई काम की चीज़ नहीं है, सरकार के कानून-कायदों से जंगलों से हमें कोई फायदा नहीं। सरकार को चाहिये था कि गैर कानूनी ढङ्ग से जंगलों को बरबाद होने से रोकने वाले लोगों का स्टाफ बढ़ाती, मगर आज हम देखते हैं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट में छोटे कर्मचारियों को रिट्रेन्च किया जा रहा है। १९४९ के कर्मचारियों को टेम्पोरेरी करार दे दिया गया और कुछ लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि बड़े-बड़े अधिकारी बढ़ाये जाते हैं और छोटे अधिकारियों को कम करते हैं; आज भी इस विभाग में छोटे-छोटे कर्मचारियों की कमी है और इसी कमी के कारण जंगलों की देख-भाल अच्छी तरह से नहीं हो सकती है और देख-भाल अच्छी तरह से न होने के कारण जंगल प्रायः समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूँगा कि छोटे-छोटे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई

[श्री हरिदेव जोशी]

जानी चाहिये ताकि लोगों की आदत चोरियें करने की नहीं हो और वे चोरों को रोक सकें। लेकिन हो क्या रहा है? बड़े-बड़े अधिकारी जो केवल पोस्ट ओफिस की तरह काम करते हैं उनमें तो वृद्धि होती है किन्तु छोटे-छोटे अफसरों में कमी की जाती है, बड़े अधिकारियों को कम नहीं किया जा रहा है। फोरेस्टर, गार्ड्स आदि जिनकी जंगलों की रक्षा के लिये बहुत जरूरत है वे कम किये जा रहे हैं। जब हम उनको हटाते हैं तो फिर चोरियों को पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। वे ही लोग चोरियों को पकड़ते हैं, इससे ज्यादा चोरियें होंगी। जंगल की रखवाली कौन करेगा? मेवाड़ से मुंडावा तक ३० मील का जंगल है, वहाँ ३० मील के जंगल के लिये एक फोरेस्टर रहता है। अगर इस तीस मील जंगल से कोई आदमी लकड़ी काट कर ले जावे तो कौन उसको रोकने वाला रहेगा। वह फोरेस्टर ३० मील जंगल की रखवाली अकेला नहीं कर सकता। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त के डूंगरपुर और भीलवाड़ा की सरहद बम्बई प्रान्त की सरहद से मिलती है। बम्बई प्रान्त के व्यापारी भी वहीं आकर अपना व्यापार करते हैं और हमारे व्यापारी भी अपना व्यापार करते हैं। फासला दोनों के केवल दो फर्लाङ्ग का ही है। अगर वहाँ से लकड़ी काट कर दो फर्लाङ्ग पर बम्बई के व्यापारियों को दे दी जावे तो उसको कौन रोकने वाला है? आज भी वहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं है। इसकी वजह यह है कि छोटे अधिकारियों को कम करके हम बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। बड़े अधिकारी तो ऐसा काम कर नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर ३७००) रु० की तनख्वाह पाने वाले चीफ कन्ज़र्वेटर ओफ फोरेस्ट रहे हैं। इतनी बड़ी तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति ने आखिर कितने मील जंगल लगाये और कितना काम राजस्थान में किया? यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, असली तथ्य यह है कि छोटे कर्मचारियों की कमी से फोरेस्ट कम होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँगा कि जो फोरेस्ट राजा-महाराजाओं को दिये हैं वे लोग उनसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और ज्यादा पैसा ले रहे हैं, बनिस्बत सरकार के। हमको इस चीज से नसीहत लेनी चाहिये और फोरेस्ट के जो नियम हैं उनको नर्म करके लोगों को राहत देनी चाहिये। मगर होता यह है कि बजाय इसके कि लोगों को राहत दी जानी चाहिये, हो यह रहा है कि नित नये टैक्स फोरेस्ट में बढ़ाये जा रहे हैं, लोगों पर जुर्माने करके जंगलात का महकमा अपनी आय बढ़ाना चाहता है। लेकिन यह बेजा नीति है और इसे हमें छोड़ देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जंगलों को काटने के लिये जो वर्किंग प्लान बनाए जाते हैं वे प्लान अच्छे नहीं है। वृक्षों को काटने के लिये उनकी उम्र ३३ या ३७ वर्ष मान ली गयी है और उसके अनुसार उनके कूप बना कर उन्हें काटना शुरू कर दिया जाता है। मगर इसके विरोध में यह कहूँगा कि जहाँ एक कूप काटने के लिये काटा जाना चाहिये वहाँ एक का कूपन लेकर एक से ज्यादा कूप काट लिये जाते हैं और उनमें कई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी उम्र प्लान के अनुसार नहीं होती। मगर जब कूप काटे जाते हैं उस समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि इसके काटने से गाँव वालों को क्या नुकसान होगा।

[श्री हरिदेव जोशी]

इसके अलावा फोरेस्ट डिपार्टमेंट में बाउन्डरी का सर्वे और डिमार्केशन जो हो रहा है वह इस प्रकार से हो रहा है कि कई खेतों के पास तक जंगलात विभाग की बाउन्डरी आ लगी है। इससे उस खेत के रहने वालों को बहुत तकलीफ आज नहीं तो कुछ दिन बाद अवश्य होगी। डूँगरपुर में गंगावा और रेसत गाँवों की सीमा के अन्दर गाँव के घरों के पास तक रक्षित जंगल की सीमा लाई गई है। गाँव के लोगों के लिये कई वर्षों के बाद जानवरों के चराई के लिये कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन वहाँ पर मकान बने हुए हैं। वे मकानात तो वहाँ पर रहेंगे और फारेस्ट डिपार्टमेंट के भी लोग वहाँ पर रहेंगे। अगर उस मकान वाले का छोटा बच्चा भी उस जंगल में खेलता हुआ कभी चला जावेगा तो जंगल में घुसने का जुर्म किया हुआ वह लड़का माना जावेगा। मगर मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार का जुर्म करने के लिये स्थिति पैदा कौन करता है? इस प्रकार की स्थिति सरकार खुद पैदा करती है। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो कार्य हो रहा है उसको रोका जावे।

इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ है और हम देखते हैं कि बगैर स्थिति को देखे हुए और समझे हुए हमारे यहाँ सी० पी०, यू० पी० अथवा डान के जंगलों से नियम मँगा कर यहाँ पर लागू कर दिये जाते हैं और उन नियमों पर चलने की कोशिश की जाती है। मैं यह कहूँगा कि वहाँ की परिस्थितियें और यहाँ की परिस्थितियें अलग-अलग हैं। दिल्ली में जो रेलवे लाइन है उसको अगर दिल्ली से हटा कर यहाँ जयपुर स्टेशन पर डाल दी जाए तो मैं समझता हूँ कि डिरेलमेंट हो जावेगा और हमारे यहाँ रेलगाड़ियें नीचे गिर जावेंगी। उसी तरह अगर आप सी० पी० के कानूनों को यहाँ पर लागू करेंगे और उन पर चलने की कोशिश करेंगे तो लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इससे मैं समझता हूँ कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज हम इस भ्रम में हैं कि नये-नये टैक्स लगा कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर यह आमदनी बढ़ने की नहीं और इस आमदनी को बढ़ाने के लिये जो जंगल काटे जाते हैं तो मैं यह निश्चितरूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान के पास १० साल के बाद अपना कोई निजी जंगल नहीं होगा और कुछ ही समय बाद जहाँ पर आज जो जंगल नजर आ रहे हैं वह इलाका भी शेरगढ़ या बाड़मेर की तरह हो जावेगा और वहाँ पर भी रेगिस्तान बन जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले छोटे-छोटे कर्मचारियों को हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं, वह उचित नहीं है और हमें उस पर सोचना चाहिये कि यदि ये छोटे कर्मचारी नहीं रहेंगे तो जंगलों से जो चोरियें होती रहेंगी उनको रोकेगा कौन? मैं कहना चाहता हूँ कि आज सप्लाई डिपार्टमेंट के सर्प्लस (surplus) क्लर्क्स एब्सोर्ब (absorb) किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जहाँ व्यक्तियों की आवश्यकता है, वहाँ से उन्हें हटाया जा रहा है। सप्लाई डिपार्टमेंट के सर्प्लस व्यक्तियों को एब्सोर्ब करने के लिये सरकार से एक सरक्युलर निकल चुका है कि उन लोगों को एब्सोर्ब किया जावे और उनको निकाला नहीं जावे। सप्लाई डिपार्टमेंट आज हटाया जा रहा है, मगर फोरेस्ट डिपार्टमेंट तो आज भी कायम है और कायम रहेगा। फोरेस्ट डिपा-

[श्री हरिदेव जोशी]

टेंमेंट में राजाओं के समय में छोटे कर्मचारियों को ज्यादा तादाद में रखा जाता था और वे लोग जंगल की रखवाली करने के जिम्मेवार थे और राजा लोग और उनके कर्मचारी ज्यादा अच्छे और होशियार थे। वे कम जिम्मेदार नहीं थे और इस बात को बहुत समझते थे कि छोटे कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है।

यह कहा जाता है कि छोटे कर्मचारी हटाए जाने का कारण इन्टीग्रेशन है। वे लोग एक रियासत के जमाने में वनों की रखवाली करते थे और पहले के राजा और शासक इस बात को देखते थे कि उनको किन-किन व्यक्तियों को रखना जरूरी है और जब उनको रखने की जरूरत महसूस होती तो कहीं जाकर उनको नौकर रखते थे। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूँगा कि छोटा स्टाफ रखना बहुत आवश्यक है और आज का जो स्टाफ जंगलों की सुरक्षा के लिये है वह काफी नहीं है। हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि जंगल रखे जावें और जंगलों को कायम रखने के लिये छोटे कर्मचारियों को रखना बहुत जरूरी है। मगर हो यह रहा है कि छोटे आदमियों को हटा कर बड़े आदमी रखे जाते हैं, जो जंगलों की रक्षा सही माने में नहीं कर सकते और न चोरी करने वालों को रोक सकते हैं। मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एस० डी० एफ० और एफ० ओज़० के हैड क्वार्टरों को कम क्यों किया जा रहा है? इससे जंगलों की बरबादी होगी।

आज जो वन-महोत्सव के रूप में लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है यदि उन पैसों को बचा लिये जावें और जहाँ-जहाँ फोरेस्ट नहीं हैं वहाँ पर फोरेस्ट लगाने के लिये खर्च किया जावे, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा। आज हम देखते हैं कि हजारों रुपया वन-महोत्सव मनाने में लगाया गया और उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करूँगा कि जो आँकड़े वन-महोत्सव में लगाए गये पेड़ों के मिलते हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि हम नाहक में एक बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं और जितना परिणाम हमें मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के जो फालतू खर्चे हैं उनको रोक कर छोटे कर्मचारियों को बढ़ाया जावे और किसानों को जंगल की लकड़ी आदि निजी काम के लिये काटने के सम्बन्ध में राहत दी जावे, तो मैं समझता हूँ कि जंगलों की रक्षा होगी वरना यह जंगल हमारे पास रहने वाले नहीं, ये नष्ट हो जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ......(घंटी)

दो मिनट और बोलना चाहता हूँ।

पहले किसानों को खेती के लिये उदयपुर स्टेट में लकड़ी लेने के लिये इजाजत थी। उसी प्रकार डूँगरपुर, बांसवाड़ा में भील व खेती करने वाले दूसरे लोगों को लकड़ी अपने खेती के काम के लिये ले जाने की इजाजत थी। उस समय उन लोगों को यह विश्वास था कि जब कभी हमको लकड़ी की जरूरत होगी हमको मिल जावेगी......

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मगर आज ये पाबन्दियाँ लगाने के कारण से ही उन लोगों के दिमाग में अविश्वास पैदा

Page No.42

[श्री हरिदेव जोशी]

हुआ है। वे यह सोचते हैं कि सरकार उनको परेशान करती है, उन पर पाबन्दियाँ लगाती है, उसकी वजह से "हम खायें नहीं तो ढोल दें"; यह वृत्ति उनमें पैदा हुई है। इन चीजों को रोकने की जरूरत है। हमें उन लोगों को सुविधायें देकर शान्त करना चाहिए और साथ ही बेजा फायदा उठाकर चोरी करने और कराने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना चाहिये। यह तभी कर सकते हैं जब कि छोटा-छोटा जो स्टाफ है उसको कम नहीं किया जाय। डी० एफ० ओ० और अन्य अफसर रखे जाने से तो जंगल नष्ट होने से नहीं बचेंगे और चोरियाँ बन्द नहीं होंगी। फोरेस्ट की चोरियां को रोकने के लिए एक मात्र साधन हैं गार्ड्स और फोरेस्टर्स। एस० डी० एफ० ओ० डी० एफ० ओ० तो केवल सुपर्विज़न (supervision) करने वाले अधिकारी हैं, कागज निकालने वाले अधिकारी हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—खेतसिंह।

("वे बोल चुके हैं" इस तरह की सदन में आवाज)

श्री श्रीदास गोयल—मैं बोल दूँ, मैं जल्दी ही खत्म कर दूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री तनसिंह।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर—[To discuss the failure of the Government to relieve the hardships of the cultivators of Udaipur district for bringing wood for agricultural purposes]

माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि मेरे मित्र श्री हरिदेवजी जोशी ने बताया कि इस जंगलात विभाग से जितना उदयपुर डिवीजन पीड़ित है वैसा और किसी विभाग से पीड़ित नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, उदयपुर डिवीजन में जंगल बहुत हैं और लोगों के पास बहुत छोटी-छोटी जमीनों के टुकड़े हैं, आमदनी का और दूसरा कोई जरिया नहीं है और मुख्यतया आदि काल से उन्हीं छोटे-छोटे टुकड़ों पर, जंगलों पर आश्रित होकर चले आ रहे हैं। तो मैं उनके बारे में निवेदन करूँगा कि उनको इस तरह की खेती और जंगलों पर आश्रित रहना पड़ता है। तो माननीय उपाध्यक्षजी, आज के जमाने में और इस समय में और इस सदन में यह बात कही गई है, यह बात उठाई गई है कि जंगल राष्ट्र का धन है। यह बात अच्छी है। यह बात ठीक भी जँचती है कि जंगलों की रक्षा हो, लेकिन एक तरफ तो यह स्लोगन (slogan) सरकार की तरफ से सुनते हैं और दूसरी तरफ ठेकों के द्वारा जंगलों का बड़ा-बड़ा रकबा नष्ट होता हुआ हम देखते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। जंगलों में रहने वाले भील लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि जंगल राष्ट्र का धन है और उनको नष्ट नहीं करना चाहिए तो सरकार यह क्यों कर रही है, सरकार जंगलों को नष्ट करा रही है; तो हम बे-

[श्री सोहनलाल भटनागर]

जवाब हो जाते हैं। एक तरफ तो जितने राजा-महाराजा हैं उनका उन पर अधिकार चला आ रहा है और वे जिस मनोवृत्ति से जंगलों को नष्ट कर रहे हैं उनको देखते हुए हमारा मुँह बन्द हो जाता है। मैंने पहले निवेदन किया कि उदयपुर डिवीजन पहाड़ी क्षेत्र है और उदयपुर जिले के दक्षिणी तरफ वह पहाड़ी हिस्सा है जिसको बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूँगरपुर कहा जाता है। उनमें किसान बहुत है और खास तौर पर भील बहुत हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि पुराने राजस्थान ने जंगलों में रहने वालों के लिए, उनको राहत पहुँचाने के लिए कानून बनाये। लेकिन उनकी किस तरह से पाबन्दी हो रही है हमें देखकर बड़ा दुख होता है। यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं देख रहा हूँ कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कहने को तो कहा जाता है कि हल, चावड़, गेंट के लिए लकड़ी जंगलों से मुफ्त में लाने के लिए सरकार ने विज्ञप्ति निकाल दी है, किन्तु उनका कहाँ तक पालन होता है यह विचारणीय और दुखभरी बात है।

मैं आपको निवेदन करूँगा कि ६०-७० गाँवों के पीछे एक फोरेस्टर रहता है और जब किसानों के खेती का समय आता है तो किसान फोरेस्टर के पीछे मारे-मारे फिरते हैं। अगर फोरेस्टर किसी दूसरे गाँव हुआ तो किसान एक गाँव से दूसरे गाँव में उसके लिये जाता है, कभी वह छुट्टी चला जाता है तो कभी मिलता नहीं। तो जब कि एक फोरेस्टर के पास ६०-७० गाँव है तो किसानों को बड़ी मुश्किल हो जाती है और उनको बराबर समय पर लकड़ी नहीं मिल पाती। फिर किसानों और भीलों को मजबूर होकर जंगलों में जाकर लकड़ी लानी पड़ती है। जो सुविधा किसानों और भीलों को आपने दे रखी है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनको समय पर लकड़ी मिल सके।

दूसरी बात यह है कि जंगलों के जो अधिकारी हैं, जहाँ-जहाँ कूप्स है और पास का सिस्टम है वहाँ बड़ा दुरुपयोग होता है। जब किसान पहुँचता है तो उसको इन्कार कर दिया जाता है कि कोई पास इश्यू नहीं किया जा सकता; एक रुपया, दो रुपया, चार रुपया लेकर फिर पास काटते हैं। जब मैं गाँवों में जाता हूँ तो यह समस्या सामने आती है, सैंकड़ों-हजारों लोग शिकायते करते हैं कि फलाने फोरेस्टर ने बिना रिश्वत लिये पास नहीं काटा। यह बात सलूम्बर में ही नहीं है बल्कि काफी जगह है। कई फोरेस्टर्स और रेन्जर्स को बरखास्त किया गया था और मैं निवेदन करूँगा कि उन बरखास्त किये हुए व्यक्तियों को वापिस रिइन्स्टेट किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर दयालसिंह नाम के फोरेस्टर को तीन साल पहले हटा दिया था किन्तु उसको वापिस, अपील लेकर मौजूदा चीफ कन्ज़र्वेटर ने, कहते हैं कि जो उनके भाई लगते हैं, रिइन्स्टेट कर दिया गया। इसी तरह से वेडावल फोरेस्टर था। वह ठेकेदार से मिल गया था और उन्होंने हजारों की संख्या में लकड़िया कूपों से कटवा डाली। इस पर डी० एफ० ओ० और कन्ज़र्वेटर को दरख्वास्तें की गई, उसको हटा भी दिया गया किन्तु वापिस उसको रिइन्स्टेट कर दिया गया। ठेकेदार का ठेका भी केन्सल नहीं किया गया। मैं निवेदन करूँगा कि यह फोरेस्ट विभाग नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का अड्डा है और जनता इससे परेशान है। नवम्बर मास में जब माननीय मंत्री महोदय सलूम्बर में आये थे तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग

[श्री सोहनलाल भटनागर]

एकत्रित हुये थे। लोगों ने अपने दुखों को बताया और उन्होंने आश्वासन दिय कि वे उनका निराकरण करेंगे किन्तु आज तीन मास गुजर गये, उसके बारे में जूँ तक नहीं रेंगी। मैं निवेदन कर दूँ कि उदयपुर डिवीजन की फोरेस्ट समस्या एक महान् समस्या है, गम्भीर समस्या है, अगर इस गम्भीर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारा इस सदन में बैठना भी निरर्थक होगा।

(राज्य-पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री रोशनलाल शर्मा—मेरे पहले कुछ साथियों ने वन विभाग.....

श्री उपाध्यक्ष—Let us finish cut motions first.

("कट मोशन्स पहले आने चाहिए" इस तरह की सदन में आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—श्री शम्भुसिंह।

श्री अमृतलाल यादव—He has withdrawn it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच० के० व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री वेदपाल त्यागी।

श्री धूलजी भाई—[To discuss the irregularities prevalent in the Department]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जंगलों के बारे में आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँगा। मेरे पहले बोलने वालों ने इस पर काफी प्रकाश डाल दिया है। बांसवाड़ा जिले का जंगल हमारे उदयपुर डिविजन में सबसे बढ़िया जंगल माना जाता था। इन गत दो सालों में इन जंगलों की ओर सरकार का ध्यान न होने से करोड़ों रुपये की क्षति गवर्नमेन्ट को उठानी पड़ी है। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था इन जंगलों की होनी चाहिये थी, नहीं हुई। इसी कारण वहाँ पर इतनी बरबादी हुई है। इस तरह से तीन साल के करीब दो करोड़ रुपये की लकड़ी दूसरे प्रान्तों में चली गई जो वहाँ जाकर कोड़ी के भावो में बिकी है। बाँसवाड़ा से मध्यभारत और गुजरात का हिस्सा मिला हुआ है, इसलिए बोर्डर की जनता इसका दुरुपयोग कर रही है। वे लोग वहाँ के जंगलों को बरबाद कर रहे हैं। उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए कोई व्यवस्था न होने से वे लोग जंगलों से आकर लकड़ी काटते रहे और दूसरे प्रान्तों में ले जाकर बेचते रहे। जिस लकड़ी से हम पाँच रुपये पैदा कर सकते थे वही लकड़ी चार आने, आठ आने में पचीस मील की दूरी पर जाकर बिकी। अगर सरकार ने कबाड़ को कटवाकर अपने पास उस लकड़ी का गोदाम किया होता तो हमारे राजस्थान में कबाड़े की जो कमी

[श्री धूलजी भाई भवसार]

है उसकी पूर्ति होती, राजस्थान में इसकी बहुत आवश्यकता है। कबाड़े का गोदाम किया होता तो करोड़ों रुपयों की आमदनी सरकार को हो सकती थी। लेकिन सरकार ने इस ओर तवज्जुह नहीं दी। इसके अलावा हमारे जिले में इस लकड़ी की इतनी पैदावार है, अगर सरकार इस तरफ अच्छी तरह से ध्यान दे तो सरकार इससे कई तरह के फर्नीचर बनवा सकती है और वह फर्नीचर राजस्थान के महकमों में काम आ सकता है। वह कीमत में भी बहुत कम पड़ता है और सुन्दर फर्नीचर भी उससे बन सकता है। आज हमारे बाँसवाड़े में सरकारी कार्यालयों या स्कूलों में फर्नीचर चाहिये तो जोधपुर से टेन्डर कॉल किये जाते हैं। इस तरह से नाजायज खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है। सही तौर पर जंगल विभाग को सुरक्षित करने के लिए सरकार को उपाय सोचने चाहिये ताकि जंगल सुरक्षित रह सकें और जंगलों की आमदनी बढ़ सके। मैं सरकार को इस से ओर ध्यान देने की प्रार्थना करूँगा।

जो जंगल बरबाद करने वाले लोग हैं, जो बोर्डर पर रहते हैं वहाँ जंगलात के आदमी घूम नहीं सकते। वहाँ के लोग इस प्रकार के हैं कि वहां जंगल का गार्ड और फोरेस्ट का रेन्जर भी नहीं निकल सकता। इन लोगों की बेईमानी और बदमाशियों का परिणाम दूसरों को सहन करना पड़ता है।

जो लोग शहरों के आसपास रहते हैं जो शहरों के पास गाँव हैं उन पर नाजायज दबाव डालकर महसूल की दर वसूल की जाती है। इस प्रकार कबाड़े की लकड़ी का गबन करते हैं और दूसरे प्रान्त में बेचते हैं। कर्मचारी अपनी कारगुजारी को बचाने के लिए यह करते हैं कि दौरा करेंगे जब कि किसानों की खेती का समय होगा या बरसात के दिन होंगे। तभी वे दौरा करते हैं। उस समय जा कर वे यह करते हैं कि किसी किसान के पास एक साल पहले की लकड़ी अगर पड़ी हुई होगी तो उसकी जाँच करेंगे और उससे पैसा माँगेंगे अथवा जब पैसा नहीं देंगे तो उसी समय पंचनामा बनाकर २५ से लेकर १०० रुपये तक का दंड वसूल किया जाता है और ऐसा किया गया है। वे किसान लोग ऐसे समय में अपनी खेती को छोड़ कर बाँसवाड़ा नहीं आते। इसी प्रकार जो अमानत की रकम ले जाते हैं उस पर किसी प्रकार का केस भी चलाया नहीं जाता। कभी कभी तो पचास-पचीस रुपये अमानत रखवा लेते हैं तभी वे अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से लोगों को बड़ी भारी आफत हो जाती है। एक दफा जिससे दंड वसूल कर लिया जाता है, फिर भी दूसरी दफा फिर फोरेस्ट के दूसरे आदमी जाते हैं और फिर तंग करके दो चार रुपये या ज्यादा की रिश्वतें लेते रहते हैं और तब छोड़ते हैं। इस प्रकार के केसेज हमारे यहाँ बहुत होते हैं क्योंकि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वे कानून कायदों को तो जानते नहीं और वे लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए सरकार को चाहिये कि वह लकड़ी पर छाप लगावे, जिस लकड़ी का महसूल लिया गया है उस लकड़ी पर छाप लगाई जाय; नहीं तो बार-बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री से निवेदन करूँगा कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

किसानों को जो लकड़ी खेती के लिए सरकार की ओर से देने का नियम है वह समय पर उनको नहीं दी जाती। गार्ड समय पर नहीं घूमते क्योंकि वे अक्सर शहरों में रहा करते हैं,

[श्री धूलजी भाई भवसार]

अपने हैडक्वार्टर में नहीं रहते। कभी किसानों को खेत में जाकर हल में कुछ लगाने की जरूरत होती है तो वह लकड़ी काट कर लगा लेता है। उसी लकड़ी का २०–२५ रुपया जुरमाने के नाम से रिश्वत ली जाती है, यह गलत तरीका है।

हम लोगों ने उस इलाके में घूम-फिर कर शिकायतें इकट्ठी कीं। ऐसी शिकायतें भी हमारे पास हैं जिनसे दो-दो दफा दण्ड एवं महसूल वसूल किया गया, फिर भी जंगलों की उसी प्रकार बरबादी हो रही है। जंगल काटने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने के बजाय बेगुनाह किसानों पर मुकदमे चलाये गये। ऐसे सैंकड़ों केस हमारे पास हैं। अभी चार-छः महिने पहले एक भ्रष्टाचार एवं रिश्वत की बात सरकार के सामने रखी। मैं भी उस इन्क्वायरी में शामिल था। इस प्रकार की बातों के सैंकड़ों हमारे पास प्रमाण हैं। अगर सरकार इस विषय में जाँच कमेटी बिठावेगी तो हम सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि हमारी करोड़ों की सम्पत्ति इस महकमें में भ्रष्टाचार के कारण नष्ट हो रही है। आज उन कस्बों में भोले किसान रहते हैं जो यदि कोई नाजायज बात कर लेते हैं, अपने भोलेपन के कारण एक लकड़ी ले लेते हैं तो गैर कानूनी तरीके से उनको इतना सताना किसानों के लिए बड़ा अहितकर है और किसानों को बिना कारण सताया जाता है। इसलिए आदिवासियों को जो राहत सरकार द्वारा दी गई है उसके मुताबिक इस तरीके से काम किया जाय जिससे कि उनको राहत मिल सके। इस प्रकार जो मुसीबत किसान को होती है उससे किसान बड़े दुखी व असन्तुष्ट हैं।

रिश्वत के बारे में आपको बताऊं कि हमने प्रत्यक्ष बांसवाड़े में ७००) रुपये वापस फोरेस्टर उदयपुर-डिविजन के सामने दिलवाये। तीन-चार गावों के अन्दर ८००) रुपये, हमने पास रहकर, उन लोगों के बयान लेकर प्रत्यक्ष केन्जर्वेटर, फोरेस्ट उदयपुर और डी. एफ. ओ. के सामने उन गाँव वालों को वापस दिलवाये। बांसवाड़ा रेंजर व कर्मचारी गार्ड को मोत्तिल किया गया, पर फिर भी आज वही रेन्जर सरविस में कायम रखा गया है और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि सजा देनी चाहिये थी। जिस व्यक्ति ने ७०० रुपये किसानों से रिश्वत के रूप में लिए और जाँच करने पर उनको वापिस दिलवाये वे रेन्जर भी आज सर्विस में उसी प्रकार मौजूद हैं, जब कि उसके खिलाफ रिश्वत की बात साबित हो गई। फिर भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। ऐसे आदमी को सर्विस के अन्दर नहीं रखना चाहिये। बाँसवाड़ा और घाटोल तहसील की ऐसी बातों को बता सकता हूँ जहाँ जंगलों के लिए सरकार कोई योजना-बद्ध काम नहीं कर रही है, जिसके कारण किसानों को बहुत भारी कठिनाई हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय उचित कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)—[1. To discus the mismanagement of the Department.

2, To discuss the failure of the Government in putting such schemes which can provide employment to the labourers and income to the Government.]

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग पर दो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। उनमें पहला कटौती का प्रस्ताव है इस डिपार्टमेन्ट में फैली हुई अव्यवस्था के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, अव्यवस्था का एक मूल अंग है इस महकमें में फैला हुआ भ्रष्टाचार। आज सत्तारूढ़ दल की ओर से यह सुन कर कि यह डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है मैं इस बात के लिए सन्तोष करके कि सत्तारूढ़ पार्टी को भी भ्रष्टाचार के बारे में बहुत जानकारी है, मुमकिन है कि उनकी इस जानकारी का फायदा माननीय मन्त्री महोदय उठायेंगे; इस कारण भ्रष्टाचार के विषय में कोई बात न कह कर मैं अपने आपको उन अड्डों में घुसाना नहीं चाहता। इन अड्डों की विशेष जानकारी उन्होंने सदन के सामने रख ही दी है, वह उन्हीं तक मुबारिक हो।

मैं इस विभाग में फैली हुई अव्यवस्था के बारे में माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस सदन के माननीय मित्रों का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व मुझे कोटा जाने का अवसर मिला और कोटा के बाहरी क्षेत्र में भी मैं गया। वहाँ पर जाने पर मालूम हुआ कि महकमा जंगलात की ओर से जनता पर कई प्रकार की लाग-बाग लगाई गई थी, उनमें एक इस प्रकार की भी है कि जिसे भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने सारे राजस्थान में लगाई थी लेकिन कुछ ऐसा भी हिस्सा अब शामिल है; जैसे झालावाड़ का हिस्सा और उस हिस्से में झालावाड़ तहसील का आधा हिस्सा, बूंदी तहसील का आधा हिस्सा और बूंदी क्षेत्र के आसपास के कुछ गाँव; जिनमें इस प्रकार की लाग नहीं लगाई जाती है और वह लाग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसे कहते हैं कोटा की भाषा में 'भैंस बराबर' अर्थात् भैंस को चराने का लगान।

राजस्थान में जिस वक्त यह लाग लागू थी उस वक्त ऐसी विचारधारा सरकार के पास नहीं थी कि वह कोटा डिस्ट्रिक्ट में या भूतपूर्व राजस्थान के किसी खास हिस्से में लगाई जावेगी, पर आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उनके इस एरिया में रहने के कारण और अपने क्षेत्र को विशेष सुविधायें दिलाने के लिए बूंदी से लेकर आगे झालावाड़ तहसील तक यह टेक्स हटा दिया और आज दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि जिस वक्त से यह लाग वहाँ से हटाई है उस वक्त से उन उन एरियाज़ में यह लाग वसूल नहीं की जाती, पर दूसरे एरियाज़ से यह लाग अभी तक वसूल की जाती है। चाहिये तो यह था कि इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। चूंकि वह एक विशेष भूतपूर्व मन्त्री महोदय का क्षेत्र है या किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति महोदय का क्षेत्र है, इसलिए उसमें कोई कानून लागू न हो और दूसरे हिस्से में वह कानून लागू होना चाहिए और अब भी उन क्षेत्रों से यदि ऐसा लगान वसूल किया जाता है जिनमें बीस-बीस मील तक कोई जंगल नहीं है तो यह इस विभाग की भारी अव्यवस्था का एक नमूना है। आज जनता में इस लाग के बारे में काफी असन्तोष है और कोटा के विपद-ग्रस्त व्यक्तियों ने माननीय मन्त्रीजी के पास व राजस्थान के उच्च अधिकारियों के पास भी इस विषय में काफी कहा-सुनी की और रिप्रेज़ेन्टेशन भी किया लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

यह डिपार्टमेन्ट इस प्रकार का है कि जिसमें जो जंगलात के पुराने एक्सपर्ट हैं वे एक्सपर्ट नहीं हैं, पर जो दूसरी जगह से बाहर से अपने आपको एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं, वे एक्सपर्ट

Page No.48

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

समझे जाते हैं, यह अजीब बात है। वास्तव में वही एक्सपर्ट है जिनको राजस्थान के जंगलों के विषय में विशेष ज्ञान और अनुभव है और ये राजस्थान के रहने वालों में हो सकता है। इन्हें यह भी ज्ञान है कि राजस्थान के जंगलों में किस प्रकार की ऐसी चीज है जिनको ठीक प्रकार से उगाया जावे या कटाई की जावे और ठीक प्रकार से उनकी उत्पत्ति के बारे में सोच-विचार किया जावे। तो राजस्थान में इस फोरेस्ट Department को Industries के द्वारा काफी अच्छी आमदनी मिल सकती है। पर आमदनी बढ़ाने का इस सरकार के पास कोई सवाल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महकमें के बजट को देखने से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें इस विभाग की व्यवस्था को तोड़ने के ही तरीके अपनाये गये हैं, व्यवस्था ठीक तौर से करने के नहीं और इसी अव्यवस्था के कारण से यह पहला कटौती प्रस्ताव रक्खा है।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा राजस्थान के इस जंगलात विभाग द्वारा कोई भी इस प्रकार की योजना जनता के समक्ष न रख सकने के लिए हैं, जिसके द्वारा बेकारों को काम मिल सके और राजस्थान की आमदनी भी बढ़ सके। लेकिन इसके विपरीत बजट के आँकड़ों को जब हम देखते हैं तो इस बजट के पेज नं० १७ पर, उपाध्यक्ष महोदय, हमें देखने को मिलेगा कि इसमें अपर डिविजन क्लर्कों की संख्या बढ़ाई गई है और वहां ३७ के बजाय ३६ क्लर्क कर दिये गये हैं, पर जब बजट में छोटे-छोटे कर्मचारियों के आँकड़े देखते हैं तो मालूम होता है कि लोअर डिविजन क्लर्क्स १७७ के बजाय १४८ कर दिया गया है अर्थात् २६ की जगह (पोस्ट्स) कम कर दी गई और आगे चलकर यदि फोरेस्टर को देखा जाता है तो ३३५ में से १०५ कम कर दिये गये, नाकेदारों को देखा जाता है तो ४६८ में से २१० रक्खे गये और २५८ कम कर दिये गये। इसी तरह फौरेस्ट गार्डों को १७५२ में से १२०० ही रक्खे गये, ५५२ कम कर दिये गये।

वस्तुतः उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे की टोटल देखी जावे तो १०१४ आदमियों को कम करने की एक सुन्दर-सी योजना जरूर इस विभाग ने बनाई है। पर इसके पूरे खर्चे को देखा जाए तो मालूम होगा कि जिस प्रकार से गत वर्ष २६ लाख ८० हजार का खर्चा था उसे बढ़ाकर ३२ लाख रुपये का कर दिया गया अर्थात् ६ लाख की और वृद्धि कर दी गई है और अगर कोई वृद्धि का कारण देखा जाता है तो सिवाय इसके कि दो यू० डी० (U. D.) क्लर्क बढ़ा लिये या कन्जर्वेटर साहब के अरदलियों में वृद्धि की गई या उनके और सबोर्डिनेट अफसरों में जिसमें पी० ए० वगैरह शामिल हैं, वृद्धि की गई; और कुछ नहीं दिखाई देता।

और दूसरी जो बड़ी मद है, वह है डवलपमेन्ट स्कीम की। पर, इसके बारे में किस प्रकार की स्कीम है यह आजतक जनता के सामने नहीं आई। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ भारत सरकार है जो आज देश में बढ़ती हुई बेकारी से बेहद चिन्तित है और दूसरी तरफ यह राजस्थान सरकार है जो लोगों को नौकरी से निकाल रही है, जब कि दुनिया भर में इस बेकारी को रोकने की कोशिश की जा रही है। देश भर में यह कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों की छँटनी बन्द की जावे, नहीं तो

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

बेकारी और बढ़ेगी किन्तु हमारी यह राजस्थान सरकार है जो अपने कर्मचारियों को कम कर रही है। यह दुख की बात है कि राजस्थान सरकार ने इन कर्मचारियों को कम करने की योजना बना ली और उन बेकारों की संख्या में कमी करने के स्थान पर बेकारों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जंगलात का जहाँ तक सम्बन्ध है उसका काम जंगलों से है, पर जहाँ तक इन बड़े-बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों जैसे फोरेस्ट ऑफिसर, कन्जर्वेटर आदि का सम्बन्ध है वे केवल अपने Offices में बैठकर दस्तखत कर सकते हैं, योजना और वह भी कागजी योजना बना सकते हैं, पर उनको क्रियान्वित करने का जो काम है, शक्ति है वह सारा का सारा काम छोटे-छोटे कर्मचारियों के हाथ में है जो रात-दिन पेट पर पट्टी बांधकर जंगलों की रक्षा करते हैं और यही जिनका परम कर्त्तव्य है। पर, खेद के साथ कहना पड़ता है माननीय उपाध्यक्ष जी, कि आज यह जंगल के विभाग का काम भी जंगल में न रखकर कागजों में ही बन्द रखना चाहते हैं। राजस्थान के इस डिपार्टमेन्ट की योजनाओं के सम्बन्ध में देखें तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये राजस्थान के एक्सपर्ट इन्हें कागजों से निकाल कर बाहर जंगल में नहीं तो ले जाएंगे, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको अपने इस विभाग की आमदनी बढ़ानी है और बेकारी को कम करना है तो इस विभाग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें काफी तरक्की की जा सकती है, आज यहाँ पर काफी अच्छी कागज की इन्डस्ट्री चालू की जा सकती है। पर, इस काम को करने के बारे में कोई योजना सरकार के पास में नहीं है। इसी प्रकार कई और चीजें हैं जिनसे गोंद की पैदावार बढ़ सकती है और इसका अच्छा व्यापार हो सकता है। नाना प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ हैं कि जिससे आयुर्वेद विभाग की सहायता लेकर काफी अच्छा उपयोग उनका किया जा सकता है। लेकिन इन चीजों की तरफ इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। माचिस का काम है और भी कई ऐसी होम इन्डस्ट्री की चीजें हैं जो सरकार कर सकती है और इस प्रान्त को फायदा पहुँचा सकती है, बेकारी को दूर किया जा सकता है। पर इन सब बातों में बाहर के एक्सपर्ट और फोरेस्टर्स कोई काम नहीं दे सकेंगे। जो राजस्थानी हैं, यहाँ के जंगलों से वाकिफ हैं और जो इनमें बैठकर लगन से काम कर सकते हैं वही ये सारी चीजें आगे बढ़ा सकते हैं और अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं।

लाख का व्यापार भी एक बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ पनप सकता है और इससे एक-दो को नहीं, हजार को नहीं बल्कि कम से कम पचास-साठ हजार को रोजगारी मिल सकती है और इसके द्वारा वे अपना जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। पर इन चीजों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

आज हम देखते हैं कि बी फार्मिंग की योजना की क्या हालत इस सरकार के ये अधिकारी कर रहे हैं। कहते हैं कि इसकी स्कीम सरकार के पास है, पर यह कभी तो एग्रिकल्चर विभाग में चक्कर काटती है और कभी वहां से इसको उद्योग विभाग में धक्का मार दिया जाता है। अभी यह डिपार्टमेन्ट्‌स में ही चक्कर काटती फिर रही है। वास्तव में बी फार्मिंग का सम्बन्ध है इस फोरेस्ट डिपार्टमेंट से, पर इसके लिए यह विभाग बिलकुल मौन है।

[श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)]

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास के साथ कहूँगा कि राजस्थान में एक बावरिया जाति है। उस बावरिया जाति में इस चीज का विशेष गुण है। उस बावरिया जाति को बेकवर्ड क्लासेज़ में मान लें तो उस दृष्टि से भी उनकी तरक्की करनी चाहिए। उनकी बेकारी को दूर करने के लिए, राजस्थान की आमदनी बढ़ाने के लिए और दूसरे बेकारों का काम देने के लिए भी उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्हीं जंगलों में बी फार्मिंग के, शहद एकत्रित करने के अच्छे से अच्छे 'बी' फार्म्स हो सकते हैं। 'बी' फार्मिंग के जरिये जंगलों से शहद की प्राप्ति हो सकती है, जनता को अच्छी शहद मिलेगी और बेकारों को काम मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर यदि काम शुरू किये गये तो इस महकमे के काम-काज में काफी जनता का सहयोग मिल सकता है और बेकारों को काम मिलेगा। मगर खेद के साथ कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष, कि किसी तरह की कोई चीज राजस्थान सरकार के समक्ष नहीं है।

यह महकमा २ दिशाओं में काम कर रहा है। एक दिशा वन महोत्सव के रूप में है और दूसरी दिशा वन-काटने के रूप में है। एक तरफ वन महोत्सव की पब्लिसिटी पर कर्मचारी हजारों रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ उसी खर्चे के द्वारा एक नाम से कि हमने वन-महोत्सव मनाया, पुस्तकों के अन्दर, अखबारों में माननीय मंत्रियों के और बड़े-बड़े अधिकारियों के फोटो दे दिये जाते हैं। Forest डिपार्टमेंट हमें बताये कि इस वन-महोत्सव में कितना काम हुआ, वास्तविक आँकड़ों की जाँच की जाय। यदि माननीय मन्त्रीजी इस चेलेन्ज को मन्जूर करें तो मैं माननीय मन्त्री जी को पेड़ों की संख्या गिनाने के लिये ले चलूँगा कि इस वन-महोत्सव में कितने पेड़ लगाये गये और कितने अब मौजूद हैं। मैंने पहले ही कहा था कि पेड़ लगाने में किसी मंत्री का हाथ हो जायगा तो वह पेड़ अवश्य नष्ट होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण है......

एक सदस्य—आप ब्रह्मा हैं क्या ?

श्री चन्दनमल वैद—ब्रह्मा की सन्तान हैं।

श्री भैरूँ सिंह—मैं ब्रह्मा का पैदा किया हुआ हूँ।

वन-महोत्सव के विषय में मैंने एक चीज निवेदन की कि वन-महोत्सव में यदि प्रचार की दृष्टि से ही वन लगाये जाते हैं तो कोई मतलब नहीं। यदि वास्तविक दृष्टि से वन लगाने की नियत है तो पहले से कायम हुए राजस्थान में जो वन मौजूद हैं उनकी किसी प्रकार से रक्षा की जाय, लेकिन देखते हैं कि आज मध्य भारत से कुछ लोगों को कोयला बनवाने के लिए पेड़ कटवाने का ठेका दिया गया। कोयले का ठेका देने के लिए बाहर से बुलाया जाता है और कोयले के ठेके के नाम से बड़े-बड़े अच्छे पेड़ कटवा दिये जाते हैं और कटवाने के पक्ष में यह कह दिया जाता है कि कोयले की अत्यधिक आवश्यकता है, यह भी हमें बनाना पड़ेगा। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

वन से कोयला न बनाया जाय, लेकिन साथ ही साथ यह न हो कि ऐसे पेड़ों को काट दें कि जिन पेड़ों के रहने की आवश्यकता है । वन काटने वालों को कोयले के लिए किसी खास हिस्से को ठेके के रूप में दे सकते हैं । यह नहीं होना चाहिए कि कोयले के ठेकेदार के रूप में कोई भी आदमी जाकर पेड़ काट सकते हैं ।

(घंटी)

यह कहा जायगा कि वन लगाने की योजना है, वह शुरू की गई है और काम हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, यदि वन महोत्सव को कामयाब करना है तो जोधपुर के स्वर्गीय महाराजा ने जिस नीति का अनुसरण करके पेड़ लगवाये, उस पर चलना चाहिए। उन्होंने उस जगह, जहाँ कि पानी की अत्यधिक कमी थी, जोधपुर शहर के अन्दर आबहवा को ठीक करने के लिए, जहां बरसात की कमी थी वहाँ शहर भर में वन लगाये गये । उसमें उन्हें सफलता हुई । उनके सफल होने का कारण यह था कि उन्होंने यह आज्ञा दी थी कि जो कोई हरे दरख्त काटे तो उसको चोरों को जो सजा होती थी वह सजा हो । चोरी वाला तो पुलिस अधिकारियों की गलती से या और दूसरे कारण से बरी हो सकता था, लेकिन पेड़ काटने के मामले में बरी नहीं होता था । आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हरे दरख्त काटने के मुकद्दमात बनते ही नहीं हैं और बनते हैं तो चीफ कन्ज़र्वेटर से मन्जूरी लेनी पड़ती है जिससे उनके पास जब तक पहुँचती है तो धीरे-धीरे सिफारिशों का ताँता भी पहुँच जाता है और उस वक्त वह मामला कम्पाउन्ड हो जाता है, या ५), १०) रु० जुर्माना करके उनको बरी कर दिया जाता है और बहुत से मामलों को तो नीचे के अफसर भेजते ही नहीं । यदि ऐसा नहीं होता है तो माननीय मन्त्रीजी अपने जवाब में बतायेंगे कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में पेड़ काटने के कितने मुकद्दमात नजर आये और कितने साबित हुए और साबित होने पर कितनों को सजा मिली ? इसीलिए इन्हीं कारणों से मैंने अपना यह कटौती का प्रस्ताव रखा है ।

श्री श्रीदास गोयल--[To discuss the negligence in protecting and improving the forests in Rajasthan]

माननीय उपाध्यक्ष, इस डिमान्ड के सिलसिले में कई मित्रों ने अपने विचार अलग-अलग तरीकों से प्रकट किये हैं। यह तो सत्य है कि जो लो पेड ऑफिसर्स (low paid officers) हैं और स्टाफ है वह गड़बड़ी थोड़ी बहुत करते रहते हैं, और करप्शन का जहाँ तक सवाल है वह एक ऐसा हेडेक (headache) है कि जिसके शिकार वे बेचारे ग्रामीण लोग होते हैं कि जो उनसे सम्बन्धित हैं । सवाई माधोपुर के जंगल की दृष्टि से और जो कुछ मेरा अनुभव है मैं यह निवेदन करूँगा कि वहाँ पर भूतपूर्व जयपुर राज्य में सवाई माधोपुर का जंगल सबसे प्रमुख जंगल रहा है और यह भी मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान राजस्थान के जंगलों में सबसे अधिक आय वाले जंगलों में सवाई माधोपुर का जंगल है । यह गवर्नमेंट के फीगर्स के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूँ, जैसी कि मुझे उनसे सूचना मिली है । लेकिन यह अफसोस की बात है कि आज तक इस जंगल को डेवलप

[श्री श्रीदास गोयल]

(विकास) करने के वास्ते कोई कदम नहीं उठाया गया है, जब कि हमारे नजदीक ही मध्यभारत में जो भूतपूर्व ग्वालियर स्टेट थी वहाँ के भूतपूर्व महाराजा माधवराव सिंधिया ने वहाँ के जंगलों को डेवलप करके वहाँ की आय को करोड़ों रुपयों तक पहुँचा दी।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि लाख, शहद, कत्था, सागवान की लकड़ी ऐसी चीजें हैं कि जिनके द्वारा जंगलात की आमदनी "दिन दूनी, रात चौगुनी" बढ़ाई जा सकती है। इससे लोगों को राहत मिलती है, सरकार की आमदनी बढ़ती है और वनों के कारण और जो-जो लाभ हैं वह भी प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे कि ग्वालियर में, शिवपुरी में करोड़ों-लाखों रुपयों की मासिक आय इस तरह से डेवलप्ड वन विभाग से मिलती है, और हमारे इस सवाई माधोपुर के जंगल में जो उसके करीब है, जहाँ उस प्रकार की तमाम उपज होती है, प्राकृतिक नियम के अनुसार भी हो सकती है, वहाँ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह खुशी की बात है कि हमारे माननीय मन्त्रीजी ने इस वर्ष ६ लाख रुपये डेवलपमेंट स्कीम के सिलसिले में रखे हैं जब कि गत वर्ष ३ लाख ही थे और यदि यह भी मान लें कि यह बहुत अच्छी रकम है, इसका दुरुपयोग नहीं किया जायगा तो भी जिस प्रकार और मदों में रुपये की आवश्यकता है, लेकिन यह तो बिजनेस का मद है, जिसमें इनकम को एक्सटेन्ड, आय को बढ़ाने का विचार करते हुए ६ लाख के बजाय अगर २५ लाख कर दिये जाते तो भी अधिक नहीं हो सकता था।

उदयपुर में भी बान्ध और नालों को रोक कर बहुत अच्छे जंगल लगाये जा सकते हैं, और जगह भी यही बात है। इधर ६ लाख रुपये रखे हैं वह कम हैं, यह मैं मानता हूँ लेकिन फिर भी हमें अधिक से अधिक उपयोग जल्दी करना चाहिए। यह आम लोगों की शिकायत है, जनता की शिकायत है कि जो रुपये सरकार डेवलपमेंट वगैरह के सिलसिले में रखती है उसका उपयोग पूरे तौर पर नहीं होता है। स्कीम्स के इम्प्लीमेन्टेशन में बहुत सुस्ती करते हैं और रुपया लेप्स हो जाता है।

मैं आशा करूँगा कि यह ६ लाख रुपये ठीक ढंग से खर्च होंगे और इसके खर्च के बाद सरकार अनुभव करेगी कि वहाँ सवाई माधोपुर में जंगलों को डेवलप करने से बहुत से लाभ हो सकेंगे।

अभी-अभी कहा गया है कि सवाई माधोपुर की बीड़ी फैक्ट्री उस वक्त कायम की गई, उससे आज सवाई माधोपुर और जयपुर के आसपास बहुत से इलाके में वह लाखों रुपये की बीड़ी दे रहा है। पहले मध्य प्रदेश से लाखों रुपयों की, सागर से सैकड़ों रुपयों की बीड़ियाँ सवाई माधोपुर और राजस्थान में आती थीं, लेकिन अब राजस्थान की पूँजी राजस्थान में ही रहती है। सागवान के वृक्ष वहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे वृक्ष भी वहाँ पर मौजूद हैं और भी वहाँ बान्धों और नालों को रोक कर कई प्रकार के पेड़ लगाये जा सकते हैं। वहाँ केले के पेड़ लगाये जा सकते हैं, तेंदू

[श्री श्रीदास गोयल]

सीताफल आदि के जो जंगली फल हैं वह तो होते ही हैं तथा और भी प्रयत्न करेंगे तो वे भी बढ़ सकते हैं। उस भाग के लिए मैं यह कहूंगा कि 'प्रकृति को त्रास है यहाँ बसे पुरन्दर'। यह जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है उसके लिए मुझे यह निवेदन करना है कि यहाँ डेवलेपमेंट करने की बहुत गुंजायश है। साथ ही मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है जैसी कि मेरे एक दूसरे मित्र ने की थी, वैसी ही मेरी भी है। खण्डहार, सवाई माधोपुर आदि के जंगल के आसपास रहने वाले किसान लोग जिनकी जरूरत बहुत मामूली होती थी, जरूरत के वक्त जंगल में जाते थे और अपनी जरूरत की मामूली लकड़ी वहाँ से ले आते थे। अभी १ वर्ष पहले कंज़र्वेटर ने एक सर्कुलर निकाला है कि यदि किसी को वृक्ष या लकड़ी चाहिये तो उसके लिये मैं परमिट दूँगा, तभी वे ला सकते हैं। एक गरीब आदमी खण्डहार का रहने वाला २) रु० की लकड़ी की परमिट के लिये जायगा कोटा, यह एक ऐसा सर्प्राइज़िंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो किसानों को परेशान करने वाला है। इस सर्कुलर के निकाले जाने के बाद हमने मन्त्रीजी के पास अप्रोच (approach) किया और उनसे थोड़ी राहत भी हमको मिली। मगर कुछ लोगों के मुँह पर खून लगा हुआ है और भ्रष्टाचार से अपनी जेब गरम करना जरूरी समझते हैं, इसलिये इस ऑर्डर के बावजूद भी वे इसकी कम्प्लायंस (Compliance) नहीं करते। इस महकमे के स्टाफ को चाहिये कि वे गरीब पीड़ित लोगों को परेशान न करें और अपने कारनामे से महकमे को बदनाम न करें। मैं सम्बन्धित अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि इस तरह के कर्मचारियों का ध्यान रखें और उनके साथ कड़ाई का बरताव करें, वरना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। भूतपूर्व राज्य के कुछ हिस्सों में फोरेस्ट रोड्स बहुत सुन्दर और भव्य बनी हुई थीं और बहुत कम पैसों में बनी थीं। उनको पी० डब्ल्यू० डी० बनाती और जितना पैसा खर्च करती उसके सतांश खर्चे में वे रोड्स बनी हुई हैं। स्वर्गीय भैरूँसिंह जी हमारे यहाँ शुरू में जंगलात के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। उन्होंने दिलचस्पी लेकर जंगलात की सड़कें बनाई थीं, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर कहीं पेड़ काटकर और कुछ करके ऐसी सुन्दर सड़कें बनाई थीं कि वहाँ जाने पर मनुष्य अपने मन में आराम का अनुभव करता है। जंगलों में यदि अच्छे रास्ते होंगे तो उनसे हमें बहुत सहूलियतें होंगी। जैसा एक मित्र ने अभी कहा था कि बांसवाड़ा में ऐसे क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग रहते हैं जो जंगल में किसी को जाने नहीं देते। यदि फोरेस्ट रोड्स बन जाती हैं, लिंकिंग रोड्स बन जाती है तो ऐसे लोगों को आसानी से काबू में किया जा सकता है और आने जाने और माल ले जाने में बहुत सहूलियत हो जाती है और बड़े अफसरों को वहाँ तक जाने में और सुपरविजन (Supervision) करने में बहुत सहूलियत हो जाती है, लोगों की मुश्किल कम हो जाती है और जंगलों का उत्थान करने के लिये एक साधन मिल जाता है।

मैं यह निवेदन करूँगा कि राजस्थान में अच्छे जंगल से बहुत सी फैक्ट्रियाँ चलाई जा सकती हैं। यह अनुभव किया जा रहा है कि सवाई माधोपुर में मैच फैक्टरी अच्छी चल सकती है, कोटा में मैच फैक्टरी चल सकती है। आप मुलाहिजा फरमाइये मैसूर के चंदन के वृक्षों का। उसके

[श्री श्रीदास गोयल]

लिये एक एक्सपेरिमेन्ट चल रहा है कि कहीं दूसरी जगह भी ये वृक्ष लगाये जा सकते हैं या नहीं। यू० पी० में इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है और ऐसी सम्भावना है कि वहाँ यह एक्सपेरिमेन्ट सफल होगा। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे कीमती वृक्ष भी अन्यत्र लगाये जा सकते हैं।

वार्षिकोत्सव या वन-महोत्सव के समय वृक्षों के लिये प्रापेगेन्डा किया जाता है। इस वन-महोत्सव के लिये जिम्मेदारियों के साथ काम करके उसको सफल बनाना चाहिये। इस वन-महोत्सव में जो रुपये सरकार के खर्च होते हैं उनका सदुपयोग हो, किन्तु हम और कोई ध्यान नहीं देते। बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको लगाया जाता है और लगाने के बाद उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा यह होता है कि वे वृक्ष नहीं लगते। हमारे यहाँ की ट्रेनिंग स्कूल में २०० फलदार वृक्ष लगाये गये थे और उन पर पूरा ध्यान दिया गया, जिसके कारण १८० के करीब वृक्ष फल दे रहे हैं। जंगल में जो वृक्ष लगाते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे वृक्ष हैं जो हरे-भरे हैं। एक बात मैं लेजिस्लेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। ग्रीन (हरे) वृक्षों के बारे में जो आर्डिनेन्स है वह नाकाफी है। राजस्थान में जंगलों को बचाना और उसकी उन्नति करना, फोरेस्ट एक्ट न होने और उसके अन्तर्गत रूल्स न होने के कारण सफल नहीं हो सकता। आपके यहाँ ग्रीन ट्रीज़ को काटने के लिये एस० डी० ओ० अधिकार दे सकता है। जागीरदारों को जंगल से १०-१५ लाख रुपयों की कमाई होती है इसलिये बहुत से जागीरदार जंगल काटने के लिये एस० डी० ओ० से इजाजत माँगते हैं और वे दे देते हैं। जंगल को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानना चाहिए और उसकी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी है और जल्दी ही ऐसा लेजिस्लेशन लायेंगे, जिससे ये जो वृक्ष जागीरदारों या अन्य लोगों द्वारा बुरे तरीके से काटे जा रहे हैं वे नहीं काटे जायेंगे। ठेकेदार लोग १० बीघा जंगल का ठेका लेते हैं और ५० बीघा कटवाते हैं, ये सारी बातें रोकी जानी चाहिये।

श्री जयेन्द्रसिंह—माननीय अध्यक्ष, ऑपोजिशन का बहुत सा काम तो ट्रेज़री बैंचेज़ द्वारा कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जितनी धाँधली और भ्रष्टाचार इस महकमे में है उतना शायद् दूसरे महकमे में नहीं होगा। रेवेन्यू विभाग में भी भ्रष्टाचार है लेकिन जंगलात विभाग में उससे भी ज्यादा है। आज-कल नये टैक्स लेने शुरू किये हैं। ये टैक्स ऐसी जगह वसूल किये जाते हैं जहाँ न तो कोई जंगल का हिस्सा है और न मवेशी वहाँ चरते हैं फिर भी नाजायज तरीके से ये टैक्स वसूल किये जाते हैं। नाकेदारों से काश्तकारों को बड़ी तकलीफ होती है। वे लोग उनसे दुगुना-तिगुना महसूल वसूल कर लेते हैं और उन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे पास ऐसी लिस्ट मौजूद है जहाँ लोगों को तकलीफ दी जाती है। तहसील मनोहर थाना में काश्तकारों की फ्री कबाड़ा और लकड़ी खेती के काम के लिये व घर बनवाने के लिये दी जाती थी। वहाँ पर पानी के कारण कुछ काश्तकारों के घर बरबाद हो गये लेकिन इस महकमे ने उनके साथ कोई रियायत नहीं की और उनसे लकड़ी के लिये महसूल वसूल कर लिया जो उनको नहीं लेना चाहिये था। पहले जंगलात की तरफ से घास और लकड़ी का इन्तजाम किया

[श्री जगेन्द्रसिंह]

जाता था जिससे लकड़ी लाने में कठिनाई नहीं होती थी। अब वह भी बन्द कर दिया गया, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है।

इधर वन-महोत्सव मनाये जाते हैं और उधर हरे पेड़ काटे जाते हैं। प्रोटेक्टेड फोरेस्ट की तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता। मनमाने ढंग से लोग शिकार करते हैं, इसका कोई प्रबन्ध नहीं है। न गवर्नमेंट इस ओर ध्यान देती है और न वाइल्ड बीस्ट्स (हिंसक पशुओं) से प्रोटेक्सन हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि काश्तकारों को उनकी जरूरत की लकड़ी के लिये भी दर-दर भटकना पड़ता है और जब इसके लिये चिट्ठी कटाने के लिये आते हैं तो तरह-तरह के बहाने बना लिये जाते हैं और काश्त की जरूरत के लिए लकड़ी काट लेते हैं तो उनसे डरा-धमका कर या दबा कर ३), ४) रुपये ले लिए जाते हैं।

तहसील खानपुर में भी इसी तरह की जंगलात की ज्यादतियाँ हैं और नाकेदार मनमानी करते हैं।

बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष जी, वन-विभाग के बारे में बोलते हुए मैं आप से निवेदन करूँगा कि जो राजस्थान में वन कट रहे हैं और राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है उसका मुख्य कारण हमारे वन मन्त्री जी की मुलायमियत है। (हँसी) उनको थोड़ा सख्ती से काम लेना चाहिये, वरना राजस्थान के वन जो कटते-कटते आधे हो गये हैं वे शायद समूल ही नष्ट हो जायेंगे।

इसलिये मैं वन मन्त्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि यह जो उदयपुर और कोटा डिविजन में तथा डूँगरपुर में वन कट रहे हैं उनकी रोक-थाम तभी हो सकती है, जब कि आप सख्ती बरतें।

मैं कुछ दिन पूर्व उदयपुर गया था तो लोगों से मालूम हुआ कि उधर के एम० एल० एज़० नाजायज तरीकों से वन विभाग के अधिकारियों को दबा-दबा कर वन काटते हैं। मैं वन मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की कटाई रोकें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूँगा कि आप वन-महोत्सव अवश्य मनाइये, हम आपको वन-महोत्सव मनाने से मना नहीं करते, पर आप तो वन नाम के सिद्धान्त के विपरीत वन-महोत्सव मनाते हैं। १० दरख्त यहाँ लगा देने से, १० दरख्त वहाँ लगा देने से और १० दरख्त दो सौ, तीन सौ, चार सौ मील दूर लगाने से वन-महोत्सव नहीं मनाया जा सकता। अगर आपको वास्तव में वन-महोत्सव मनाना है तो आप १००० मील का एरिया चूज़ कीजिये और उस एरिया में वन खड़ा कीजिये और वहाँ जो दरख्त लगायें उनका प्रोटेक्शन होना चाहिये ताकि कोई काट न सके। तभी

[श्री मानसिंह महार]

आपका वन-महोत्सव सफल होगा और यह भी एक शिकायत है कि हमारे मन्त्री महोदय जो वृक्ष लगाते हैं उनके हाथ का ही यह असर हो जाता है कि पेड़ सूख जाते हैं। (हँसी)

श्री चन्दनमल वैद--इसीलिये हवाई जहाज से बीज बर्साया गया है।

श्री मानसिंह (महार)--यह तो वन मन्त्रीजी ने मान लिया है, मन्जूर कर लिया है कि वह कम्प्लीट फेल्योर (failure) रहा। इसको अगर मन्त्री महोदय झूठ मानते हों तो जहाँ हवाई जहाज से बीज डाला है वहाँ की उड़ती हुई धूल देख लेंगे तो मालूम होगा कि वन-महोत्सव राजस्थान में मंगल नहीं करता धूल उड़ाता है।

अब जुलाई का महीना आ रहा है इसलिये शायद वह ढकोसला फिर से शुरू होगा। मैं वन मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे १०००, २००० मील का एरिया चुनें और वहाँ वन महोत्सव मनायें, दरख्त लगायें। जयपुर की सड़कों पर इधर-उधर २-४ पेड़ लगा देते हैं तो इससे आप कोई जंगल नहीं बढ़ा सकेंगे।

जिन इलाकों में खूब वर्षा होती है, वहाँ के जो जंगल होते हैं वे इसलिये हैं कि उनको ठेके पर दिया जाय, कटवाया जाय, फिर उनकी हिफाजत की जाय, तीन-चार वर्ष में ही वे फूटकर वृक्ष खड़े हो जाते हैं।

श्री चन्दनमल वैद—आपने जंगल देखे हैं ?

श्री मानसिंह (महार)—जमुवा रामगढ़ में मैंने देखे हैं।

श्री चन्दनमल वैद—आपका जंगलों से वास्ता कम पड़ता है।

श्री मानसिंह (महार)—जमुवा रामगढ़ में बहुत वन हैं, चलें तो सैर करा दूँ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं वन मन्त्रीजी से एक बात और कहना चाहता हूँ जो यह है कि सवाई माधोपुर में जो जंगलों के अफसर हैं उनको वे यह ताकीद कर दें कि जो सिफारिशों से जंगल कटवाये जाते हैं, वे नहीं कटावें। इससे सरकार को नुकसान होता है।

बी कीपिंग (मधुमक्खी पालन) की ओर सरकार का कोई ख्याल नहीं है। इस कार्य पर अगर सरकार १०००००) रुपया लगा दे तो इससे लाखों आदमियों का भरण-पोषण भी हो सकता है और दो वर्ष में पांच-सात लाख रुपया सालाना की आमदनी भी सरकार को हो सकती है। डेवलपमेंट पर जो ८-६ लाख रुपये खर्च किये हैं उसकी बजाय इस पर अगर खर्च किये जाते तो कई लाख का रिटर्न सरकार को मिलता और लाखों आदमियों का भरण-पोषण होता। ६ लाख रुपया पिछले साल डेवलपमेंट पर सरकार ने लगाया तो इससे २५-३० लाख का रिटर्न सरकार को मिलना

[श्री मानसिंह महार]

चाहिये था। डेवलपमेंट के बजाय इस उद्योग पर रुपया लगाया जाता तो सरकार को लाखों रुपये का रिटर्न मिलता।

यदि व्यापारिक ढंग से काम करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट अवश्य सफल होगा। यह चन्द बातें कहकर मैं वन मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि जो रिश्वतखोर कर्मचारी हों उनको नहीं रखें। जो सस्पेन्डेड दूसरे डिपार्टमेंट का था उसके लिये मैंने कहा था कि नौकर रख लिया तो उसके लिये कहा गया कि उसमें सुधार हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि चोरों में सुधार नहीं होता।

आशा करूँगा कि अब तो वन मन्त्रीजी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री संतोषसिंह—मेरा कट मोशन है, मैं उस पर बोलूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—चूँकि आज यह डिमान्ड्स खत्म होंगी और आम बातें सामने आ चुकी हैं मिनिस्टर अब रिप्लाई कर देवें तो दूसरी डिमान्ड लेवें। श्री अमृतलाल यादव!

श्री श्रीदास गोयल—आपका कट मोशन हो तो बोलने दीजिये, कहीं अवैधानिक चीज नहीं हो जाय।

श्री चन्दनमल वैद—Is the Hon'ble Member speaking on any cut-motion?

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टर इन्चार्ज रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री जसवन्तसिंह—(For Shri Santosh Singh)

He has got the cut-motion.

श्री उपाध्यक्ष—It is not here. The Minister will reply.

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, कल माननीय सदस्य खेतसिंहजी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने रेगिस्तान के सम्बन्ध में और खासतौर से रेगिस्तान को मिटाने के लिये एक प्रयोग किया, उस बारे में प्रकाश डाला।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन को यह निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी प्रयोग जो किया जाय उसकी यह गारण्टी नहीं होती कि वह सफल ही होगा। लेकिन प्रयोग इसलिये किया जाता है कि एक समस्या है उसका हल किस तरह हो।

[श्री अमृतलाल यादव]

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी प्रयोग जो किया जाय उसकी यह गारण्टी नहीं होती कि वह सफल ही होगा । लेकिन प्रयोग इसलिये किया जाता है कि एक समस्या है उसका हल किस तरह हो । जब मैं बोर्ड ऑफ फोरेस्ट की मीटिंग में देहरादून गया था तो वहाँ सब क्षेत्रों के लोगों ने यह कहा कि राजस्थान का डेज़र्ट हमारे देश की तरफ बढ़ता जा रहा है इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी चाहिये और इस रेगिस्तान से हमारी रक्षा करनी चाहिये। वहाँ मैंने यह बात कही कि राजस्थान स्वयं में ही रेगिस्तान है, यदि उसको नहीं मिटाया गया तो दूसरे सभी उपाय असफल होंगे, इसलिये राजस्थान के रेगिस्तान को मिटाने के लिये विचार सबसे पहले होना चाहिये। सारा का सारा राजस्थान रेगिस्थान नहीं है, बहुत से जानकारों ने कहा । चूंकि उनको जानकारी की कमी थी मैंने उनको बतलाया कि राजस्थान का एक स्पेशल फीचर (special feature) यह है कि उसके दक्षिण में फोरेस्ट्स हैं और नोर्थ में रेगिस्तान है । वहाँ पर पानी की कमी नहीं है । पानी तो सुजानगढ़ में भी १५ या २० फीट के नीचे मिलता है । यही बात कुछ दिन पहले मैंने ऑल इण्डिया रेडियो पर से भाषण देते हुए बतलायी थी कि पानी की कमी नहीं है । यह एक खुशी की बात है कि राजस्थान के डेज़र्ट और दूसरे डेज़र्ट्स में अन्तर है और वह यही कि दूसरे रेगिस्तान में पानी नहीं है और यहाँ के डेज़र्ट्स में पानी एवेलेबल है और इस कारण पेड़ों का सुरक्षण हो सकता है । इसलिये राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किये और भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के जोर देने पर पंचवर्षीय योजना में २१ लाख रुपया इस कार्य के लिये रखा है । वह काम पंचवर्षीय योजना के अनुसार होगा । इसके अलावा जोधपुर में डेज़र्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट भी अपना काम कर रहा है । उसने जुरिसपुला को ट्राइ किया है । यह प्रयोग इसलिये किया गया है, जहाँ तक मेरा खयाल है, कि अगर यह प्रयास सफल होता है तो हमारी रेगिस्तान की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है ।

एक सदस्य यह कह गये कि ४।। सो मन बीज बेकार गया । मेरी समझ में नहीं आता कि हवाई जहाज द्वारा ४।। सौ मन बीज बेकार कैसे गया ? उन्होंने कहा कि एक भी पेड़ नहीं उगा । मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किस सूचना के आधार पर यह कह रहे हैं । अगर वे पेड़ की बात कहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि वे गडरा रोड के आस-पास जाकर देखें तो १००-५० तो आज भी उनको देखने को मिल जावेंगे और मैं चल कर बताने के लिये भी तैयार हूँ ।

श्री मानसिंह महार--ओन पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, ४।। सौ मन बीज में से १००-५० पेड़ का उग जाना कोई बड़ी भारी सफलता की बात नहीं और इसे आप अपने प्रयोग की सफलता हुई मानते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

श्री अमृतलाल यादव--इसको प्रयोग की सफलता नहीं कह सकते, लेकिन यह भी कोई नहीं कह सकता कि प्रयोग सफल ही होगा । इसकी गारन्टी कोई नहीं करता । लेकिन प्रयास इसी मंशा से किया गया कि सफलता प्राप्त हो । यदि कोई कमी रही और प्रयास असफल हुआ तो हम दूसरे प्रयोग करेंगे । लेकिन हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से डेज़र्ट मिट जावे । यही हमारी मन्शा की सफलता है ।

[श्री अमृतलाल यादव]

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रयोग में दो-चार बातों की हमें कमी नजर आई थी। पहली कमी यह थी कि बीज की बोरियें थी उनमें फली से निकाले हुए बीज बहुत कम थे। इस कमी को पूरा करने के लिये इस वर्ष फलियों से अलग बीज करके उनको काम में लिया जावे। दूसरी बात यह थी कि ज्यादातर जागीरदारों की जमीन पर बीज बेकार गये। इसका कारण यह था कि उनको यह डर हो गया था कि पेड़ उग जावेंगे तो सरकार उनकी जमीन को ले लेगी और उनको कोई मुआवजा नहीं देगी। ऐसा हो सकता है कि उनको गलत फहमी रही हो और इस वजह से भी बीज बेकार गया हो, मगर उनको समझाया गया कि सरकार मुआवजा दिये बगैर कोई जमीन नहीं लेगी। उनको समझाने के बाद में अब मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि आज उनको यह मालूम हो गया है कि वह उन्हीं के लाभ के लिये था। अब वे कन्विन्स हो गये हैं और उन्होंने कहा है कि हमको वृक्ष लगाने में कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार का एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ था कि जागीरदारों को जमीन का कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये और उसका उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि कोई भी जमीन बिना कम्पेन्सेशन के नहीं ली जावेगी और जो जमीन सरकार लेगी उसका कम्पेन्शेसन देगी।

दूसरी बात यह है कि बीज के लिये यह देखना जरूरी है कि यहाँ कि सोइल कैसी है? पहले वक्त कम मिला और वर्षा हो गई थी। अगर उस प्रयोग के लिये हमें ज्यादा वक्त मिलता तो हम इन सब बातों को देख सकते थे लेकिन वक्त कम होने से भी कुछ मुसीबत हुई। बीज वर्षा से पहले बिखर जाना चाहिये ताकि उस पर कुछ मिट्टी जम जावे और फिर वह अच्छी तरह से उग सके और नष्ट नहीं हो। लेकिन जिस समय यह बीज डाला गया था उस समय वर्षा हो चुकी थी और शायद उसके बाद यह बीज डाला गया। इससे जमीन कड़ी हो गई और वह बीज जमीन की सर्फेस पर ही रहा और मिट्टी से ढका नहीं जा सका और यों ही नष्ट हो गया। इस प्रकार उस साल जो खामियें रहीं उनको दूर करके फिर हम उसका उपयोग करना चाहते हैं और इसके बाद हम यह भी चाहते हैं कि विन्डमिल से पानी निकाला जावे और नर्सरीज़ और फोरस्टेशन किया जावे। जहाँ पर पानी नजदीक आसानी से निकल सकता हो उसको भी निकाल कर नर्सरीज़ और फोरेस्टेशन पौधों का किया जावे। इस पर भारत सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी।

एक सदस्य ने फरमाया कि सिवाय खास इलाकों के मैंने दौरा नहीं किया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने जैसलमेर का दौरा नहीं किया और वहाँ नहीं जा सका, मगर मैं बाड़मेर गया था वैसे भी तथा और इस स्थिति को देखने के लिये भी। अब मैं इस स्थिति को देखने के लिये उधर जाऊंगा और भारत सरकार के अधिकारियों को भी ले जाऊंगा और इस काम के विशेषज्ञ हैं उनको भी साथ ले जाऊंगा।

एक सदस्य जो किशनगढ़ से आते हैं कहते हैं कि दरिया की घाटी में रोड टैक्स लिया जाता है। रोड टैक्स क्या है, मैं इस बारे में समझ नहीं सका कि रोड टैक्स क्या चीज है? सवालों के जवाबों में मैंने बताया कि रोड टैक्स पहले से चला आया है; फिर भी मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि

[श्री अमृतलाल यादव]

मैं इसकी जाँच करूँगा कि वह क्या चीज है। अगर वह आज के फोरेस्ट एक्ट के माफिक ठीक नहीं होगा तो उसको बेशक हटाने की कोशिश की जावेगी।

इसके बाद श्री हरिदेव जोशी ने, जो डूंगरपुर से आये हैं, जंगलात के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि कई जिलों में जंगल बेदर्दी से काटे जाते हैं, राजाओं के जंगल भी काटे जाते हैं तथा आज-कल लोगों की जंगल के प्रति ऐसी भावना है कि जंगल में अगर आग लग जाए तो लोग जो पहले बुझाने के लिए आया करते थे अब नहीं आते, वे इन जंगलों को अपने हित के नहीं मानते हैं, उनका सहयोग नहीं मिलता। इस सिलसिले में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक वन विभाग का सम्बन्ध है आम तौर से यह धारणा है कि जो कोई भी पेड़ हो उसका मालिक वन विभाग है। बात ऐसी नहीं है। वन विभाग का कन्ट्रोल और उसकी व्यवस्था केवल उन्हीं वनों की है जो सरकारी वन हैं। इसके अलावा जो रोड साइड और तालाबों के किनारे पेड़ हैं उनका ताल्लुक पी. डब्ल्यू. डी. से है और जो पेड़ खेतों और कूओं पर हैं वे उन लोगों की निजी प्रोपर्टी हैं और किसान वगैरह उन्हें अपनी समझते हैं।

जहाँ तक वन विभाग का सम्बन्ध है, मैं मानता हूँ कि इस सम्बन्ध में राजस्थान दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। फार्मर राजस्थान में जो जंगल हैं उनका सरकार प्रबन्ध करती है और उसकी आमदनी इकट्ठी करती है और जो आमदनी होती है उसका ३५ प्रतिशत सम्बन्धित जागीरदार को दे देती है। वहाँ पर जागीरदारों द्वारा जंगलों को काटने की बात पैदा नहीं होती और न कोई दुरुपयोग ही होता है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर डिवीजन के जंगलों का जहां सवाल है उसमें जागीरदारों के जंगल हैं और जागीरदार लोग अपनी निजी सम्पत्ति मानते हैं, लेकिन वे भी फोरेस्ट लॉ (forest law) से गवर्नर होते हैं। उनको भी सरकार से कानून के अनुसार जंगल काटने का लाइसेन्स लेना पड़ता है और उसके बाद जंगल को एक्सप्लोइट कर सकते हैं। इस बात को मैं महसूस करता हूँ कि कई जागीरदारों ने जंगलों को बेशक बरबाद सा कर दिया है, मगर ऐसा जिस किसी ने किया है उनको खिलाफ शिकायतें हमारे पास आई हैं।

जिन सदस्यों ने यह बात कही है वे माननीय सदस्य इस बात के सुबूत हूँ कि जो-जो शिकायतें मेरे पास उनके ज़रिये से आई, विभाग के ज़रिए से आई और अन्य किसी ज़रिए से प्राप्त करने की मैंने कोशिश की और मुझे मिलीं, या मेरे पास आई, उनके ऊपर सरकार की ओर से सख्ती से एक्शन लिया गया, उनको रोका गया, बन्द किया गया। उनके ऊपर केसेज़ चल रहे हैं, कार्यवाहियाँ चल रही हैं, दो-चार के ऊपर जुर्माने हुए हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि चेलेन्ज स्वीकार करें और मुझे बतावें, माननीय अध्यक्ष, वे माननीय सदस्य इस समय यहाँ नहीं हैं। मैं आपके जरिये से उनको सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उनकी प्रोपर्टी कोन्फिस्केट जब्त करके सरकार ने बेची है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जयसमुद्र के पास गवर्नमेंट के फोरेस्ट में गुलाबसिंह काश्त कर रहे हैं उसका क्या किया ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य देरी से आए हैं और उन्होंने मेरी बातों को नहीं समझा है। मैं कह रहा हूं उन जागीरदारों के जंगलों की बात जो निजी प्रापर्टी में है और स्टेट के कन्ट्रोल में नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने यह निवेदन किया कि बड़ा अच्छा होता कि वे हमारे जागीरदार उस राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा उसी तरह से करते जिस तरह से उनके पूर्वजों ने रक्षा की, खर्चा किया और संरक्षण दिया। दुर्भाग्य है कि वे लोग इस तरह से जंगल काटने के लिए तैयार हो जाते हैं जो मैं समझता हूं कि उनके लिए वाजिब नहीं होना चाहिए। सरकार ने इस बारे में सख्ती की है, सरकार ने उनको रोका है और आगे भी रोका जायगा। कोई भी हो, चाहे जागीरदार हो या कोई दूसरा हो वनों को इस तरह से, जो कि राष्ट्रीय सम्पत्ति है, नष्ट नहीं होने दिया जावेगा और नष्ट होने से हर हालत में बचाया जायगा।

दूसरे वे वन आते हैं जो कि सीधे सरकार के कन्ट्रोल में आते हैं और जैसा कि आप बजट में देखेंगे। हमने बजट में डेवेलप्मेंट स्कीम के लिए ६ लाख रुपया रखा है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि डेवलपमेंट स्कीम के लिए बजट में कोई रकम नहीं रखी गई है। यदि वे बजट को देखते तो उन्हें पता चलता। वैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि डेवलप्मेंट स्कीम के लिए ६ लाख रुपया रखा गया है, उन्होंने ठीक तरह से देखा है। वह रुपया इसलिए रखा गया है कि फोरेस्ट गार्ड्स और फोरेस्टर्स की ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स खोले जायें। माननीय उपाध्यक्षजी, फोरेस्ट गार्डस की ट्रेनिंग के लिए दो स्कूल्स स्टार्ट हो चुके हैं और दो स्कूल्स और स्टार्ट होने वाले हैं व एक फोरेस्टर्स ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद डिमार्केशन, प्लान्टेशन और वर्किङ्ग प्लान्स एवं फोरेस्ट्स में रोड्स बनाने के लिए विकास कार्यों के लिए कोई रकम इन्हीं ६ लाख में से है। इसके बाद यह कहा जावे कि कोई स्कीम डेवलप्मेंट के लिए नहीं है, कोई योजना नहीं है, इस प्रश्न को मैं स्वयं सदन पर छोड़ता हूँ और यही चाहता हूँ। स्वयं सदन के सदस्यों ने एक दूसरे के विरोध में कहा है और इसी से प्रमाणिकता मिल जाती है जो कि विचारणीय है। तो यह बात मैं मानता हूँ कि जो स्टेट कन्ट्रोल्ड फोरेस्टस हैं, राज्य द्वारा सुरक्षित वन है उनके बारे में जो ख्याल है और जैसा कि एक माननीय सदस्य जो कि सलूम्बर से आते हैं, ने कहा कि जब भील और मीणे लोग देखते है कि ठेकेदार लोग वनों को, जङ्गलों को काटते हैं और उनको नष्ट करते हैं तो उन लोगो को खेती के लिए लकड़ी नही मिल पाती है, तो माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो पहाड़ी इलाके में किसान रहते हैं, पहाड़ी इलाके में जो आदिवासी रहते हैं उनको विशेष सुविधाएं विज्ञप्तियां द्वारा दी गई हैं और वे विज्ञप्तियाँ माननीय सदस्य जानते हैं और सदन की जानकारी के लिए हाउस की टेबल पर रखी जा सकती हैं और मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि वे जो विशेष रियायतें पहाड़ी इलाके के आदिवासियों और किसानों को दी गई है, मेरा जैसा खयाल है, अन्य प्रान्तों के मुकाबले ज्यादा हैं, अन्डेमान और निकोबार को छोड़ कर। बम्बई हमारा पड़ोसी प्रान्त हूँ, मध्य भारत हमारा पड़ोसी प्रान्त है उनसे भी ज्यादा इन विज्ञप्तियों में रियायतें दी गई हैं। जिस चीज का जिक्र किया गया है, हो सकता है कि किसी केस में छोटे कर्मचारियों द्वारा पास देने में देरी की गई हो, यह भी हो सकता है कि किसी किसान को तंग किया गया हो; इतने बड़े राजस्थान में अगर इस प्रकार की बात आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उनको प्रोत्साहन देना चाहती है; ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना चाहती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब कभी भी ऐसी बातें आई हैं

[श्री अमृतलाल यादव]

सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है और आगे भी की जावेगी। जहाँ तक भ्रष्टाचार आदि को मिटाने के सवाल हैं इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। सरकार भी उसी तत्परता से बल्कि ज्यादा सख्ती से उसको मिटाना चाहती है जैसी कि माननीय सदस्य ने तत्परता दिखायी। विज्ञप्तियों में जो सहूलियतें दी गई हैं फोरेस्ट एक्ट के तहत उनको एक किया जावेगा। "Rules may add" होने के बाद उन विज्ञप्तियों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उनको कंसीडर करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस हाउस के कुछ एम. एल. एज़. को भी बुलाया गया। अतः इन विज्ञप्तियों को रूल्स में लिया जायगा, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। वाजिब सहूलियतें किसानों और आदिवासियों को दी जानी चाहिये, किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि फोरेस्ट को कूप्स बनाकर नहीं काटा जाय। उन्होंने कहा कि ठेकेदार कूप्स को काटते हैं, हजारों मन लकड़ी ले जाते हैं, तो किसानों और आदिवासियों को भी लाने दिया जाय। मैं आपको बताऊँ कि फोरेस्टस जो एक्सप्लॉइट (exploit) होते हैं, वे एक सिस्टम के माफिक होते हैं, एक तरीके के माफिक होते हैं। कूप्स की उम्र मान ली जाती है और फिर इयरवाइज़ (वार्षिक) काट दिया जाता है। यह सिस्टम न केवल राजस्थान में है बल्कि सारे हिन्दुस्तान में है। दुनियां के जो वन हैं वे भी इसी तरह से एक्सप्लॉइट किये जाते हैं। इसी तरह से उनकी आमदनी की जाती है, इसी तरह से कटाये जाते हैं और आगे भी कटाये जावेंगे। निवेदन करने का मेरा मतलब यह नहीं है कि वे इससे नष्ट होते हैं। एक पेड़ पूरी उम्र भुगतने के बाद अपने आप नष्ट हो जायगा और यदि अपने आप नष्ट होता है तो आमदनी करने के बाद नया वृक्ष आता है तो कोई बात नहीं कि उसकी आमदनी क्यों न की जाय? यदि कोई कन्फ्युजन (confusion) है तो उसको दूर करना चाहिये, उसको मिटाना चाहिये।

जहाँ तक वर्किंग प्लान का सवाल है मैं अर्ज करूँ कि राजस्थान में अलग-अलग रियासतों का समावेश हुआ है। उनमें से कई रियासतों में फोरेस्ट कानून थे और कइयों में नहीं थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने यह कोशिश की है कि सारे राजस्थान के लिए एक वर्किंग प्लान बन जाय, सारे राजस्थान की एक योजना हो जाय। राजस्थान सरकार में इसकी ओर विशेष ध्यान दिया है।

(११ बजकर २६ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पदासीन)

फोरेस्ट सेटलमेंट के बारे में कहा गया कि लोगों के घरों के पास डिमार्केशन लाइन निकाली गई हैं। माननीय अध्यक्ष, फोरेस्ट सेटलमेंट का एक निश्चित तरीका है और वह यह है कि जहाँ डिमार्केशन लाइन निकाली जाती है उसके लिए नोटिफिकेशन स्टेट गजट में शाया किया जाता है और किसानों को और जनता के लोगों को अपना हक ज़ाहिर करने का मौका दिया जाता है और उसके बाद अगर कोई आता है तो उसकी सुनवाई की जाती है और उसकी उजरदारी सुनने के बाद, उसको संतुष्ट करने के बाद वह डिमार्केशन लाइन फाइनल की जाती है, वह डिमार्केशन फाइनल होता है। वह निश्चित हद छोड़ कर गाँव वालों की राय से की जाती है, लेकिन जो दस साल पहले या पाँच साल पहले डिमार्केशन लाइन हो गई है और गाँवों की आबादी बढ़ने से उस लाइन के पास घर पहुँच गये हैं, उस स्टेज पर यह कहना कि डिमार्केशन गलत हुआ है यह मुनासिब नहीं

[श्री अमृतलाल यादव]

होगा। यह सोचा जा सकता है कि डिमार्केशन वहाँ से हटाया जाय, किन्तु यह विचारणीय प्रश्न आ जाता है।

श्री सोहनलाल भटनागर—अब जो डिमार्केशन हो रहा है वह क्या इस तरह से नहीं हो रहा है?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य सलूम्बर से आये हैं उन्होंने डिमार्केशन के लिए कुछ कहा है। मैं उनको इसके लिये बताऊं कि डिमार्केशन का जो कायदा है, उसी के अनुसार डिमार्केशन किया जाता है। उस जमीन पर जिसका कब्जा है उसको उज्र करने का मौका दिया जाता है उनको मियाद के अन्दर उज्र करने की सहूलियत दी जाती है; वे उज्र कर सकते हैं। उसके बाद में, उनके उज्र सुनने के बाद में उनका हक होता है तो दिया जाता है और नहीं होता है तो नहीं दिया जाता है। फिर डिमार्केशन की लाइन कायम की जाती है। यही तरीका सब जगह लागू है, यहाँ पर भी उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। इसलिये किसानों की शिकायत और उज्रदारी नहीं रहनी चाहिये।

वन विभाग के छोटे-छोटे कर्मचारी जैसे फोरेस्टर्स, गार्ड्स आदि में कमी की बात भी कही गई। बेशक मैं यह मानता हूँ कि जो अभी इन्टीग्रेशन की स्कीम थी उसमें इस बात का उल्लेख था जिसके कारण ये छोटे कर्मचारी जैसे फोरेस्टर्स, गार्ड्स, नाकेदार आदि की काफी तादाद में कमी होती थी, किन्तु सदन के सूचनार्थ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उस स्कीम को अभी रोक लिया गया है, सरकार उस पर पुनर्विचार कर रही है। मैं सिद्धान्ततया मानता हूँ और छोटे कर्मचारियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस हद तक उनकी आवश्यकता होगी उनको रखा जायगा और उस हद तक उनके निकालने का सवाल ही नहीं होगा।

वन-महोत्सव के लिए माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों को एतराज हुआ है कि मंत्रियों के फोटो खींचने के सिवाय और किसी प्रकार का प्रचार नहीं होता है। माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि वे आगामी वन महोत्सव में शामिल होवें उनके भी फोटो खींचे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—Two wrongs can never make one wrong right.

श्री अमृतलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय अध्यक्ष, वन-महोत्सव का मकसद है कि जनता में ऐसा वातावरण पैदा किया जाय कि पेड़ आदि लगाने में उनकी मनोवृत्ति पैदा हो और लोगों की पेड़ काटने की प्रवृत्ति रोकी जाय तथा जनता की मनोवृत्ति पेड़ लगाने के लिए बने। इसलिये जनता में प्रचार करना आवश्यक है। वह प्रचार केवल प्रचार के लिए नहीं बल्कि इसका एक खास मकसद यह है कि जनता में पेड़ों को उगाने की प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़े।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिन पेड़ों को माननीय मंत्री लोग उगाते हैं वे पेड़ जल कर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। गत वर्ष हमने कई जगह पेड़ लगाये। मैंने गत वर्ष वन मन्त्री की हैसियत से

[श्री अमृतलाल यादव]

कई पेड़ लगाये, उनमें से एक जयपुर क्लब में लगाया गया जिसको आप चलकर देख सकते हैं वह कितना हरा भरा है ? जिला बोर्ड के मकान के अहाते में मैंने पेड़ लगाया उसको भी आप हरा भरा देख लीजिये। इसलिए यह कहना कि मन्त्री महोदय जो पेड़ उगाते हैं सूख जाते हैं, गलत है। निश्चित योजना के अनुसार फोरेस्ट लगाना और व्यवस्थित योजना के अनुसार उनका संरक्षण करना, यह दोनों महत्वपूर्ण काम हैं। इसके लिये फोरेस्ट का एक फॉर्म है जो एक निश्चित योजना के अनुसार पेड़ लगाता है और उसके संरक्षण और हिफाजत की पूरी-पूरी व्यवस्था करता है; जैसे रोज पेड़ों को पानी दिया जाय तथा उनको धूप से बचाया जाय आदि।

इस वन विभाग के अलावा दूसरे विभागों को भी कहा गया कि आप इसमें सहयोग करें; मसलन पंचायत विभाग, स्कूलें, एज्युकेशन आदि विभागों ने भी पेड़ लगाये थे। यह तो कोमन सेन्स (Common Sense) की बात है कि लगाने वाले इसलिये नहीं लगाते कि पेड़ नष्ट हो जायें, यह तो वे खुद भी नहीं चाहते। यह जो बात कही गई कि पेड़ तो लगा दिये जाते हैं किन्तु सूख जाते हैं, उनकी हिफाजत के लिए प्रबन्ध नहीं किया जाता, यह कहना ठीक नहीं है। यह भी तय किया गया कि वन महोत्सव में चाहे कम ही पेड़ क्यों न लगें पर उनकी संरक्षण के लिए पूरी-पूरी व्यवस्था हो, ऐसे उपाय किये जाँय ताकि वे पेड़ न सूखने पावें; ऐसी बातों की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है।

इसके बाद कुछ सदस्यों ने जो झालवाड़ा से आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कहा है। मेरा उनसे निवेदन है कि राजस्थान का वन विभाग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की तजवीज कर रहा है। आशा है जल्दी ही बोर्ड बन जायगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इन्डस्ट्रीज़ आदि चलाई जा सकती हैं, उनके सर्वे की व्यवस्था करनी चाहिये। एक सदस्य ने, कोयलों का जो ठेका दिया जाता है, उससे वन नष्ट होते हैं, ऐसा भी कहा है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि कोयले के जो कूप काटने के लिए दिए जाते हैं उसमें से कुछ कूप लकड़ी के होते हैं जिनका लकड़ी और कोयला बनकर जनता के प्रयोग के लिए शहर में लाया जाता है। लकड़ी और कोयला ये दोनों चीजें जनता के रोजमर्रा के लिए आवश्यक हैं और जहाँ राजस्थान से एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, वहाँ एक्सपोर्ट भी किया जाता है। स्थाननीय जनता को तकलीफ भी न हो, इसका भी बराबर ध्यान रखा जाता है और कोयले को बाहर भी भेजा जाता है।

इन्डस्ट्री, चन्दन आदि लगाने की बातें भी कही गईं, लाख के बारे में भी कुछ बातें कही गईं। मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान में लाख लगाने का प्रयोग किया है, हमें लाख से काफी आमदनी हो सकती है। उससे आमदनी करने के लिए लाखों रुपया खर्च करने की आज आवश्यकता नहीं। आज तो हमें यह प्रयोग करना है कि किन-किन पेड़ों पर लाख लगाई जा सकती है, उनका एफोरेस्टेशन कैसे किया जा सकता है, यह प्रयोग किस-किस क्षेत्र में सफल

[श्री अमृतलाल यादव]

हो सकते हैं ? प्रयोग सफल हों, इस बात के लिए राजस्थान सरकार लाख के कल्टीवेशन के लिए पूरी-पूरी व्यवस्था कर रही है।

माइनर फोरेस्ट प्रोड्युसेज़ (minor forest produces) हैं, उनके लिए वन विभाग कॉओपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर प्रोत्साहन देती है। जो संस्था इस काम में भाग लेना चाहती है उनके लिए किसी प्रकार की रोक नहीं। जहाँ तक डिपार्टमेंटल काम करने का सवाल है अभी सरकार ने इस बात को हाथ में नहीं लिया है। जहाँ तक माइनर फोरेस्ट प्रोड्युसेज़ का सवाल है; जैसे कत्था आदि, जहाँ तक संभव हो सकेगा डिपार्टमेंटल सहायता करने की व्यवस्था हो सकती है। यह भी कहा गया कि सरकार को माइनर फोरेस्ट प्रोडयूस में किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती। यह बात ठीक नहीं है। इसके लिए भी ठेका दिया जाता है, रोयल्टी चार्ज की जाती है। इस तरह से किसी न किसी रूप में आमदनी अवश्य है। यह सब फोरेस्ट रूल्स के माफिक एक्सप्लोइट होता है। जहाँ किसी काइन्ड विशेष का सवाल हो, वहाँ सरकार अफोरेस्टेशन करने के विषय में सोचती है।

इसके बाद जो दक्षिणी राजस्थान में जन वनों के बारे में बात कही गई और सीमा के वनों के बारे में बात कही गई उनके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सीमा के इलाकों के जितने भी वन हैं, उनके डिमार्केशन और वर्किंग प्लान (demarcation and working plan) के लिए राजस्थान सरकार ने जो योजना रखी है उसके द्वारा इनकी तरफ विशेष ध्यान रक्खा जावेगा और वहाँ रहने वाले आदिवासियों का भी ध्यान रक्खा जावेगा और उनकी वाजिब माँगों को मन्जूर करने और वाजिब कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की जावेगी।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

पर एक कन्फ्यूजन की बात यह हो जाती है कि जो पेड़ किसान की जमीन पर खड़ा है उसको काटने, न काटने के बारे में फोरेस्ट विभाग का कोई हाथ नहीं होता है, वह कोई आदेश इस बारे में नहीं देता है। इसका सीधा सम्बन्ध होता है रेवेन्यू विभाग से। फोरेस्ट विभाग से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। फिर भी मैं सूचना के तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूँ कि रेवेन्यू विभाग की ओर से भी यह आदेश जारी हो चुके हैं कि किसान अपने खेत के काम के लिए जरूरत की लकड़ी वहाँ से ले सकता है। पर यह ध्यान हमें रखना चाहिये कि यह छूट केवल खेती के लिए जरूरी औजारों के काम के लिए ही पेड़ काटने के लिए है, लकड़ी काटकर बेचने के लिए नहीं है।

श्री हरिराम निनावा—किसानों की जमीनों में छाजन के लिए ले सकते है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, खेती के काम में जरूर ले सकते हैं।

एक सदस्य--ये छप्पर की बात कह रहे हैं।

Page No.66

श्री अमृतलाल यादव—इसके अलावा जो छोटी-छोटी दिक्कतें हैं उनके लिए मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों ने उन पर पूरा-पूरा ध्यान देने का तय किया है और यह भी तय किया है कि जिनका जंगल पर ही निर्वाह है उनको भी हम यथा-सम्भव जितनी सहूलियतें हो सकें दें। पर उनको इस बात के लिए कनविंस्ड (Cunvinced) होना होगा कि अगर अव्यवस्थित तरीके से इजाजत दी जावे तो यह तो नहीं होगा क्योंकि इसके भी कोई नियम और कायदे होने चाहिये और फिर उसकी जरूरत भी मालूम होनी चाहिये कि साल भर में उसकी क्या जरूरत हो सकती है, एक आदिवासी की साल भर की कितनी जरूरत हो सकती है। बहुत से लोगों की इस बात में दिलचस्पी है कि जङ्गल से खाली लकड़ी लेकर शहर में बेचा करें और अपना जीवन निर्वाह करें, यह सहूलियत आदिवासियों को मिलनी चाहिये; पर मैं निवेदन करूँ कि इससे ज्यादा आदिवासियों की सेवा यह होगी कि उनको कहा जाय कि वे किसान बनें और खेती करके अपना जीवन निर्वाह करें और इस तरह से स्वतन्त्र जीवन बिताएँ, बजाय इसके कि अपने सिर पर वजन लेकर शहरों में वे लकड़ियां और बोझा बेचते फिरें। यह सहूलियत दिलाने के बजाय उन्हें जमीनें दिलाएँ तो यह ज्यादा बहतर होगा और इस तरह किसानों के काम के लिए जितनी सहूलियतें दी जाने की हों उनको दिलाने में वन विभाग हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगा। (सरकारी पक्ष की ओर से करतलध्वनि) इन सब आश्वासनों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की सदन से प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की इजाजत है?

समस्त सदस्य—हाँ।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना कटमोशन वापिस लेता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की स्वीकृति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन को अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन को स्वीकृति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीदास गोयल—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री धूलजीभाई भवसार—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की स्वीकृति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री धूलजीभाई भावसार—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री खेतसिंह का कटौती प्रस्ताव स्वीकार हो।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६) का कटौती प्रस्ताव स्वीकार हो।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now the question is that the Demand on forest be accepted.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

नगर समिति (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं निम्नलिखित विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूँ।

"Bill to validate taxes levied and collected in certain Municipalities in the former Jodhpur State".

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान की जावे ?

समस्त सदस्य—दी जावे।

श्री अध्यक्ष—अनुमति दी जाती है।

श्री रामकरण जोशी—मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ।

मांगें लेन सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—अभी तक हमने १५ मांगों पर बहस करली। अब २० मिनट और हैं। किसी विशेष मांग पर बोलना चाहेंगे आप; पोलिटीकल एण्ड लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन या जस्टिस ?

श्री चन्दनमल बैद—पन्द्रह मिनट में कोई जस्टिस नहीं होगा साहब ?

श्री अध्यक्ष—तो क्या गुलेटिन लगाऊं or you will like to have the administration or justice ?

मांग संख्या १०—सामान्य-प्रशासन

I call on General Administration.

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 16,75,000/- be granted to His Highnees the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1955, in respect of Grant No. X., Major Head 25—General Administration Sub-Head B & C."

This Head is given as General Administration. As a mattor of fact it is "Parliament and State Legislatures." There are cut-motions on this by Shri H. K. Vyas.

Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

Shri Vedpal Tyagi.

(अनुपस्थित)

Shri B. N. Joshi.

(अनुपस्थित)

Shri Bhairon Singh (16)

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल बैद—They are not serious about the cut motions.

श्री अध्यक्ष—That is what you want.

(हँसी)

श्री चन्दनमल वैद—I am prepared to......

श्री अध्यक्ष—In their absence ?

(विराम)

The question is that the Demand be passed.

(स्वीकृत)

The Demand is passed.

(विराम)

We now come to Elections.

मांग संख्या २-निर्वाचन

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 32,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. II., Major Head 8-State Excise Duties."

Cut-motions by Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

Shri Shambhu Singh.

(अनुपस्थित)

Shri Tan Singh.

(अनुपस्थित)

Shri Khet Singh.

(अनुपस्थित)

Shri Bhairon Singh.

(अनुपस्थित)

The question is that the Demand be passed.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(हँसी)

माँग संख्या ३-मुद्राङ्क (स्टाम्प)

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 2,08,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. III, Major Head 9-Stamps."

(विराम)

Cut motion by Shri Chand Mal Mehta.

श्री चाँदमल मेहता—[To discuss the failure of the Government in making sufficient provision for the commission to be given to the stamp vendor]

२ मिनट लूँगा। माननीय अध्यक्ष, मैं एक छोटी सी बात इस बारे में कहना चाहता हूँ कि स्टाम्प दो तरह के होते हैं, जुडीशियल और नॉन जुडीशियल। नॉन जुडीशियल जो हैं उनके ऊपर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार वह मिलते नहीं हैं और देहात में तो यह मिलते ही नहीं हैं और अगर मिलते भी हैं तो ब्लेक मार्केट से। एक पाई पेपर होता है जिसकी कीमत एक पाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसके २ पैसे लेती है और वह किशनगढ़ में चार पैसों में मिलता है। नॉन जुडीशियल स्टाम्पस् किशनगढ़ में मिलते ही नहीं हैं, कोई उन्हें ले जाता नहीं है क्योंकि उन पर कमीशन नहीं मिलता है। माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोई डीलर (dealer) यह पसन्द नहीं करेगा कि बिना कमीशन के काम करे। इसलिए या तो उनको कमीशन दिया जाय या फिर उनको छूट दे दी जाय कि जितना पैसा चाहें, लें।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भोलानाथ—यह एक ऐसा सवाल माननीय सदस्य ने पेश किया है जो कि वाजिब मालूम पड़ता है। मैं इस पर विचार करूँगा और आशा है कि वे अपना कट मोशन वापिस ले लेंगे।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

Page No.71

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि डिमान्ड नं० ३, स्टाम्प्स जो पेश की गई है वह स्वीकृत की जाय।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

माँग संख्या ५-पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)

श्री अध्यक्ष—The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 1,65,000/— be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the chargies which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. V, Major Head 11- Registration."

(विराम)

The question is that the Grant be accepted.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ६-मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चार्जेज़

श्री अध्यक्ष—The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 3,36,000/— be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. VI, Major Head 12 -- Charges on account of Motor Vehicles Act."

(विराम)

Cut motion to be moved by Shri Chand Mal Mehta.

श्री चाँदमल मेहता—[To discuss the bus service between Ajmer and Kishangarh]

अध्यक्ष महोदय, अजमेर और किशनगढ़ के बीच बस सर्विस चलाना तय हुआ था और इसके लिए अजमेर स्टेट और किशनगढ़ स्टेट के बीच में सन् १९३१ में एक समझौता हुआ था; ३१ से ५३ तक बराबर बस सर्विस चलती रही, उस एग्रीमेंट के मुताबिक। उस एग्रीमेंट के मुताबिक ४ बसें अजमेर की और ४ किशनगढ़ की चलती थीं; जिनमें २ किशनगढ़ और अजमेर के बीच और २ अजमेर और सरवाड़ के बीच। यह सन् ५३ और बल्कि सन् ५४ तक प्रोसीजर चलता रहा। सन् ५४ से अजमेर और किशनगढ़ के बीच बस-सर्विस बन्द कर दी गई है। आज स्थिति यह है कि अजमेर और किशनगढ़ के बीच ट्रेफिक को देखते हुए पैसेन्जर जो हैं, जहाँ तक किशनगढ़ की सीमा है, किशनगढ़ की बस चलती है, आगे की सीमा में अजमेर की बस आयेगी और ले जायेगी, उससे यात्री बड़े परेशान होते हैं और मजबूरी दरजे उनको वहाँ उतर कर जाना पड़ता है, कभी-कभी तो ३-३ मील की दूरी तक अजमेर की बस के लिए जाना पड़ता है। कई बार मौका ऐसा होता है कि अजमेर

[श्री चाँदमल मेहता]

की जो बस आती है उसमें सवारियों की कम गुन्जाइश होती है तो पैसेन्जर्स को परेशान होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रीमेंट किशनगढ़ स्टेट के साथ हुआ उसमें इस तरह की व्यवस्था थी कि यदि उसमें तब्दीली की गई तो ६ महीने का नोटिस दिया जायगा। राजस्थान सरकार ने नोटिस नहीं दिया और गाड़ियों का चालान कर दिया और उनके खिलाफ केसेज़ चल रहे हैं। सन् १९५२ से मौका आता है काउन्टर साइन का और काउन्टर साइन का प्रोसीजर चला और अजमेर-मेरवाड़ा और राजस्थान सरकार ने काउन्टर साइन कर दिया। खैर, इसके बाद में जो कुछ स्थिति, मोटर वालों के साथ जो कठिनाइयाँ हुई, उनके बारे में निवेदन नहीं करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ खास तौर से अजमेर और किशनगढ़ के जो मुसाफिर जाते हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में। शायद इस कट मोशन के आने के बाद में या और किसी वजह से माननीय मन्त्री महोदय ने कृपा की है कि १ हफ्ते के लिए ट्राफिक खोल दिया है। इस प्रस्ताव के जरिये मैं सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक साधारण सी बात है। अगर कोई झगड़ा हो सकता है तो वह अजमेर सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में हो सकता है। वह होते हुए भी कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। अजमेर सरकार से लिखा-पढ़ी की जा सकती है और इस मामले को तय किया जा सकता है। बेचारे वहाँ के जो लोगबाग मुसाफिर हैं वे परेशान क्यों हैं? इसलिए मैं माननीय यातायात मन्त्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि वे इस पर ख्याल करेंगे और आश्वासन देंगे कि वे १ हफ्ते की अवधि बढ़ा देंगे और इस बढ़ी हुई अवधि में कोई बात अजमेर सरकार से तय करने की होगी तो तय कर लेंगे।

श्री मानसिंह महार—कट मोशन तो नहीं हैं, अगर आप इजाजत दें तो बोल लूँ।

श्री अध्यक्ष—१२ बजे तक इजाजत दूँगा। इसके बाद गुलेटीन लगेगा।

I should call those who have moved their cut motions.

श्री तनसिंह, श्री भैरूँसिंह (दोनों अनुपस्थित)

(श्री मानसिंह महार के खड़े होने पर)

Is it a very important Demand?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य को यह प्रकट करना चाहता हूँ कि वह १ हफ्ते के लिए नहीं बल्कि उस वक्त तक के लिए है जब तक कि राजस्थान सरकार और अजमेर सरकार के बीच एक्ट के मुताबिक वह समझौता न हो जाय। अजमेर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं देने की वजह से ऐसा हो गया था। यह उस वक्त तक के लिए जारी रहेगा और ट्राफिक को भी दिक्कत नहीं होगी। सवारियाँ बदस्तूर आती-जाती रहेंगी।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का एकशान

[श्री रामकरण जोशी]

उसमें गलत नहीं है। उसमें सिविल जज, किशनगढ़ ने तय कर दिया है कि उसमें अजमेर की तरफ से गलती थी। स्टेप्स वक्त पर लिये गये हैं और सवारियों को कोई दिक्कत नहीं दी। कट मोशन की बात कही गई है, सो कट मोशन का तो मुझे मालूम नहीं है आज तक। वहाँ पर दिक्कत सामने आई उस वक्त यह स्टेप लिया गया था।

श्री चाँदमल मेहता—मैं मेरा कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान हुई।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस माँग, चार्जेज़ ओन एकाउन्ट ऑफ मोटर वेहीकल्स एक्ट, को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

माँग संख्या ७—अन्य कर तथा चुंगियें

The motion is; "That a sum not exceeding Rs. 66,00,000/— be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. VII, Major Head 13 — Other Taxes and Duties."

Cut motion by Shri Bhairon Singh

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि डिमान्ड नं० ७ अदर टैक्सेज एन्ड ड्यूटीज को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकृत हुई।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, क्या 'गुलेटीन' आपने जारी कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष—(१२ बजे के भोंपू बजने पर) यह गुलेटीन की घन्टी बज रही है।

श्री रामकरण जोशी—१२ बजे का टाइम क्या समझ कर रखा गया है ? (हँसी)

शेष माँगों पर मत-दान

श्री अध्यक्ष—Now I apply guillotine.

(विराम)

मांग संख्या ११

The question is "That a sum not exceeding Rs 1,28,72,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XI, Major Head 25--General Administration, Sub-Head E. F. & G."

(स्वीकृत)

The demand is accepted.

माँग संख्या १२

The question is "That a sum not exceeding Rs. 30,24,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XII, Major Head 27-Administration of Justice."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या १३

The question is "That a sum not exceeding Rs. 24,00,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defrey the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XIII, Major Head 28--Jails."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या १५

The qnestion is "That a sum not exceeding Rs. 15,91,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in

Page No.75

[श्री अध्यक्ष]

course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respct of Grant No. XV, Major Head 36-Scientific Departments."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या २०

The question is "That a sum not exceeding Rs, 35,47,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XX, Major Head 40-A, Rural Development."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या २२

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 7,73,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defiay the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No, XXII, Major Head 42—Co-operation.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(स्वीकृत)

माँग संख्या २४

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 43,82,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXIV, Major Head 47—Miscellaneous Department."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या २६

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 1,15,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in

[श्री अध्यक्ष]

course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXVI, Major Head XL—A-Receipts from Multi-Purpose River Schemes."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ३०

The question is, ' That a sum not exceeding Rs. 41,51,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXX, Major Head 55—Superannaution Allowances and Pensions, etc."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ३२

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 85,46,000/- be granted to His Highness the Rrjpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXXII, Major Head 57—Miscellaneous."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ३३

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 12,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March; 1955, in respect of Grant No. XXXIII, Major Head 63—Extraordinary Charges."

(स्वीकृत)

The demand is passed.

[श्री अध्यक्ष]

माँग संख्या-३४

The question is. "That a sum not exceeding Rs. 59,50,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in recspect of Grant No. XXXIV, Major Head 63B—Community Development Projects."

(स्वीकृत)

The demand is passed.

माँग संख्या ३५

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 8,40,24.000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day March, 1955, in respect of Grant No. XXXV, Major Head 68—Construction of Irrigation, Navigation, etc."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ३६

The question is, "That sum not exceeding Rs, 11,36,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1955, in respect of Grant No, XXXVI, Major Head 70—Capital Outlay on Improvement of Public Health."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ३७

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 1,34,48,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1555, in respect of Grant No. XXXVII, Major Head 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

[श्री अध्यक्ष]

माँग संख्या ३८

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 1,29,73,000/- be granted to His His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXXVIII, Major Head 82—Capital Account of Other State Works."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ३९

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 10, 68,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXXIX, Major Head 82-Capital Account of Other State Works."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ४०

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 50,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XL, Major Head 83-Payments of Commu- ted Value of Pensions."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ४१

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 1, 45, 79,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XLI, Major Head 85A-Capital Outlay on Schemes of Government Trading."

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ४२

The question is, "that a sum not exceeding Rs. 1,20,50,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XLII, Major Head R-Loans and Advances by State Governments."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४.

श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री, वित्त)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund for the services of the year ending on the 31st day of March, 1955.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is that leave be granted.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री चन्दनमल वैद—Sir, I introduce the Bill.

(विराम)

Sir, I move, "That the Bill to authorise payment of certain sums from and out of the Consolidated Fund for the services of the year ending on the 31st day of March, 1955, be taken into consideration."

श्री अध्यक्ष—I would like to know whether the Hon'ble Members will like to meet this afternoon for discussion on the Appropriation Bill or that they will like to pass it.

राज्य-पक्ष के सदस्य--We are tired.

विरोधी दल के सदस्य—We do not want to meet in the afternoon.

श्री अध्यक्ष—We have got some time. It is upto the Hon'ble Members of the House who want to say something else than what has been discussed.

श्री मथुरादास माथुर--Nothing has been left.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is passed for taking the Bill into consideration.

(कुछ विराम के अनन्तर)

श्री चन्दनमल वैद—Sir, I move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष--So I put the question. The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

(राज्य-पक्ष की ओर से हर्ष-ध्वनियें)

सदन पुनः मिलने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—Now, we need not meet this afternoon and adjourn for the 27th ?

श्री मथुरादास माथुर—29th has also been declared by the Government as a public holiday. If the work is so heavy we may meet, otherwise we also enjoy.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is a private members' day and the work is necessarily heavy.

श्री मथुरादास माथुर--We can take the private members business on the next day.

एक माननीय सदस्य--We can meet for private business on the 31st.

एक दूसरे माननीय सदस्य—That is already a private members day ?

श्री गोपीलाल यादव—May be 31st as a private members day ?

श्री अध्यक्ष—I wanted to give two days for private members this time.

श्री गोपीलाल यादव—Third or second ?

श्री मथुरादास माथुर—One day can be allotted for this and another day when we meet in April.

श्री अध्यक्ष—Or continuous ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Two days.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—This is one session. Two days before we adjourn, once for résuming discussion on........

श्री अध्यक्ष—Then we will decide that we meet tomorrow and on the 29th ?

एक माननीय सदस्य—We can meet tomorrow

श्री मथुरादास माथुर—We do not want to create the unhealthy convention of meeting on Saturday for nothing. We can meet on the 29th but not tomorrow.

श्री गोपीलाल यादव—We allot every Friday one hour ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Two hours, Si .

श्री गोपीलाल यादव—So the general sense is that we meet on the 31st and we can discuss private members bill one day and meet next on the 19th. You can give us a day or two for us.

श्री अध्यक्ष—I would like to know the opinions of the Leader of the House and the Leader of the Opposition both

(दोनों अनुपस्थित होने के कारण)

They had discussed this morning.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—...... And they declared to the House that two days will be given-29th and 31st.

Page No.82

श्री अध्यक्ष—29th is a sandwich.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—May be. One day for discussion on non-official bills.

श्री अध्यक्ष—29th ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—31st and not 29th.

श्री अध्यक्ष—The latter one day we can take up for non-official day. It is one session and it will be continuous.

(विराम)

(कुँ० श्री जसवन्तसिंह को संकेत करते हुए) Perhaps you have not followed the context. We have passed the Appropriation Bill and we want to fix time for non-official business. We keep either 29th or 31st ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The point is this. The Appropriation Bill......... We are not to meet this afternoon. Then on the 29th we meet ?

श्री अध्यक्ष—It is for the House to decide.

29th is a sandwich.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—31st and 2nd, as far as I can understand, for the Ordinances will be sufficient. They will be passed within two days and two days should be allotted for non-official business.

श्री अध्यक्ष—Since the session is in continuation, at least we meet on...

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—We can allot two continuous days—

श्री अध्यक्ष—O. K.. It is for Private Bills for discussion. So this is agreed and we meet on the 31st now and not on 29th ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—No, sir.

श्री अध्यक्ष—Agreed. Then we adjourn to meet on the 31st at 8. 30 A. M.

[सदन की कार्यवाही १२ बज कर १५ मिनट पर ३१ मार्च, १९५४ के प्रातः ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक-२६ मार्च, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

[कृपया प्रश्न संख्या ५२५ (ख) का उत्तर देखिये]

	किन-किन खानों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही चल रही है ।	किन-किन अदालतों में मुकद्दमें चल रहे हैं ।	किस-किस मालियत के मुकद्मे हैं ।
	पलाना माइन		
१.	मेसर्स आर ऐस वर्मा एण्ड को. देहली विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान	सब कोर्ट कामर्शल देहली	रु० ६००० /- अभी हाल ही पार्टी के हक में तय हुआ है ।
२.	धनश्यामदास सराय विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान कोटा	मुन्सिफ कोर्ट मादरा ।	रु० ४९६/–
१.	ऐसोसीयेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड रामगंज मण्डी विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत लाइम स्टोन क्वेरीज रामगन्ज मन्डी और चेक्ट	डिस्ट्रीयट सेशन जज कोर्ट कोटा ।	रु० ११००/–
२.	प्रभुलाल वल्द भगवन्त वेद विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान	हाई कोर्ट जयपुर	—
३.	रेवती प्रसाद वल्द किशोरीलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत मिल स्टोन रूपवास	हाई कोर्ट जयपुर	—
	बीकानेर		
	छोटूलाल राठी विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत रॉयलटी पेमेन्ट के	मुन्सिफ कोर्ट बीकानेर	रु० ११००/–

किन-किन खानों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही चल रही है।	किन-किन अदालतो में मुकद्मे चल रहे हैं।	किस-किस मालियत के मुकद्मे हैं।
उदयपुर		
१. जीवनमल मेडीराटा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत पी. एल. माथिकों के।	मुन्सिफ कोर्ट उदयपुर।	रु० १००/-
जोधपुर		
मेसर्स शिवजीसिंह किशोरसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत सोजत लाइम कॉन्ट्रेट	मुन्सिफ कोर्ट जोधपुर।	रु० ५००/-
जमनालाल तूखांजा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत पुराना लाइम कन्ट्रक्ट कुचामन।	डिस्ट्रिक्ट जज जोधपुर	रु० २१५८३/१३-
लछमनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत मुन्डवा लाइम स्टोन क्वारीज	,, ,,	रु० १५०००•/-
लछमनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान मुन्डवा लाइम स्टोन क्वारीज।	सिविल जज जोधपुर	रु० २१००/-
स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध बक्शूखान बाबत लाडनू और जसवन्तगढ़ के ठेके के।	डेपुटी कस्टोडियन नागोर	रु० ७४३६/-
मेसर्स रामलाल एण्ड सन्स, विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान बाबत फुलर्स अर्थ कपूरडी और आलमसरिया	जोधपुर हाई कोर्ट	

किन-किन खानों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही चल रही है।	किन-किन अदालतों में मुकद्दमे चल रहे हैं।	किस-किस मालियत के मुकद्दमे हैं।
जयपुर		
तिवारी गोविंद नारायण वल्द तिवारी झूमरलाल और तिवारी कन्हैयालाल वल्द तिवारी श्री नारायण हिस्सेदार ऑफ मेसर्स तिवारी झुमरलाल स्वरूपलाल नाहरगढ़ रोढ़, जयपुर, पुरानी बस्ती, बाबत करोली सेंड स्टोन क्वरीज़।	डिस्ट्रीक्ट जज जयपुर	रु० ५०००/-
सेठ भागचन्द सोनी अजमेर बाबत पी.एल. मनी के वापस करने।	हाई कोर्ट जयपुर,	रु० २२०००/-
मेसर्स राजपूताना कॉर्पोरेशन खालसा एरिया के बाबत।	हाई कोर्ट जयपुर	

परिशिष्ट २

(कृपया ता० प्रश्न सं० ५४१ का उत्तर देखिये)

No. F. 127/51-C

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW.

New Delhi the 11th December, 1952.

OFFICE MEMORANDUM

Sub—Adjustment of the expenditure incurred by the Central Government on travelling allowance to the Staff deputed for election duty during the last general elections.

Attention of the Ministry of Home-Affairs etc., is invited to this Ministry's endorsement No. F. 127/51-C dated the 11th January 1952 according to which the expenditure on travelling allowance and daily allowance paid to the staff deputed for election duty during the last general elections was debitable to the normal budget head of the Department in which the staff concerned were employed. It has since been decided that expenditure incurred by the Central Government and the State Governments on this account should be debited to the election budget and that the Government of India will share 50% of such expenditure. As under the orders of the 11th January 1952 the entire expenditure Government Department incurred by the Central Offices on travelling and daily allowances to the staff deputed for election duty would have been debited to their departmental budgets. The Ministry of Home Affairs etc. are requested to intimate such expenditure incurred by them (including the expenditure incurred by their attached and subordinate Offices) in respect of elections in Part A and Part B States to the Accountant General of the State concerned to enable him to take it into account while deciding the Central Government's share of the election expenditure.

As the expenditure in connection with the election in Part C States is being met from the Central Budget, the question of sharing such expenditure does not arise.

Sd Mangharam Bhavandas.
Under Secretary to the Government of India.

To
All the Ministries of the Government of India etc.,

No. F. 127/44-C

Copy forwarded for information to :

1. The Chief Secretaries to the Governments of all Part A and Part B States (Except Jammu and Kashmir).

2. The Comptroller and Auditor General of India.

3. The Accountsant General, Central Revenues, New Delhi.

4. The Accountants General/Comptroller of all Part A and Part B States.

(It is requested that 50% of the expenditure incurred by the Departments/Offices of the Government of India that may be intimated by them in pursuance of the instructions contained in para 1 above may be adjusted against the Ceatral Governments share of the election expenditure).

Sd Mangharam Bhavandas,
Under Secretary to the Government of India.

परिशिष्ट ३

(कृपया ता० प्रश्न संख्या ५४२ का उत्तर देखिये)

List of Ayurvedic Aushadhalayas to be opened under One Year Plan.

S. No.	Name of Aushadhalaya.		Division	District.
1.	Jobner	(B)	Jaipur.	Jaipur
2.	Geejgarh	(B)	—do—	—do—
3.	Dhula	(C)	—do—	—do—
4.	Unani Dawakhada Ch. Topkhana	(B)	—do—	Jaipur City.
5.	Kundan	(C)	—do—	Sikar.
6.	Biggu	(C)	Bikaner	Bikaner
7.	Kalana	(C)	—do—	Ganganagar
8.	Dhirwas	(C)	—do—	Taranagar.
9.	Ajitpur	(C)	—do—	Ganganagar.
10.	Bandhnau	(C)	—do—	Sardarsahar Ilaka.
11.	Karthathal	(C)	—do—	
12.	Sherda	(C)	—do—	Ganganagar
13.	Sherekhan	(C)	—do—	
14.	Kakra	(C)	—do—	
15.	Unani Redhkabarwara	(C)	—do—	Bikaner.
16.	Mandore	(B)	Jodhpur	Jodhpur.
17.	Bhairunda.	(C)	—do—	—do—
18.	Loonwa	(B)	—do—	Nagore
19.	Mundara	(C)	—do—	Pali
20.	Bagghu	(C)	—do—	Nagore
21.	Salamgarh	(B)	Udaipur	Chitorgarh
22.	Modkanimbehera	(C)	—do—	Bhilwara
23.	Kolyari	(C)	—do—	Udaipur
24.	Jasma	(B)	—do—	—do—
25.	Unani Fatehnagar	(C)	Udaipur	—do—

S. No.	Name of Aushadhalaya.		Division	District.
26.	Tatarpur	(C)	Jaipur	Alwar
27.	Shimla	(B)	—do—	Jhunjhunu
28.	Thoona	(C)	Jaipur	Nagar
29.	Chandoli	(C)	—do—	Bharatpur
30.	Papra	(C	—do—	—do—
31.	Ghatole	(C)	Udaipur	Banswara
32.	Thakarda	(C)	—do—	Dungarpur
33.	Badakhera	(C)	Kotah	Bundi
34.	Undwa	(C)	—do—	Bundi
35.	Chandoli	(C)	Jaipur	Bharatpur

परिशिष्ट ४

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-समय में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये ।)

प्रश्न

५४६. (२०५/सी. एम.) श्री तेजपाल एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२— क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान निर्माण होने से अब तक कितने व्यक्तियों को पेंशन पर रिटायर किया गया है ?

(ख) इनमें से कितनों को पेंशन का रुपया मिलने लग गया है ?

(ग) जिन लोगों को रुपया नहीं मिलने लगा है उनको रिटायर हुए कितना समय हो गया ?

(घ) क्या इनकी सरकार ने ग्रेच्युइटी की रकम शीघ्र ही दे दी है कि जिससे वे अपने निर्वाह का साधन जुटा सकें ?

(ङ) यदि नहीं तो क्या सरकार ने कोई अन्य उपाय उन्हें भूखों नहीं मरने देने के लिए अमल में लिया है ?

(च) क्या सरकार को मालूम है कि भरतपुर जिले में कितने ही व्यक्तियों को उनके जीवन काल में पेन्शन नहीं मिली ?

(छ) रिटायर होने के तुरन्त बाद ही पेन्शन मिल सके इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

Page No.92

प्रश्न

५५०. (२०७/सी. एम.) श्री जयचन्द्र मोहिल, एम. एल, ए., डिवीजन नम्बर ६५—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या बैकवर्ड क्लासेज़ वेलफेयर विभाग के ऑफिसरों की नियुक्ति हेतु गत समय गजट में विज्ञापन शाया किया गया था ?

(ख) क्या इन उम्मीदवारों के आवेदन-पत्रों में किन्हीं हरिजन उम्मीदवारों के भी कोई आवेदन-पत्र आये थे ? आये तो किन किन के आये और उनकी क्या योग्यता थी ?

(ग) क्या उन पोस्टों पर नियुक्तियाँ हो चुकी हैं ? यदि हाँ, तो किन-किन किस-किस जाति के व्यक्तियों की हुई हैं और उनकी योग्यता उस समय क्या थी ?

(घ) क्या इस पोस्ट के लिए उदयपुर निवासी श्री कालूलाल रेगर बी. ए. एल-एल. बी., ने भी आवेदन पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उनके आवेदन पत्र को क्यों ठुकराया गया ?

उत्तर

(क) हाँ।

(ख) उम्मीदवारों के पत्र पब्लिक सर्विस कमीशन के पास आते हैं। चूंकि इन स्थान पर पहले से ही तीन अनुभवी व्यक्ति संतोषजनक कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट ने इन स्थानों के लिये नई नियुक्तियाँ करने का विचार स्थगित कर दिया है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन को मौजूदा व्यक्तियों की योग्यता जाँचने के लिये लिखा।

(ग) नहीं। अभी मौजूदा व्यक्तियों की योग्यता का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) उपरोक्त उत्तर के बाद प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न

५५१ (२१८/सी. एम.) श्री किस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ७२—क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) डि० भीलवाड़ा तहसील बनेड़ा के गाँव, रायला में गत राष्ट्रीय सप्ताह में तालाब पर कितना काम हुआ ?

(ख) क्या जितना काम वहाँ की जनता ने किया है उतनी ही एड सरकार ने ५० पर्सेन्ट के हिसाब से दी है ?

उत्तर

(क) इस तालाब पर गत राष्ट्रीय-सप्ताह में ३१४३ रुपये आठ आने का कार्य हुआ था।

(ख) नहीं।

प्रश्न

५५२. (६४/एम. एच. एम.,) श्री धूलजी भाई भावसार, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ३८—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बाँसवाड़ा जिले में कितने हॉस्पिटल व डिस्पेन्सरियाँ हैं और उनमें कितने डाक्टर हैं ?

(ख) ऐसी डिस्पेन्सरी कितनी हैं जहाँ उनके आरम्भ होने से आज तक कोई डाक्टर पहुँचा ही नहीं ?

(ग) यदि यह सच है तो इसका क्या कारण है और क्या सरकार उन डिस्पेन्सरियों में जहाँ डाक्टर नहीं है भविष्य में डाक्टरों की व्यवस्था करेगी और वह कब तक होगी ?

उत्तर

एक अस्पताल एवं आठ डिस्पेन्सरियाँ हैं। आठ में से केवल ३ डिस्पेन्सरियों में डॉक्टर मौजूद हैं। राजसेवा आयोग ५ अप्रेल, १९५४ से डॉक्टरों का चुनाव कर रही है और डॉक्टरों के मिलते ही बाकी ५ रिक्त स्थानों पर नियुक्ति कर दी जायगी।

प्रश्न

५५३. (३२/आर. आर. एम.) श्री जयचन्द्र मोहिल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६५—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) वृहद् राजस्थान बनने के बाद से सन् १९५३ तक वनों से क्या आय हुई और उन पर क्या व्यय हुआ ? इस प्रकार से बचत कितनी हुई ?

(ख) राष्ट्र के अभ्युदय के लिए बनाई गई पंच वर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय महत्व के कारण इस विभाग के विकास के लिए कितनी रकम की योजना बनाई गई है और अब तक कितनी रकम की योजना कार्य रूप में परिणत की गई है ?

उत्तर

(क) वृहद् राजस्थान बनने के बाद सन् १९५३ तक वनों की आय, व्यय और बचत निम्न प्रकार हुई :—

सन्	आय	व्यय	बचत
१९५०-५१	४१,४७,९७६	२३,८९,४०१	१७,५८,५७५
१९५१-५२	३८,६०,०००	३०,४२,८४५	८,१७,१५५
१९५२-५३	३९,३४,८६७	२५,०४,१४५	१४,३०,७२२

(ख) कुल रकम इक्कीस लाख है और इसकी पूरी योजना बन चुकी है। इसमें से लगभग तीन लाख सन् १९५३-५४ में और नो नो लाख सन १९५४-५५ व १९५५-५६ में खर्च की जायगी।

प्रश्न

554 (220/C. M.) Shri Sohan Lal Bhatnagar M. L. A., Div. No. 145—Will the chief Minister be pleased to state:—

(a) How Many Upper Division Clerks are in surplus in the various Departments of Rajasthan Government ?

(b) How many Lower Division Clerks are working as officiating Upper Division Clerks in the various Departments of the Rajasthan Government ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

५५५. (२२२/सी. एम.) श्री शम्भुसिंह. एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १३६—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान पुलिस विभाग में प्रोमोशन देने के नियम और आधार क्या हैं ?

(ख) गत एक वर्ष में कितने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर हैडकाँस्टेबिल एवं कांस्टेबिलों को स्थाई और अस्थाई प्रोमोशन दिये गये ?

(ग) क्या यह सच है कि अनेकों योग्य ट्रेन्ड सीनियरों के होते हुए भी कई अन्ट्रेन्ड जूनियरों को प्रोमोशन दिया गया; यदि दिया गया तो उनके पद सहित नाम क्या-क्या हैं ?

(घ) रिक्त स्थानों में जो लिए गए हैं क्या वे सभी डिपार्टमेंट के और ट्रेन्ड व्यक्ति थे ? ऐसे व्यक्तियों के होते हुए बाहर के और अन्ट्रेण्ड कौन-कौन व्यक्ति क्यों लिए गए ?

Page No.95

उत्तर

(अ) विभाग में उन्नयन व्यक्ति की उच्चता, गुण तथा प्रशंसनीय सेवाओं पर यथोचित विचारोपरान्त होता है।

(ब) उन्नयन एवं नियुक्तियों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

१. उन्नत एवं नियुक्त अधिकारी गण

क्रम सं०	विवरण	डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट		इन्स्पेक्टर		सब इन्स्पेक्टर	
		वि. भा.	अवि. भा.	वि. भा.	अवि. भा.	वि. भा.	अवि. भा.
१.	स्थायी (प्रोवेशनर)	०	०	४	३	२०	३६
२.	आफीसीयेटिंग	११	०	१४	०	५	०
३.	अस्थाई	२	०	०	०	०	३

२. (स) नहीं।

(डी) रिक्त स्थानों में बाहर के व्यक्ति कहीं लिये गये तो वे केवल योग्य शिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण विवश होकर बाहर से लेना पड़ा खास तौर से पैरोकारी लाइन व टैक्नीकल विभाग में ऐसे व्यक्तियों की नितान्त आवश्यकता थी जिसके कारण बाहर से व्यक्ति लेने पड़े।

प्रश्न

५५६. (२२५/सी. एम) श्री जयचन्द्र मोहिल, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ६५—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सच है कि चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष में बूंदी रोड पर देहली दरवाजे के पास सड़क बनाई गई थी?

(ख) क्या आधा कार्य जनता द्वारा पूर्ण होने पर बकाया आधा कार्य सरकार द्वारा पूरा किया गया था?

(ग) आधा कार्य जो सरकार द्वारा पूर्ण किया गया उस समय क्या मजदूरों की मजदूरी ओवरसियर श्री गिरजाशंकर और ठेकेदार श्री गफूर लुहार को अलग अलग दी गई थी?

(घ) क्या रकम देने वाले ऑफिसर ने ओवरसियर द्वारा भरी एम. बी. और ठेकेदार की एम. बी का मिलान करके रकम दी थी?

(ङ) जून सन् ५३ के जिन दिनों की ओवरसियर द्वारा भरी एम. बी. में और ठेकेदार की एम. बी. में उन्हीं मजदूरों का उन्हीं दिनों का नाम दर्ज होते हुए दोनों को अलग-अलग रकम देने का क्या अभिप्राय था?

(च) क्या सम्बन्धित इन्जिनियर साहब को इसका ज्ञान नहीं था? अगर था, तो इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया?

उत्तर

(क) यह सत्य है।

(ख) जनता द्वारा केवल २०० रु० का कार्य होने पर बाकी कार्य राज द्वारा करवाया गया था ।

(ग) जो कार्य सरकार द्वारा करवाया गया और जिसमें विभागीय मजदूर लगाये गये उस के लिए ठेकेदार श्री गफूर लुहार द्वारा मजदूरी दिलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मेजरमेन्ट बुक ओवरसियर ही भरता है जो नियमानुसार एसिस्टैन्ट इन्जीनियर द्वारा चैक की जाती है । ऐसी दशा में मिलान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(न) माह जून १९५३ में यह कार्य वैभागिक श्रमिकों द्वारा कार्य करवाया गया था इस लिये ठेकेदार की मेजरमेंट बुक का इस माह का कोई प्रश्न नहीं उठता और न मेजरमेंट बुक में कहीं नाम दर्ज किए जाते हैं ।

(च) प्रश्न (न) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

५५७. (६४/ए. एम. एच. एम.) श्री धूलजी भाई भावसार, एम. एल. ए.; डिविजन नम्बर ३८—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार को केन्द्रीय सरकार से राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में होने वाले नाहरू रोग की रोक-थाम के लिए क्या कोई धनराशी मिली है ?

(ख) यदि हाँ, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ और किस-किस प्रकार किया गया ?

(ग) क्या बाँसवाड़ा जिले के उपयोग के लिए भी कोई धन राशि स्वास्थ्य मन्त्री केन्द्रीय सरकार ने दी है और उसका उपयोग किया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार और कहाँ-कहाँ ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) यह धनराशि कब प्राप्त हुई थी और अब किसके पास है ?

उत्तर

(क) जी नहीं । इसके प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता । श्री बलवन्तसिंह अकाल सेवा-समिति के पत्र से पता चला कि भारत की स्वास्थ्य मन्त्रिणी ने रेड क्रॉस सोसायटी से उक्त समिति को ५००० रुपया इस कार्य के लिये दिलवाया है । यह रुपया कैसे उपयोग किया गया और कैसे और कब प्राप्त हुआ और अब किसके पास में है इसकी जानकारी सरकार को नहीं है ।

प्रश्न

५५८. (३३/आर. आर. एम.) श्री जयचन्द्र मोहिल, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६५—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में वनों का फैलाव कितने वर्ग मील में है और यह राज्य के कितने हिस्से को घेरे हुए है ?

(ख) विशेषतः इन वनों पर किन लोगों का जीवन निर्भर है और यह किस-किस प्रकार से ?

(ग) वनों के संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए क्या कोई समुचित व्यवस्था की गई है ? यदि हाँ, तो वैसे और क्या-क्या; नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) जागीरदारों का वन क्षेत्र कितना है और जागीरदारी क्षेत्रों में जागीरदारी के समाप्त होने के भय से क्या किसी जागीरदार ने पेड़ों की अविचार पूर्ण कटाई की है ? यदि हाँ, तो किन-किन जागीरदार ने और कितने कितने पेड़ों की ?

(ङ) वनों की वृक्ष रहित तथा बेकार भूमि में पेड़ लगाने के साथ-साथ नहरों तथा सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने का कार्य क्या सरकार ने अपने हाथ में लिया है ?

(च) क्या अव्यवस्थित वन सुव्यवस्थित किये गये हैं ? यदि किये, गये तो कितने-कितने और कहाँ-कहाँ ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) १३,१२६ वर्गमील व १०.८ प्रतिशत।

(ख) भील, मीने, सेरिये कथोड़िये आदि लकड़ी, घास, शहद, मोम, सफैद मूसली और गोंद आदि बेच कर अपना निर्वाह करते हैं।

(ग) जी हाँ, वनों के संरक्षण के लिये फोरेस्ट एक्ट व राजस्थान रिमूवल ऑफ ट्रीज़ ऑर्डिनेंस लागू है।

संवर्द्धन के लिए हर वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है और जो वृक्ष पहिले के लगे हुए हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए वैज्ञानिक उपाय काम में लाये जाते हैं।

(घ) जागीरदारों के कुल वन क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कई जागीरदारों ने अपने वनों में अविचारपूर्ण कटाई की है; उदाहरणार्थ जागीरदार सरमथुरा ने तो बीस हजार मन से भी अधिक लकड़ी कटवाई है।

(ङ) जी हाँ, यथासम्भव।

Page No.98

(च) अव्यवस्थित वनों को सुव्यवस्थित करने का कार्य जारी है वनों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न

५५६. (२२६/सी. एम.) श्री धूलजी भाई भावसार, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ३८—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) वृहत् राजस्थान निर्माण होने पर क्या राजाओं को प्रिवी पर्स की नियत धनराशि के अलावा जंगल, पहाड़ एवं तालाब आदि व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दिये गये हैं और क्या राजाओं को यह अधिकार भी दिये गये हैं कि वे जंगल, खनिज एवं सिंचाई आदि के ठेके देकर उससे व्यक्तिगत लाभ उठावें ?

(ख) क्या सरकार के समक्ष राजाओं अथवा जनता के इस सम्बन्ध में विवादास्पद मामले आये हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हाँ।

(२) राजाओं को उन जङ्गलों, पहाड़ों एवं तालाबों में जो कि पूर्णतया उनको व्यक्तिगत संपत्ति मान लिये गये हैं वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो कि कानून के अन्तर्गत ऐसी संपत्ति के किसी अन्य स्वामी को प्राप्त हैं।

(३) नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

५६०. (२३४/सी. एम.) श्री गोपीलाल यादव, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ४७—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) तारीख ११ अगस्त सन् १९५३ और २८ फरवरी सन् १९५४ के दरम्यान कितने रिटायर्ड राज-कर्मचारियों के पेन्शन के क्लेम्स सैटिल किये गये और कितने क्लेम्स उन कर्मचारियों के बाकी हैं जो ३० जून सन् १९५३ से पहले और ३० जनवरी सन् १९४९ के दरम्यान रिटायर किये गये ?

(ख) क्या गवर्नमेंट ने ऐसी हिदायतें हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट को जारी कर दी है कि भविष्य में जो आदमी रिटायर करने हैं उनके पेन्शन के क्लेम रिटायरमेंट से पहले तय कर दिये जाय ?

उत्तर

तारीख ११-८-१९५३ और २८ फरवरी १९५४ के दरम्यान ३३७ केसेज में महकमा हिसाब से फाइनल पेन्शन पेमेंट ऑर्डर जारी किये गये; इनके अतिरिक्त २९१ केसेज़ में anticipatory pension मन्जूर की गई। ३० जनवरी सन् १९४९ से लेकर ३० जून सन् १९५३ तक के अर्से में जो राज्यकर्मचारी रिटायर किये गये उनमें से २१०० के पेन्शन क्लेम्स अभी तक उनकी सेवा काल के वेरीफिकेशन में, अन्य सम्बन्धित कागजात (documents) के प्राप्त होने में तथा महकमा हिसाब द्वारा पेन्शन वेरीफिकेशन हो जाने के बाद सरकार व सम्बन्धित अधिकारियों की मन्जूरी होने में विलम्ब होने के कारण अभी तक तय नहीं हो सके हैं। इस प्रकार की देरी को दूर करने में सरकार सचेष्ट है।

प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिये R. S. R. के रूल २८१ के तहत यह अनिवार्य है कि वह अपने रिटायरमेंट की तारीख के ६ माह पहले पेन्शन की दरख्वात पेश करदे।

पेन्शन की दरख्वात को भरने के तरीके के सम्बन्ध में भी विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी हिदायत कर दी गई है कि रिटायरमेंट के केसेज़ में रिटायर-मेंट की तारीख से ६ माह पहले उनके सेवाकाल, उम्र आदि से सम्बन्धित जाँच समाप्त कर ली जावे ताकि पेन्शन के कागजात रिटायरमेंट से पहले या उनके शिघ्र ही बाद तैयार हो सकें और रिटायर्ड कर्मचारियों को इस विषय में दिक्कत न हो।

प्रश्न

५९१- (२३०/सी. एम.) श्री भगवानसिंह तरंगी एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ९—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) झालावाड़ जिले की भवानी मण्डी व राजेन्द्रपुर मण्डी में टेक्सटाइल मिल तथा शुगर मिल बनाये जाने के नाम से किसानों की जो जमीन पूँजीपतियों द्वारा दबा ली गई है क्या उन जमीनों का उपयोग मिलें बनाने के लिये हो रहा है?

(ख) यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं?

(ग) क्या सरकार इस जमीन का उचित व अपेक्षित उपयोग किए जाने की ओर ध्यान देगी?

उत्तर

(क) नहीं।

(ख) तथा (ग) जो इकरारनामा झालावाड़ स्टेट और श्री मंगतू राम जयपुरिया के बीच में हुआ था उसकी शर्तों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। केवल लगान वसूल किया जा सकता है जो वसूल किया जा रहा है।

प्रश्न

५६२. (६५/एच. एम.) श्री कँवरलाल जेलिया एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ७०—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज़ का एकीकरण कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इन्हें कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है ?

(ख) इन श्रेणियों की ग्रेड क्या-क्या हैं और ये श्रेणियाँ क्या मेडिकल डिग्रीयां के आधार पर तय की गई हैं ? यदि हाँ, तो कौन सी श्रेणियों के लिए कौन-कौन सी डिग्री है ?

(ग) यह एकीकरण कब से लागू होगा ?

उत्तर

(क) सी. ए. एस. श्रेणी १ के सिवाय बाकी मेडीकल अफसरों का एकीकरण हो चुका है। मेडिकल अफसर निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में विभाजित हैं।

१. स्पेश्यलिस्टस

२. असिस्टेन्ट डाईरेक्टर्स आफ हैल्थ सर्विसेज़

३. डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एन्ड हैल्थ आफिसर्स व दूसरे अफसर जिनका ग्रेड डी. एम. एच. ओज़ का है।

४. सी. ए. एस. श्रेणी १.

५. सी. ए. एस. श्रेणी २.

(ख) उपरोक्त श्रेणियों के विभिन्न ग्रेड क्रमानुसार ये हैं :—

१.	५००	५०	१०००			
२.	४००	२५	६००	E. B.	२५	८००
३.	४००	२५	६००	,,	२५	८००
४.	२५०	२५	४००	,,	२५	५००
५.	१५०	१०	२५०	,,	१०	३००

इन श्रेणियों में फिक्स करने में केवल मेडिकल डिग्री का ही खयाल नहीं रखा गया है वरन् experience वगैरह का भी ध्यान रखा गया है। सी. ए. एस. श्रेणी २ के लिये न्यूनतम डिप्लोमालाइसेन्स पर हैं जो किसी भी मान्यता प्राप्त Examining बोर्ड की हो। बाकी सबके लिये कम से कम किसी भी युनिवर्सिटी का मेडीकल ग्रेजुएट होना चाहिये।

(ग) सब का एकीकरण लागू हो चुका है। सी. ए. एस. का एकीकरण भी शीघ्र ही लागू हो जायगा।

प्रश्न

५६३. (२३१/सी. एम.) श्री मोटाराम चौधरी एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १०४—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि सिवाणा पचपदरा तहसील में हर गाँव के मीणां को ४००-५०० रुपया सालाना देना पड़ता है? और जो गाँव इस प्रकार की रकम मीणां को नहीं देता है वहाँ चोरियों की जाती हैं?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इसका बन्दोबस्त करने के लिए क्या कर रही है?

उत्तर

(क) यह असत्य है कि सिवाणा पचपदरा तहसील में हर गाँव के मीणों को ४००-५०० रुपया सालाना देना पड़ता है। यह भी असत्य है कि जो गाँव इस प्रकार की रकम मीणों को नहीं देता है उसके यहाँ चोरियाँ की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

564. (227/C. M.) Shri Gulab Chand Kasliwal. M. L. A., Div. No. 48—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) What was the number of working days since the end of the last session of the Assembly to the end of the month of February, 1954?

(b) How many days during this period has each one of the Ministers attended his office in the Secretariat?

उत्तर

1. No. of working days since the end of the last session of the Assembly to the end of the month of February, 1954.	127 days.
2. No. of days on which the Minister attended his Office in the Secretariat :—	
(1) Chief Minister.	No such record was kept.
(2) Finance Minister.	24 days. (Took over as Minister on 9. 1. 1954).

(3) Minister for Revenue, Agriculture & Famine Relief.	48 days.
(4) Minister for Education and Separate Revenue	78 days.
(5) Minister for Food and Civil Supplies.	90 days.
(6) Minister for Forests, Cooperation & Refugee Relief and Rehabilitation.	84 days.
(7) Minister for Transport, Labour and Local Self Government.	—
(8) Minister for Medical and Public Health.	74 days.
(9) Deputy Minister (Home)	92 day.
(10 Deputy Minister (Finance)	90 days.

[दिनाँक १२ मार्च १९५४ के स्थगित प्रश्न]

प्रश्न

१९६. (१३/आर. आर. एम.) श्री चाँदमल मेहता, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ८७—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. पिछले ५ वर्षों में वन-महोत्सव पर कुल कितना खर्चा किया गया ?

२. उक्त सालों में कुल कितने पेड़ लगाये गये जिनमें से कितने मौजूद हैं ?

३. हरे वृक्ष इन वर्षों में कितने काटे गये ?

उत्तर

१. लगभग बीस हजार रुपया व्यय किया गया।

२. लगभग बीस लाख वृक्ष लगाये गये उनमें से लगभग आधे मौजूद हैं।

३. संख्या मालूम करना संभव नहीं है।

प्रश्न.

२०४. (१६/आर. आर. एम.) महाराज कुमार बृजेन्द्रपाल, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर २३—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. राजस्थान में ऐसे कितने चरागाह हैं जिनमें चराई का टैक्स नहीं लिया जाता है ?

२. यदि लिया जाता है तो किस रेट से ?

उत्तर

१. करीब-करीब सभी चारागाहों में चराई का टैक्स वसूल किया जाता है।

२. भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न रेट्स हैं।

(वह अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखा गया)

परिशिष्ट ५

(सदन की मेज पर रखा गया अतारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

७. (११०। सी. एम.) श्री मोतीराम, एम. एल. ए., विभाजन संख्या १०७—क्या गृह मन्त्री मिम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) श्री मुकन्दसिंह थानेदार ने हनुमानगढ़ थाने में रिश्वत ली और उसके खिलाफ ११ एलीगेशन्स लगे ?

(ख) यह मिसल कब बनी और क्या वे अलीगेशन साबित हुए अगर नहीं तो क्यों ? अगर हाँ, तो उसे मुकम्मिल सजा क्यों नहीं दी गई ?

(ग) क्या श्री मुकन्दसिंह ने हनुमानगढ़ के एक सेठ के खिलाफ फर्जी मुकद्दमा बना कर ५००० रु० रिश्वत की माँग की और उसे जेल में ठूँस दिया ?

(घ) अगर नहीं तो क्या वह मुकद्दमा बाद में गलत साबित नहीं हुआ ? अगर हाँ, तो सरकार ऐसे मुलाजिम को नौकरी में क्यों रखे हैं ?

उत्तर

(१) हाँ।

(२) सब इन्सपेक्टर श्री मुकन्दसिंह के खिलाफ शिकायत मार्च, १६५३ में प्राप्त हुई थी। इस मामले की आरंभिक जाँच बीकानेर की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के एक इन्सपेक्टर द्वारा की गई थी और जब उक्त सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध प्रत्यक्ष मुकद्दमा बन गया तो सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस गंगानगर द्वारा उसकी विभागिक जाँच की गई। गंगानगर के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने सब इन्सपेक्टर को सात अपराधों का दोषी पाया और उसकी जाँच का परिणाम बीकानेर रेन्ज के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल को पेश कर दिया। बीकानेर रेन्ज के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ने ओहदा कम करके उस हैड कान्सटेबल के निम्नतम ग्रेड में डाल दिया और यह अन्तिम चेतावनी देकर, कि आगे से अनुचित व्यवहार की कोई शिकायत प्रमाणित होते ही बर्खास्त कर दिया जायगा उसे सीमा पर डाकू विरोधी दल में लगा दिया।

(३) सब इन्सपेक्टर मुकन्दसिंह ने हनुमानगढ़ के सेठ श्री शिवकुमार के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा २७६ के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था। उसका चालान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के न्यायालय में किया गया। परन्तु प्रमाण के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। सब इन्सपेक्टर के ५००० रुपये रिश्वत में माँगने की सेठ के पास से कोई शिकायत नहीं आई।

(४) प्रश्नास्पद मामले में अपराधी न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। सब इन्सपेक्टर को भ्रष्टाचार और गड़बड़ियाँ करने के भिन्न-भिन्न अपराधों पर विभाग द्वारा दण्ड दिया ही जा चुका है। उसे स्थायी रूप से हैड कॉन्सटेबिल के निम्नतम ग्रेड में डाल दिया गया है और यह अन्तिम चेतावनी दे दी गई है कि अगर आगे से अनुचित व्यवहार की कोई भी शिकायत उसके खिलाफ प्रमाणित हो गई तो उसे बर्खास्त कर दिया जायगा।

———